पंचम माला, खंड 37, अंक 29, मंगलवार, 2 अप्रैल, 1974/12 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 29, Tuesday, April 2, 1974/Chaitra 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

18 RSS/74—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, मंगलवार, 2 अप्रैल, 1974/12 चैत्र, 1896 (शक)

No. 29, Tuesday, April 2, 1974/Chaitra 12, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
527	बर्मा शैल तथा कालटेक्स द्वारा तेल-शोधन शुल्क में वृद्धि किये जाने की मांग	Demand for Increase in Refining fees by Burmah-Shell and Caltex .	1
528	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में केरल के लिये सिंचाई सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Irrigation Facilities to Kerala in First Year of Fifth Plan . .	3
530	रेलवे कर्मचारियों को कृषि के लिये दी गई कुल रेलवे भूमि	Total Railway Lands allotted to its Employees for Agricultural purposes .	5
534	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलन के कारण बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल के लिये खुदाई में विलंब	Delay in Oil Drilling in Bombay High due to Impending agitation by O. & N.G.C. Officials	7
538.	तट दूर तेल की खोज के लिये विदेशी तेल फर्मों को अनुमति देना	Permitting foreign Oil Firms for Offshore Oil Exploration	11
540	गंडक परियोजना के पूरा होना	Completion of Gandak Project	12
541	माल भाड़े और यात्रि किराये में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of increase on Freight and Passenger Fare	14
544	जल तापीय और परमाणु बिजली परियोजनाओं से बिजली पैदा करना	Generation of Power by Hydraulic Thermal and Nuclear Projects . . .	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

526 पेट्रोल के साथ पावर अल्कोहल मिलाने के सुझाव को रद्द करना	Rejection of Suggestion for Mixing Power Alcohol with Petrol	17
529 'बिटूमन' के मूल्य में वृद्धि और उसकी उपलब्धता	Increasing prices of Bitumen and its Availability	17
531 कायमकुलम-एर्नाकुलम बड़ी लाइन पर कार्य	Work on Kayamkulam-Ernakulam Broad Gauge Line	18
532 राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से कोटा तक रेलवे लाइन	Railway Line from Chittaurgarh to Kota (Rajasthan)	18
533 बीना में रेल सेवा न होने से कर्मचारियों को असुविधा	Inconvenience to Employees due to Absence of Train Service at Bina .	18
535 भारतीय रेलवे में दूसरी श्रेणी समाप्त करना	Removal of Second Class from Indian Railway	19
536 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई क्षमता के विकास के बारे में सिंचाई आयोग की सिफारिश	Recommendation of Irrigation Commission regarding Development of Irrigasion potentiality for Drought affected Areas	19
537 मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में काम कर रहे कन्नड़ भाषी तथा अन्य लोग	Kannada Speaking and other persons Employed in Mangalore Chemicals and Fertilisers.	20
539 कोयला लाने-लेजाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार का नोट	West Bengal Government note on Transportation of coal	20
542 गत दो चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किये गये मत	Votes secured by Political Parties in the last two Elections	20
543 तेल संकट के बाद कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों की मांग और पूर्ति संबंधी स्थिति	Demand and supply position of Organic and Inorganic Chemicals after oil Crisis	21
545 गुजरात में समुद्र द्वारा भूमि कटाव	Sea Erosion in Gujarat	21

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. N.

5287 इराक की नेशनल आयल कम्पनी द्वारा भारतीय लोगों की भर्ती	Recruitment of Indians by National Oil Company of Iraq	21

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5288	शराब की भट्टियों की संख्या तथा उनकी क्षमताओं संबंधी आंकड़ों में अंतर	Difference in figures regarding number of Distilleries and their capacities .	23
5289	भारतीय उर्वरक निगम को नियंत्रक कम्पनी का रूप दिया जाना	Conversion of FCI into a holding Company	23
5290	उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव	Election to Legislative Assembly of Uttar Pradesh	24
5291	'बल्क' औषधियों के 'फार्मूलेशन' के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of Prices of Bulk Drug Formulations	
5292	औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Pending Applications for Fixation of Prices of Drugs	25
5293	मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam Across the Sind River in Sheopuri District of Madhya Pradesh	25
5294	ग्वालियर-भिंड नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Conversion of Gwalior Bhind Narrow Gauge Line into Broad Gauge . .	26
5295	उत्तर रेलवे में रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली लगाया जाना	Electrification of Railway Platforms on Northern Railway . . .	26
5296	1974-75 के दौरान उत्तर प्रदेश में उपारिपुलों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव	Proposed Over Bridges to be constructed in Uttar Pradesh during 1974-75 .	26
5297	पूर्व रेलवे के रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली लगाया जाना	Electrification of Railway Platforms on Eastern Railway	27
5298	पश्चिम रेलवे में रेलवे के प्लेटफार्मों पर बिजली का प्रबंध करना	Electrification of Railway Platforms on Western Railway	27
5299	बाण सागर बांध परियोजना	Bansagar Dam Project	27
5300	रीवां टाउन को सतना के साथ जोड़ना	Linking of Rewa Town with Satna .	28
5301	थीन बांध का निर्माण	Construction of Thien Dam . . .	28
5302	जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान कोयले की कमी के कारण निलंबित की गई गाड़ियां	Trains suspended due to Shortage of Coal during January and February, 1974 .	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5303	जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान गाड़ियों का पटरी से उत्तर जाना और रेल दुघटनाएं	Derailment and Accidents during January and February, 1974 . . .	29
5304	राजस्थान में स्टेशनों पर पेयजल तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव	Proposal to provide Drinking Water and other Facilities at stations in Rajasthan	30
5305	कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने की बढ़ायी गयी क्षमता का पूरा उपयोग	Full Utilisation of the increased capacity of Cochin Refineries	31
5306	मध्य प्रदेश में सुकता नदी परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Sukta River Project In Madhya Pradesh	31
5307	मध्य रेलवे में वैगानों की कमी को दूर करना	Removal of Shortage of Wagons on Central Railway	31
5308	पांचवीं योजना में विद्युत् उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य	Target fixed for power Generation in Fifth Plan	32
5309	मध्य प्रदेश से विद्युत् उत्पादन संबंधी प्रस्ताव	Power Generation Proposals from M.P. .	32
5310	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के व्यापारियों को भुसावल अथवा खंडवा से वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Traders of Burhanpur (M.P.) from Bhusawal or Khandwa	33
5311	कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन और सप्लाई की अस्त-व्यस्त स्थिति	Dislocation of Power Generation and supply in U.P. due to Shortage of Coal	33
5312	20 फरवरी, 1974 को मुरादाबाद के पास हुई दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के नाम	Names of persons killed in Accident near Moradabad on the 20th February, 1974	34
5313	पैट्रोलियम के मूल्य स्थिर रखने के लिये 'ओपैक' द्वारा की गई पेशकश	Offer made by OPEC to hold petroleum Prices	35
5314	अशोधित तेल के आयात के बारे में भारत ईरान संयुक्त समिति द्वारा बातचीत	Discussion of Crude Export by Indo Iranian Joint Committee . . .	35
5315	राजस्थान में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Rajasthan	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5316	पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Jute Industry in West Bengal	36
5317	नेफ्था पर आधारित उर्वरक परियोजना	Naphtha based Fertilizer Project . .	37
5318	पेट्रोल के विकल्प के बारे में अनुसंधान	Research for a substitute for Petrol .	38
5319	सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा को जोड़ने वाली सूक्ष्म-तरंग दूर-संचार योजनाएं	Micro wave Tele link Schemes to connect Secunderabad with Vijayawada . .	38
5320	1972-73 और 1973-74 में उपरि पुलों और भूमिगत मार्गों के निर्माण के लिये धनराशि की स्वीकृति	Amount Sanctioned for the Construction of Overbridges and Underways during 1972-73 and 1973-74 . . .	39
5321	मध्य प्रदेश द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना के बारे में समझौता	Agreement on Kanhar Irrigation Project by Madhya Pradesh	39
5322	भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को प्राप्त लाभों के बारे में भेदभाव	Discrimination in benefits for O & N.G.C. Employees Vis-a-Vis employees of IOC	40
5323	बिहार तथा उत्तर प्रदेश में रबी के क्षेत्रों तथा चीनी के क्षेत्रों के लिए बिजली की कमी	Power Shortage for Rabi areas and Sugar areas in Bihar and Uttar Pradesh . .	41
5324	मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत	Complaint Against Booking Clerk, Meerut City Station	41
5325	भारत और बंगला देश के बीच जल परिवहन प्रणाली	Water Transportation system between India and Bangladesh . . .	42
5326	दामोदर घाटी निगम नहर की ड्रेजिंग और सफाई करने वाले जहाजों का बेकार खड़े रहना	Vessels for Dredging and Clearing the DVC Canal lying idle . . .	42
5327	राज्यों द्वारा ईंधन तथा बिजली की बचत	Saving of Fuel and Electricity by States .	43
5328	पश्चिम बंगाल में दुबदा बेसिन परियोजना तथा केलेघई तटबंध के कार्य के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के लिये मुआवजा	Compensation for Land Acquired for Dubda Basin Project and Kaleghaye Embankment work in West Bengal	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5329	सीरे के अभाव के कारण औद्योगिक अलकोहल के उत्पादन में कमी	Fall in Industrial Alcohol production for want of Molasses	44
5331	त्रिपुरा में गुमटी पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु झोपड़ियों का गिराया जाना	Demolition of Huts for construction of Gumti Hydel Project in Tripura . .	44
5332	सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों के गैरसरकारी क्षेत्र में पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव	Proposal to debar Judges from Joining Private Sector firms after retirement .	45
5333	नागालैंड में मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम सम्मिलित न किया जाना	Non Enrolment of voters in Nagaland .	45
5334	भारतीय विदेशनीति का तेल संकट की कठिनाइयां कम करने में योगदान	Impact of Indian Foreign Policy in Lessening difficulties of Oil Crisis . .	45
5335	एशियाई देशों के बीच कच्चे तेल में संतुलन प्राप्त करना	Achievement of Balance to Crude among Asian Countries	46
5336	वर्ष 1972-73 में वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण का प्रतिवेदन	Report of Annual Power Survey in 1972-73	46
5337	आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Andhra Pradesh .	47
5338	नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को लाइसेंस देने के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति का विरोध	NCST opposed to Licensing of Naphtha based Fertlliser Plants . . .	47
5339	केमिकल्स एंड फाइबर्ज आफ इंडिया लिमिटेड की ओर से डी० एम० टी० के आयात	Proposal from Chemicals and Fibres of India Limited for Import of DMT .	47
5340	खंभात की खाड़ी में एलियाबेत पर समुद्र तट से दूर तेल की खुदाई पुनः आरम्भ करना	Resumption of Offshore Oil Drilling at Allabet in Cambay Basin . . .	48
5341	नार्थब्रुक जूट कम्पनी के अधिकांश शेयरों का कथित अनियमित हस्तांतरण	Alleged Irregular Transfer of Majority Shares of Northbrook Jute Company .	48
5342	निर्माता फर्मों के पास पड़े वैगनों के लिए रेलवे बोर्ड के क्रयादेश	Railway Board's order for Wagons pending with Manufacturing firms	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5343	भारतीय रेलों में डीज़ल इंजनों का प्रयोग	Use of Diesel Engines on Indian Railways	49
5344	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल के लिये सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects for Kerala in Fifth Plan	50
5345	केरल राज्य में रेलवे सुविधाओं के लिए चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य	Fourth Plan targets for Railway facilities in Kerala State	50
5346	पांचवीं योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य को दी जाने वाली रेल सुविधाएं	Extension of Railway facilities to Kerala State during First Year of Fifth Plan .	51
5347	मिट्टी के तेल की कथित चोर बाजारी	Reported Sale of Kerosene Oil in the Black Market	51
5348	राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities in States .	51
5349	दिग्विजय (आयरन) इण्डस्ट्रीज द्वारा बांगरोद रेलवे स्टेशन (रतलाम डिवीजन) (पश्चिमी रेलवे) से सामान की बुकिंग	Goods booked by Digvijaya Iron Industries from Bangroad Station in Ratlam Division, Western Railway . .	52
5350	रेलवे सुरक्षा बल पर हुआ वार्षिक व्यय	Annual Expenditure incurred on Railway Protection Force	53
5351	ग्वालियर रेयन्स, जावरा शूगर मिल्स और बड़ौदा शूगर मिल्स पर विलंब-शुल्क की बकाया राशि	Demurrage Charges against Gwalior Rayon, Jaora Sugar Mills and Baroda Sugar Mills	53
5352	रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खोमचे वाले	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Vendors in Railways	54
5353	पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा मंहगाई के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against rising prices by Railway Employees of North Eastern Railway	54
5354	नोवलजीन का खुदरा मूल्य	Retail price of Novalgin	55
5355	अखिल भारतीय रेलवे गार्ड संघ द्वारा "नियमानुसार काम" करने की धमकी	Work to Rule by All India Railway Guards Union	56
5356	रेलवे प्लेटफार्मों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ	Food Articles Sold at Railway Platforms	56
5357	मुजफ्फरपुर-रक्सौल और बगहा बरास्ता मोतिहारी छोटी लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Conversion of Muzaffarpur-Raxaul and Bogoha via Mothari Line into Broad Gauge	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5358	तेल संकट के पश्चात् औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की क्रियान्विति	Working of the Drugs (Price Control) Order, 1970 after Oil Crisis . .	57
5359	नियासीनामाइड का निर्माण और सप्लाई	Manufacture and Supply of Niacynamide	58
5360	महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Irrigation Schemes in Maharashtra . . .	59
5361	वर्ष 1973-74 में पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petrol and other petroleum Products in 1973-74 . .	59
5362	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में बिजली परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Power Projects in Gujarat in Fifth Plan	59
5363	राजस्थान-गुजरात सीमा पर कडन बांध का निर्माण	Construction of Kadana Dam on Rajasthan Gujarat Border	60
5364	गुजरात में बेरोजगार स्नातकों और इंजीनियरों को पेट्रोल की डीलरशिप का दिया जाना	Petrol Dealerships given to Unemployed Graduates and Engineers in Gujarat	60
5365	वर्ष 1974-75 में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in 1974-75 . .	61
5366	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये डिजिटल सिसमिक इन्स्ट्रूमेंट लगाया जाना	Deployment of Digitial Seismic Instrument by O & N G C for locating Oil Bearing structures in Gujarat . .	61
5367	गुजरात तेल शोधक कारखानों से पेट्रो-प्रोटीन का परीक्षण	Testing of Petro-Proteins from Gujarat Refinery	62
5368	अंकलेश्वर में बेंजीन तथा टाल्युईन का उत्पादन	Production of Benezene and Toluene at Ankleshvar	62
5369	कोसी नदी पर बहुउद्देश्यीय बांध तथा पनबिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Multi-purpose Dam and Hydel Project on River Kosi . .	63
5370	ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को सहायता	Assistance to Bihar by REC . . .	63
5371	बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा उसकी खपत	Per Capita Availability and Consumption of Power in Bihar	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5372	मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशें	Recommendations of Miabhoy Tribunal	64
5373	उत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपए का वेतनमान) को स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नति करने के लिये पदोन्नति प्रणाली	Promotion course for ASMs (Gr. Rs. 205-280) to Station Masters' Grade (Northern Railway)	65
5374	मथुरा से जालंधर तक तेल की पाईपलाइन बिछाने संबंधी परियोजना	Project for laying oil pipeline rom Mathura to Jullundur . . .	65
5375	उद्योगों में काम आने वाली स्पिरिट के लिये मध्य प्रदेश सरकार की मांग	Demand from Government of Madhya Pradesh for spirit used in Industries .	66
5376	पांचवीं योजना के दूसरे वर्ष में बिजली की कमी	Shortage of Power during Second Year of Fifth Plan	66
5377	अहमदाबाद-बोताड रेल गाड़ी तथा अन्य रेलगाड़ियों के यात्रियों को हुई असुविधाएं	Inconvenience Suffered by Passengers of Ahmedabad-Botad Train and other Trains	66
5378	अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली तेज रफतार वाली तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़-भाड़	Overcrowding in Fast and Express Trains running between Ahmedabad and Bombay	67
5379	पश्चिम रेलवे पर खान-पान सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Catering Facilities on Western Railway	67
5380	उर्वरक उत्पादन के बारे में विश्व बैंक दल के विचार	Views of World Bank Team on Fertilizer Production	68
5381	भीमकुंड बांध का स्थान	Site for Bhimkund Dam .	68
5382	उड़ीसा में आनन्दपुर बराज परियोजना का 'डिजाईन डिस्चार्ज'	Design Discharge of Anandpur Barrage Project in Orissa	69
5383	केन्द्रपाड़ा रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण	Electrification of Kendrapara Railway Station	69
5384	कोयले की कमी के कारण आसाम में रद्द की गई रेलगाड़ियां	Trains cancelled in Assam due to coal shortage	69
5385	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आसाम में रेल लाइनों का निर्माण	Laying of railway lines in Assam during Fifth Five Year Plan . . .	70
5386	सलफ्यूरिक अम्ल के समान आधार पर मूल्य निर्धारित करना	Fixation of price for Sulphuric acid on uniform basis	71
5387	पश्चिम बंगाल में गायघाट के उप-चुनाव के बारे में प्रस्तुत ज्ञापन	Memoranda submitted on the by-election to Gaighata in West Bengal . .	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5388	हल्दिया के निकट कंटाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन की पूरी क्षमता का उपयोग	Utilisation of full capacity of salt production in coastal belt of Contai adjacent to Haldia	72
5389	दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to DVC Thermal Plants .	73
5390	समाचार-पत्रों के पार्सल पर "अंडर चार्जस" को समाप्त करने के लिये आदेशों को जारी करना	Issue of orders for waiving off "under charges" on parcel of newspapers .	73
5391	ढुलाई कर्मचारियों के लिये वेतन तथा वरिष्ठता के निर्धारण संबंधी नियम	Rules for fixation of pay and seniority for transportation staff	73
5392	राज्यसभा के लिये गुजरात से चुनाव	Election to Rajya Sabha from Gujarat .	74
5393	राष्ट्रपति का चुनाव	Presidential Elections . . .	75
5394	गुजरात विधान सभा के लिये चुनाव	Election to Gujarat Assembly .	75
5395	रेल सेवाओं में गड़बड़ी के कारण गुजरात राज्य में रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railway in Gujarat State due to disruption in train services .	75
5396	कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of officers posts from junior scale to senior scale	76
5397	औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines to encourage Indian Sector of Drug Industry	76
5398	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा कावेरी घाटी में सिंचाई की परियोजना को स्वीकृति का दिया जाना	Clearance of Irrigation Projects in Cauvery Basin by C.W.P.C.	77
5399	रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण आदेश	Reservation Order of SC/ST in Railway Workshop, Kharagpur . . .	77
5400	टायर कंपनियों, ग्रामोफोन रिकार्ड कंपनियों और नायलोन फिलामेंट यार्न कंपनियों के विरुद्ध निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के आरोप	Charges of Restrictive Trade Practices against Tyre Companies, Gramophone Record Companies and Nylon Filament Yarn Companies	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5401	केडबरी, फ्राई (इंडिया) के कार्यकरण की जांच के लिये नियुक्त निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन	Report submitted by Inspectors appointed to investigate into the affairs of Cadbury Fry (India)	78
5402	हल्दिया उर्वरक संयंत्र का निर्माण	Construction of Haldia Fertiliser Plant	79
5404	दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत में की गई कटौती	Power cuts imposed by DVC	79
5405	चंडीगढ़ तथा लुधियाना के बीच रेल संपर्क बनाने संबंधी पंजाब सरकार का प्रस्ताव	Punjab Government Proposal for Rail Link between Chandigarh and Ludhiana	80
5406	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भारतीय इंजीनियरों का नेपाल का दौरा	Visit of Indian Engineers of CWPC to Nepal	80
5407	इस्पात संयंत्रों द्वारा बिजलीघरों की स्थापना	Setting up of Power Houses by Steel Plants	81
5408	कोरवा, तालचेर और रामगुण्डम में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Construction of Fertiliser Factories at Karwa, Talcher and Ramgundam	81
5409	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा कोसी एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का सर्वेक्षण	Survey conducted by CWPC on Rivers Kosi and Brahmaputra	82
5410	बिजली उत्पादन के बारे में भारत और रूमानिया के बीच नई दिल्ली में बातचीत	Indo-Rumania Talks on Power Generation in New Delhi	82
5411	भारत-रूमानिया के बीच तेल की खोज के बारे में चर्चा	Indo-Rumania Discussions on Oil Exploration	83
5412	नेपाल में करनली विद्युत परियोजना को सहायता	Assistance to Karnali Power Project in Nepal	83
5413	कोयले के बड़े प्रयोक्ताओं के लिये अपने वैगन रखने संबंधी योजना	Own Your Own Wagon Scheme for Big Coal Users	83
5414	कर्नाटक में अघानाशीनी पनबिजली परियोजना	Aghanashini Hydel Project in Karnátaka	84
5415	केरल में कुकिंग गैस का वितरण	Distribution of Cooking Gas in Kerala	84
5416	केरल के विधायकों के प्रयोग के लिये रेलवे कूपन की किताब की सप्लाई	Supply of Railway Coupon Book for use of Kerala MLAs.	84
5417	त्रिवेन्द्रम में मंडलीय मुख्य कार्यालय की स्थापना करना	Setting up of Divisional Headquarters office at Trivandrum	85
5418	चित्तापुर रेलवे में शैड में विस्फोट	Explosion in Chitpur Railway Shed	85

5419	1973 के दौरान तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण रेलवे को हुई क्षति	Loss suffered by Railways on account of Subversive Activities and Violent Agitations during 1973 . . .	85
5420	रेलवे सुरक्षा सेना के एक सिपाही द्वारा दिल्ली स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ बलात्कार करने का कथित प्रयास	Alleged Attempt made by a Soldier of Railway Security Force to Rape a Lady Passenger at Delhi Station .	86
5421	भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा दाखिल याचिकाएं	Petitions Admitted by Special Leave in the Court of Chief Justice of India . .	86
5422	पश्चिम बंगाल की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना	Clearance of Power Projects in West Bengal	87
5423	पुरूलिया-कोटशिना लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Purulia-Kotshila line into Broad Gauge line	87
5424	नसराला स्टेशन पर गार्ड की मारपीट	Guard Assaulted at Nasrala Station	88
5425	फरक्का बराज वर्कशाप को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित करना	Transfer of Farakka Barrage Workshop to West Bengal	88
5426	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	Construction of major Irrigation Project .	89
5427	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये महाराष्ट्र का ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कार्यक्रम	Rural Electrification programme of Maharashtra for Fifth Plan . .	89
5428	सोडियम ट्रिपाली फोफफेट परियोजना के लिये बल्लारपुर पेपर मिल्स द्वारा मांगा गया एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रिया आयोग का अनापत्तिपत्र	Monopolies and restrictive trade practices Commissions' clearance sought by Ballarpur Paper Mills for Sodium Tripoly Phosphate Project . . .	90
5429	मध्य रेलवे में बीरपुर के निकट हुई रेल दुर्घटना की जांच	Inquiry into the Railway accident near Birpur on Central Railway . .	90
5430	रेलवे कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने संबंधी नये निर्णय	New decisions for providing more facilities to Railway Employees . . .	91
5431	काठगोदाम-लखनऊ, एक्सप्रैस के तीन डिब्बों का 5 मार्च, 1974 को पटरी से उतर जाना	Derailment of three Bogies of Kathgodam-Lucknow Express on the 5th March, 1974	91
5432	गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 6 मार्च, 1974 को हुआ बम विस्फोट	Bomb explosion at Gorakhpur Railway Station on the 6th March, 1974 . .	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5433	पारादीप में उर्वरक संयंत्र के संबंध में निर्णय	Decision of Fertilizer Plant at Paradeep .	92
5434	दिल्ली से फालतू बिजली की हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सप्लाई	Supply of Surplus Power from Delhi to Haryana and U.P.	92
5435	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल इंजनों की आवश्यकता	Requirement of Locomotive during Fifth Five Year Plan	93
5436	रेल कार प्रणाली शुरू करना	Introduction of Rail Car System . . .	93
5437	भद्राचलम से कोवूर (दक्षिण-मध्य रेलवे) बीच नई रेलवे लाइन	New Railway Line between Bhadrachalam to Kovur (South Central Railway)	94
5438	गोदावरी बांध के निर्माण के लिये सर्वेक्षण	Survey for Construction of Godavari Barrage	94
5439	कलकत्ता में 12 डाउन-दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रैस तथा शन्टिग इंजन के बीच टक्कर	Collision between 12 Dn. Delhi-Howrah Express and Shunting Engine in Calcutta	95
5440	वर्ष 1973-74 में दक्षिण-मध्य रेलवे जोन में उपरिपुलों और निचले पुलों के निर्माण के लिये मंजूर धनराशि	Amount sanctioned to build over-Bridge and under-Bridges in South Central Railway Zone during 1973-74 . .	95
5441	दक्षिण-मध्य जोन के लिये पृथक् रेलवे सेवा आयोग	Separate Railway Service Commission for South Central Zone . .	96
5442	रेलवे कर्मचारियों द्वारा चालू वर्ष में की गई हड़तालें एवं नियमानुसार कार्य क्रिया जांना	Strike and work to rule resorted by Railway Staff during Current year .	96
5443	भारतीय तेल निगम द्वारा कुकिंग, गैस के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध	Proposal from IOC to increase price of coking Gas	97
5444	मथुरा तेल शोधक कारखाने की रोजगार तथा उत्पादन क्षमता	Employment Potential and capacity of Mathura Refinery	97
5445	बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों तथा अपंग सैनिकों को आवंटित की गई एल० पी० जी० एजेंसियां	LPG Agencies allotted to unemployed Graduate Engineers and disabled Army personnel	98
5446	नांगल भाखड़ा परियोजना को अपने अधिकार में लेना	Take over of Nangal Bhakra Project	98
5447	यात्री किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि	Increase in Passenger Fares and Freight rates	98
5448	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन	Financial allocation for irrigation and power Projects for H.P. in Fifth Plan .	99

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5449	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Rural Electrification in H.P. in Fifth Plan . .	99
5450	जनवरी, 1974 में दिल्ली में हुई कुरेशी समिति की बैठक में किये गये निर्णय	Decisions taken by Qureshi Committee Meeting held in Delhi in January 1974 .	100
5451	मैसर्स भारत एयर को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to M/s. Bharat Air	100
5452	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स	Anil Starch Products	101
5453	अधिकारियों की संख्या तथा पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Number of Officers and Upgradation of Posts	101
5454	दानापुर स्थित एन० सी० घोष संस्थान में हुई घटना में शामिल रेलवे कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान	Payment of dues to Railway Employees involved in incident in N.C. Ghosh Institute at Danapur	102
5455	भारतीय रेलवे में उपयोग में लाये जा रहे माल डिब्बों की संख्या	Number of Wagons in Operation on Indian Railways	102
5456	गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Maintenance of RPF personnel during last three years .	103
5457	अलीपुरद्वार डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में हैड टिकट कलेक्टरों के चयन का रद्द किया जाना	Cancellation of Selection of Head Ticket Collectors. Alipurduar Division (North-east Frontier Railway) . . .	104
5459	मोटर गाड़ियों के लिये अलकोहल मिश्रित ईंधन का उपयोग	Use of Alcohal Blending Fuel for Motor Vehicles	104
5460	केरल में कोयले की कमी के कारण बंद की गई गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Trains cancelled due to coal shortage in Kerala	104
5461	दक्षिण क्षेत्र में पनबिजली का उत्पादन	Production of Hydel Power in Southern Region	105
5462	पार्सल और वस्तु यातायात को बढ़ाने के लिए नया विभाग बनाना	Creation of New Department for Attracting Parcel and Goods Traffic . .	105
5463	कीटनाशक दवाइयों के लिए बी० एच० सी० टैक० की उपलब्धता	Availability of BHC Tech. for Pesticides .	105
5464	झांसी के निकट तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station near Jhansi	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
5465	पैट्रोलियम से प्रोटीन बनाने के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना	Pilot Plant set up by IOC to produce protein from Petroleum	106
5467	काहिरा में अरब के तेल मंत्रियों की बैठक	Meeting of Arab Oil Ministers at Cairo .	107
5468	ग्रामोफोन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड	Gramophone Company of India Ltd	107
5469	विदेशी औषधफर्मा का भारतीय औषध कंपनियों के कार्यकरण पर प्रभाव	Foreign Drug Firms affecting working of Indian Drug Companies . .	108
5470	पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रैसरों का चयन	Selection of Claim Tracers on Western Railway	108
5471	पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसर असिस्टेंट कमर्शियल इंस्पेक्टरों के रिक्त पद	Vacant posts of Claims tracers/Assistant Commercial Inspectors (Western Railway)	109
5472	अहमदपुर-कटवा रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़	Over crowding in Ahmedpur Katwa Trains	109
5473	चौथी योजना में विद्युत उत्पादन योजनाओं का पूरा होना	Completion of Power Generation schemes in Fourth Plan	110
5474	उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को समाप्त करना	Restoration of power cut in U.P. .	110
5475	चुनाव याचिकाओं का निपटाया जाना	Disposal of Election Petitions	111
5476	कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश में हरिजन मतदाताओं को डराने धमकाने का समाचार	Reports of Alleged Intimidation of Harijan Voters by some politicians in U.P. .	112
5477	बिजलीघरों द्वारा बिजली का उत्पादन	Power Generated by Public Sector Power Houses	112
5478	एथेनौल का उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना	Scheme to augment production of Ethanol	113
5479	उद्योगों तथा इंजनों के अवशिष्ट तेल को फिर से साफ करने की संभाव्यता का पता लगाना	Exploring possibilities of Re-refining of Industrial and Engine Oil Wastes .	113
5480	तेल उत्पादक देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in prices of Crude Oil by oil producing Countries . .	114
5481	कमी पूरी करने के लिये तेल की खोज का द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Oil Exploration to meet shortage	115
5482	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों से पेट्रोल की बचत	Saving of Petroleum from Coal based Fertilizer Plants	116

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5483 सयालदह और लालगोला तथा हावड़ा और बारहोरदा के बीच चलने वाली गाड़ियों के समय पर चलने की सूची	Punctuality Index of Trains running between Sealdah and Lalgola and between Howrah and Barharwa . . .	116
5484 फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों को खपाना	Absorption of Employees of Farakka Barrage Works	117
5485 तेल संकट का प्रभाव	Impact of Oil Crisis	117
5486 अमर डाई-केम लिमिटेड	Amar Dye Chem Ltd.	118
अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	119
कुछ राज्यों में बिजली की भारी कमी का कथित समाचार	Reported Acute Power Shortage in certain States	119
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . . .	119
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	119
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	127
पांडिचेरी की संचित निधि में से किये जाने वाले व्यय के प्राधिकरण के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में	Re. President's order in regard to authorisation of expenditure out of consolidated Fund of Pondicherry . .	127
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	134
40वां प्रतिवेदन	Fortieth Report . . .	134
अनुदानों की मांगे 1974–75	Demands for Grants, 1974-75 . .	134
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	134
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	134
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . . .	141
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda . . .	141
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	144
श्री आर० बी० बड़े	Shri R.V. Bade .	145
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	146
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi	147
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	148
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	148
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	149
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	151
श्री तरूण गोगोई	Shri Tarun Gogoi . .	151
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . .	152
श्री शंकर राव सावंत	Shri Shankar rao Savant . . .	153
जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Junior Doctors' Strike .	153
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	153

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 2 अप्रैल, 1974/12 चैत्र 1896 (शक)

Tuesday, April 2, 1974/Chaitra 12, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
(MR. SPEAKER *in the chair*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा शैल तथा कालटैक्स द्वारा तेलशोधन शुल्क में वृद्धि किये जाने की मांग

*527. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल तथा कालटैक्स कम्पनियों ने भारत में अपने तेलशोधन शुल्क में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वृद्धि की मंजूरी दिये जाने पर पैट्रोलियम उत्पादों के 1 मार्च, 1974 को घोषित किये गये ऊंचे मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी; और

(ग) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप में यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन दो कम्पनियों ने विशेषतया अशोधित तेल के संदर्भ में जो सरकार ने बातचीत करके सऊदी अरब से प्राप्त किया है, तेलशोधन शुल्क में वृद्धि की मांग की है, और इसी लिये, इस समय इन कम्पनियों की मांग का तात्पर्य कठिनाई पैदा करना है क्योंकि वे अपने से भिन्न स्रोत से लाये गये अशोधित तेल का शोधन करना नहीं चाहतीं, अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे कठिनाई पैदा करने वाला दृष्टिकोण अपना रही हैं।

श्री देवकान्त बरूआ : बर्मा शैल, एस्सो तथा कालटैक्स, तीनों तेल कम्पनियों की सभी शोधनशालायें गत वर्ष से, अर्थात् मार्च, 1973 से 1974 तक, अशोधित तेल का भारतीय तेल निगम के शोधक कारखानों के रूप में शोधन कर रही हैं। यह कार्य 20 रुपये प्रति टन की दर पर किया जा रहा है। वे इस दर को बढ़ाकर 28 रुपये प्रति टन करना चाहती हैं परन्तु भारतीय तेल निगम इससे सहमत नहीं हुआ है। उनसे इस विषय पर बातचीत चल रही है। यह भारतीय तेल निगम तथा इन कम्पनियों के बीच वाणिज्यिक स्थिति है। परन्तु किसी भी वृद्धि के लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। हमें इस वृद्धि के बारे में भारतीय तेल निगम से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु दर 20 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 28 रुपये प्रति टन करने की मांग की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों?

श्री देवकान्त बरूआ : उन्होंने कुछ कारण बताये हैं। हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उनमें से एक मत है कि संक्षरण की मात्रा अधिक होने से लागत बढ़ गई है क्योंकि उन्हें केवल सऊदी अरब से नहीं अपितु बसरा का तेल भी मिल रहा है। तेल में गंधक की मात्रा अधिक होने से संक्षरण की मात्रा वे अधिक बताते हैं। इन कम्पनियों ने इसीलिये अधिक दरों की मांग की है, परन्तु भारतीय तेल निगम ने इसे स्वीकार नहीं किया है और ना ही कोई प्रस्ताव भेजा है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह स्पष्ट प्रश्न पूछा कि ये कम्पनियां जो तेल स्वयं लाती हैं उनकी उस तेल की शोधन दरें उस तेल की शोधन दरों से कम हैं जो सरकार स्वयं अपने साधनों से मंगाती है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या दरों में भिन्नता, जो वे कम्पनियां चाहती हैं अथवा जिसका दावा करती हैं, इस आधार पर है कि अशोधित तेल के स्रोत उनके अपने हैं अथवा तेल उत्पादन करने वाले देशों में से किसी देश से सरकार द्वारा अपने आप तेल मंगाया जाता है और यदि इसका आधार यही है तो सरकार उस बात पर विचार ही क्यों करती है जो भेदभाव पूर्ण है तथा जिसका उद्देश्य देश से धन कमाकर बाहर भेजना है और जिससे तेल के मूल्यों में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी?

श्री देवकान्त बरूआ : इसका आधार उनकी तेल शोधन लागत है। हमारी अपनी तेल शोधनशालाओं में हमारे अनुभव के आधार पर, तेल शोधन लागत पहले 20 रुपये प्रति टन निकाली गई थी। हमने सोचा कि 20 रुपये प्रति टन न्यायोचित दर है और उसी आधार पर हम उन्हें भुगतान कर रहे हैं। अतः भारतीय तेल निगम दर में वृद्धि करने के लिये अभी तक सहमत नहीं हुआ है। परन्तु यह बात विचाराधीन है.... (**व्यवधान**) ...जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होता है, उस पर विचार किया जाता है।

श्री डी० एन० तिवारी : भारतीय तेल निगम द्वारा तेल शोधन पर वास्तव में कितनी लागत आती है और इन कम्पनियों ने ऐसे ही तेल के शोधन के लिये जो दरें मांगी हैं उन दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री देवकान्त बरूआ : शोधन लागत की तुलना केवल सरकारी क्षेत्र की समुद्रतटीय शोधनशालाओं की जा सकती है। मद्रास तथा कोचीन, सरकारी क्षेत्र की दो शोधनशालाओं में लागत....

एक माननीय सदस्य : कोयाली भी तो है।

श्री देवकान्त बरूग्रा : कोयाली तेल शोधनशाला समुद्रतट से दूर है। हमारी अपनी शोधनशालाओं में तेलशोधन पर लगाभग इतनी ही लागत आती है जितनी कि हम इस समय कम्पनियों को दे रहे हैं। कभी-कभी यह घट बढ़ भी सकती है, परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, यह दर सभी पहलुओं पर विचार करके निश्चित की गई है।

श्री डी० एन० तिवारी : देश की अपनी तेल शोधनशालाओं के अनुभव के अनुसार क्या स्थिति है?

श्री देवकान्त बरूग्रा : लागत भिन्न-भिन्न है। मद्रास में 20 रुपये से भी अधिक होगी, कोचीन में यह थोड़ी सी ही अधिक है। परन्तु मूल प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि अब दर 20 रुपये निश्चित है, इस पर उन्होंने एक वर्ष कार्य किया। अब वे वृद्धि करने के लिये कह रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : This is an admitted fact that all the Public Sector industries are not functioning efficiently. In these circumstances, Processing Cost in our refineries will definitely be more as compared to the refineries of the foreign companies. May I know as to why the government do not decide at the earliest possible opportunity that they are not going to accept the demand of the Companies ?

Shri D.K. Borooah : The decision is to be taken by I.O.C. because the matter is stil under consideration between I.O.C. and the Companies. We will give our opinion as and when the proposal is placed before us.

श्री राजा कुलकर्णी : इन दो तेल कम्पनियों के सम्बन्ध में यह मानी हुई बात है कि अशोधित तेल, तेल बेचने वाली विदेशी शाखाओं का होता है और बर्मा शैल तथा कालटैक्स तेलशोधक कारखाने केवल तेलशोधन का कार्य करते हैं। स्थिति की वास्तविकता को देखते हुये क्या मंत्रालय ने यह बात मालूम की है कि क्या तेलशोधन तथा विपणन कम्पनियों के बीच कोई वास्तविक ठेका है और क्या उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है। क्या इन दो कम्पनियों की तेलशोधन की दरों में वृद्धि करने की मांग में कोई औचित्य है ?

श्री देवकान्त बरूग्रा : मुझे उसका पता नहीं हैं। परन्तु हम तेलशोधन दर में कोई वृद्धि करने के लिये सहमत नहीं होंगे।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में केरल के लिए सिंचाई सुविधाओं का लक्ष्य

*528. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में केरल राज्य को दी जाने वाली सिंचाई सुविधाओं के लक्ष्य के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तविक परियोजनाओं का ब्यौरा तथा प्रत्येक परियोजना की क्षमता क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के एक भाग के रूप में क्रियान्वित की जाती हैं। 1974-75 के लिये केरल की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या केरल के मुख्य मंत्री से केरल में कुछ परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिये योजना में नियत राशि के अतिरिक्त केरल को 300 लाख रुपये की राशि की सहायता देने हेतु दिसम्बर, 1973 में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केरल सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ में विशेष सहायता के लिये अनुरोध किया है। वास्तव में, जून, 1973 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। योजना आयोग ने उस पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस वर्ष वित्तीय संकट के कारण कोई विशेष केन्द्रीय सहायता देना संभव नहीं है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या आपको दिसम्बर, 1973 में मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ था?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक पत्र दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुआ था। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : बड़ी और बीच के स्तर की अधिकांश सिंचाई परियोजनायें वर्ष 1961 में आरम्भ की गई थीं। उनमें से एक भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इन सभी परियोजनाओं को शीघ्राातिशीघ्र पूरा करने तथा चलाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केरल में कुछ परियोजनायें कई वर्षों से चल रही हैं और मैं माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा इनसे लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है । क्योंकि योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, अतः नियतन आदि का विवरण देना मेरे लिये संभव नहीं है । सामान्य विचार यह है कि जो परियोजनायें चल रही हैं उनमें से अधिक से अधिक को पूरा किया जाये। वहां 7 परियोजनायें और कुछ मध्यस्तरीय परियोजनायें चल रही हैं। हमारा विचार उनमें से छः को पूरा करने और पांचवीं योजना के दौरान उनसे लाभ प्राप्त करने तथा मध्यस्तरीय परियोजनाओं को भी पूरा करने का है।

श्री वयालार रवि : क्या योजना आयोग ने विगत 15 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी सात अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का सुझाव दिया है? क्या वमनापुरम परियोजना सहित अन्य छोटी सिंचाई परियोजनाओं को भी आरम्भ किया जायेगा?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पांचवीं योजना के दौरान चल रही सात परियोजनाओं में से 6 को पूरा करने का विचार है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह कार्य छठी योजना तक चलता रहेगा और क्या कुछ नई परियोजनायें भी आरम्भ की जायेंगी।

श्री वयालार रवि : वनापुरम परियोजना ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केरल सरकार ने इसकी सिफारिश की है और इस परियोजना को सम्मिलित किया गया है परन्तु जब तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता, मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जैसा आबंटन आज किया जा रहा है यदि इसी प्रकार का आबंटन किया जायेगा तो इन सात परियोजनाओं के पूरा होने में 25 वर्ष और लगेंगे और इनमें से प्रत्येक की चौगुनी लागत हो जायेगी? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी

प्रणाली निकालेगी जिससे और अधिक धनराशि दी जा सके, चाहे विश्व बैंक से, चाहे किसी अन्य साधन से, जिससे पांचवीं योजना अवधि में ये परियोजनायें पूरी हो सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं इस मामले में सरकार के विचार बता चुका हूं। इस बात से मैं सहमत हूं कि हमें इनमें से अधिकांश परियोजनायें पांचवीं योजना में पूरी करनी चाहियें और मेरे विचार से सरकार का विचार भी उनमें से कम से कम छः को पूरा करने का है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि चल रही परियोजनायें पूरी हों तो उसके लिये व्यवहारिक उपाय यही है कि बहुत कम नई परियोजनायें आरम्भ की जायें और उनकी धनराशि को चल रही परियोजनाओं में लगाया जाये। नई परियोजनायें आरम्भ करने में कुछ कठिनाइयां भी हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या विश्व बैंक से कुछ सहायता ली जायेगी अथवा केन्द्र कुछ सहायता देगा जिससे कि ये परियोजनायें पूरी की जा सकें अन्यथा इनके पूरी होने में 20 वर्ष और लगेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे आशा है कि उनका विचार सही नहीं उतरेगा।

रेलवे कर्मचारियों को कृषि के लिये दी गई कुल रेलवे भूमि

*530. **श्री राम भगत पासवान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष में रेलवे कर्मचारियों को कृषि के लिये कुछ रेलवे भूमि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नियतन का आधार क्या है; और

(ग) अब तक कुल कितनी भूमि दी गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान हिदायतों के अनुसार स्टेशन यार्डों और रेलवे बस्तियों की फालतु जमीन रेल कर्मचारियों/रेल कर्मचारियों की सहकारी कृषि समितियों को 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनों के लिए उपयुक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर एक वर्ष या दो वर्ष के आधार पर आवंटित की जाती है। तदनुसार, 31 मार्च, 1973 तक कुल लगभग 31,000 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है।

Shri Ram Bhagat Paswan : The Railway Minister gives particular attention to the weaker sections. I want to know whether the Government has adopted any principle to allot Railway land to Class IV employees, particularly to harijans and tribal people ? I want to know whether this allotment of Railway land is made for the tenure of service of employees or it continues to remain allotted to their successors ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The land is not allotted on heritage basis. It is allotted on the basis of needs. This point is taken into consideration that the unutilized land is given to the people of backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Ram Bhagat Paswan : I want to know the total land in each zone at present which is fit for allotment and how much land has been allotted and how much is left for allotment? May I know whether the remaining land will be allotted?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have in all 1,25,993 acres of cultivable land, out of which 30,949 acres have been allotted to Railway employees. Eight lakhs four thousand five acres of land has been allotted to the people other than Railway employees. About 40 thousand acres have been given to State Governments and the remaining cultivable land is 46 thousands 87 acres.

Shri Ram Bhagat Paswan : Is it a fact that sometimes this Railway land is given to other people and not allotted to Railway employees and the Settlement officers make settlement according to their will ? Will the Government give any such directive to settlement officers so that the land is allotted to Railway employees, particularly to harijans and tribal people.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Sometimes, if the Railway employees are not ready to take land, that is given to other people.

Shri Ramavatar Shastri : In this statement it has been mentioned that 31 thousand acres of land will be allotted to Railway employees or their Cooperative farming societie under Grow More Food Programme, I want to know the number of Railway employees and Cooperative farming societies, separately who have been allotted lands. How much foodgrains were produced in this land in 1973 so that the country may know whether the land is being utilized or not and whether the objectives are being achieved or not ?

Mr. Speaker : The first part of your question is relevant.

Shri Ramavatar Shastri : It is mentioned in the statement that land is given to grow more food. Are more foodgrains being produced or houses are being constructed there ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Houses are not being constructed there. The land is given only for producing foodgrains. We cannot say how much food has been produced because we take rent of that land and thus we earn a revenue of Rs. 12 lakhs per annum. It shows that lands are being utilized by the people to whom they have been allotted.

श्री विश्व नारायण शास्त्री : प्रत्येक क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों की सहकारी कृषि समितिां कितनी हैं तथा क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ रेलवे कर्मचारी ऐसी भूमि बाहरी व्यक्तियों को पट्टे पर दे देते हैं और इस प्रकार जमींदारी प्रथा को चला रहे हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, नियम यह कहता है कि जमीन केवल वास्तविक काश्तकार को दी जायेगी, प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी कृषि समितियों के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Shankar Dayal Singh : Earlier the hon. members had demanded in this House that the land which is allotted to Railway men should be allotted to landless people and harijans. I want to know whether the Government propose to formulate any such rule under which the landless, the unemployed and harijans are given Railway land ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This suggestion has already been accepted that such land should be given to harijans, Scheduled Tribes and educated unemployed agricultural graduates.

Shri Shankar Dayal Singh : How many such persons have been given lands ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This Scheme has been implemented this year. The figures regarding such allottees of land are not available with me at present.

Shri Mohammad Ismail : You have made arrangement to allot land for cultivation but there are a number of refugees in my state who are running their small shops temporarily on that land and thus earning their livelihood particularly in 24 Parganas. But they are evicted from time to time whereas that land is lying vacant. What is your opinion in this regard ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is not a question of opinion but it is a programme not to evict any body but to help them in settling down.

श्री ए० के० एम० इसहाक : चूंकि रेलवे प्रशासन के पास काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है और उन जमीनों पर अधिक अन्न उपजाना आवश्यक है तो क्या सरकार का विचार उन लोगों को जमीन देने का है जो भूमिहीन हैं ताकि गहन खेती की जा सके? दूसरी, उन भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता न देकर रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है जिन्हें नियमित वेतन मिलता है तथा जिनकी आय का साधन है।

श्री मुहम्द शफी कुरेशी : प्राथमिकता हमेशा भूमिहीन व्यक्तियों को दी जाती है न कि उनको जिनके पास पहले से जमीन है।

Shrimati Mukul Banerji : The hon. Minister has stated that their programme is not to evict people but to help them in settling down, then why notices have been served to the people who have settled near the Railway line at Minto Road?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The reason is that that land is not meant for cultivation but it is a residential land and that have been occupied forcibly. But inspite of this those persons are not being evicted who occupied it forcibly before 1972. Only those persons will be evicted who occupied it after that period and they will be settled elsewhere.

Shri Rana Bahadur Singh : May I know whether any such incidents have been brought to the notice of the hon. Minister where poor farmers have been given Railway land at lower rates but when the crop is ready the notices are given for the realisation of the amount ten times more than the amount fined originally.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: If the hon. Member brings such a case to my notice, I will look into that.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलन के कारण बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की छिद्रण में विलम्ब

†

***534. श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के दो मुख्य संघों द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध किये जाने वाले आन्दोलन के कारण बम्बई के निकट गहरे समुद्र में छिद्रण कार्यों में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात के लिये कोई प्रयास किये गये हैं कि आन्दोलन न हों?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) बम्बई अपतटीय परियोजना में नियुक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी अतिरिक्त भत्ते, बम्बई में रिहायशी मकानों की व्यवस्था, पारी को थोड़ी अवधि और पारी-व्यक्तियों को बम्बई से "सागर सम्राट" तक समुद्री परिवहन की बजाय हैलीकोप्टर से लाने ले जाने आदि जैसे कुछ मामलों के बारे में आन्दोलन करते रहे हैं।

आयोग इन कर्मचारियों की सभी उचित मांगों को पूरा करने के प्रयत्न कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, पहले के कठिन ड्यूटी भत्ते, व्यधन भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा विशेष विक्षोभ भत्ते आदि अन्य भत्तों के अतिरिक्त "सागर सम्राट" में व्यधन कार्य करने वाले व्यक्तियों को तिमाही कार्य निष्पादन प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भुगतान, स्थानीय परिवहन सम्बन्धी प्रभारों के भुगतान तथा "नाव द्वारा यात्रा" भत्ता दिये जाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारियों को रिहायशी मकान दिलाने के प्रयत्न कर रहा है। पारी व्यक्तियों को बम्बई से 'सागर सम्राट' तक हैलीकाप्टर द्वारा ले जाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। तथापि, कर्मचारियों द्वारा ऐसे मामलों पर किये जा रहे आन्दोलन से बम्बई हाई में किये जा रहे व्यधन कार्यों की प्रगति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : माननीय मंत्री ने सबको सतुष्ट करने का प्रयास किया है। संस्कृत की एक लोकोक्ति के अनुसार संतोष सबसे बड़ा सुख है। माननीय मंत्री ने कहा है कि आन्दोलन हो रहा है, किन्तु इसका काम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिये वह प्रसन्न हैं। यदि आन्दोलन स्थायी रूप से जारी रहे और इससे काम पर बुरा प्रभाव न पड़े, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई तरीका ढूंढ निकालने पर विचार करेगी कि विशेषकर तेल खोजने जैसी ऐसी परियोजनाओं में इस प्रकार के आन्दोलन न हों।

श्री देवकान्त बरूआ : निश्चित रूप से बेहतर सेवा शर्तों की मांग करना श्रमिकों का अधिकार है और मैं उनकी दशा के बारे में पूरी तरह सहमत हूं। यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि यथासंभव उनकी उचित मांगों को स्वीकार किया जाए। अतः, मैं अप्रसन्न नहीं हूं कि वे ये मांगें कर रहे हैं। मेरे विचार में ये मांगें करना उनका पूर्ण अधिकार है, विशेष रूप से उनके द्वारा किये गए अच्छे काम को देखते हुये । मैं उनके द्वारा किए गए काम के लिये उनका आभारी हूं और मुझे आशा है कि हम उन्हें वे सुविधाएं देने में समर्थ हो जायेंगे जिनकी उन्होंने मांग की है।

उन्होंने दो या तीन सुविधाओं की मांग की है। एक मांग पारी को बदलने के बारे में है। लगातार 15 दिन काम करने की बजाय वे 7 दिन लगातार काम करना चाहते हैं। ऐसा करना संभव नहीं है। हमने संसार भर में पूछ-ताछ की है। छिद्रण कार्मिक 15 दिन की एक पारी में काम करते हैं और उसके पश्चात् वे एक सप्ताह के लिये वापिस चले जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्हें जहाज़ों द्वारा भेजने में काफी समय लग जाता है। अतः, हम वहां जाने हेतु उन्हें विशेष भत्ता दे रहे हैं। इस बीच हम हैलीकाप्टर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वायु सेना से हैलीकाप्टर प्राप्त करते हैं। परन्तु उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। अतः, हम उन्हें ले जाने के लिये हैलीकाप्टर किराये पर लेने की वांछनीयता पर विचार कर रहे हैं । यह हमारे हित की ही बात है कि काम करने वालों को तट से जहाज़ तक ले जाने में कम से कम समय लगे।

जहां तक आवास समस्या का संबंध है, जैसाकि आप सबको मालूम है, बम्बई में निवास-स्थान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। हम महाराष्ट्र आवास बोर्ड के द्वारा कुछ मकान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हमने कुछ भूमि खरीदने का प्रयास भी किया है, ताकि हम उनके लिये स्थायी रूप से मकान बना सकें। जहां तक मुझे याद है, हम इस समय उन्हें 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दे रहे हैं।

हम उन्हें वेतन का 40 प्रतिशत कठिन ड्यूटी भत्ते के रूप में भी दे रहे हैं बशर्ते कि यह 640 रुपये से अधिक नहीं हो। हम उन्हें बम्बई तट दूर परियोजना को आते समय एक महीने का वेतन एक मुश्त एक विशेष "डिस्टरबेंस अलाउंस" भी देते हैं, जो वापस नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त, 20 प्रतिशत का छिद्रण भत्ता भी दिया जाता है। हम छिद्रण ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार, उनके काम को देखते हुए उन्हें तीन महीने में एक बार कार्य प्रोत्साहन के रूप में वेतन की 40 प्रतिशत राशि तक भुगतान करते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम न केवल उनकी मांगों पर, अपितु अपनी आवश्यकताओं पर भी पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हमें आशा है कि हम इस काम के, जो उन्हें करने के लिये सौंपा गया है, सर्वोत्तम हितों को देखते हुये इस समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जायेंगे।

श्री पुरूषोत्तम काकोडकर : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस आन्दोलन का काम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री पुरूषोत्तम काकोडकर : हड़तालों की वर्तमान स्थिति में इस तेल की खोज, छिद्रण आदि के काम को पूरा करने में मंत्री महोदय को कितना समय लगेगा और कब तक हम तेल तथा इसके उत्पाद के उत्पादन की आशा करें ?

श्री देवकान्त बरूआ : 'आन्दोलन' शब्द का उपयोग किया गया है। मुझे खेद है कि मैंने भी इस शब्द का उपयोग भी किया है। किन्तु यह शब्द ठीक नहीं है। श्रमिकों द्वारा निरन्तर मांगें की जाती हैं। आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। यह बात नहीं है कि वे बाद में बेहद जीवन यापन स्तर की मांग न करें। यह तो निरन्तर प्रक्रिया है और आगे विचार करते समय हमें इस मामले पर श्रमिक वर्ग से चर्चा करनी होगी। फिर भी, हम समस्याओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ चीजों को प्राप्त करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, उदाहरण के तौर पर, हैलीकाप्टर की बात है। हम हैलीकाप्टर किराये पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, आवास स्थानों की बम्बई में अत्यधिक कमी है और हम महाराष्ट्र सरकार के सौहार्द से मकान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम इन समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कर लेंगे।

जहां तक मुख्य काम का संबंध है, यह बहुत बड़े पैमाने पर होगा और यह लगातार होता रहेगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम इस काम को कब तक पूरा कर लेंगे, क्योंकि गहरा समुद्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगातार छिद्रण का काम होता रहेगा। मेरे विचार में तीन वर्षों में कम से कम कुछ तेल प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

श्री बी० वी० नायक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस तथ्य को देखते हुये कि बहुत बड़े क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है, इस देश में तट दूर छिद्रण कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण बम्बई के गहरे समुद्री क्षेत्र में और अधिक "सागर सम्राटों" का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह ठीक समझेंगे कि उस क्षेत्र में इस प्लेटफार्म छिद्रण को देखने के लिये एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल जाय ताकि हम स्वयं इस काम को होते देख सकें ?

श्री देवकान्त बरूग्रा : जहां तक कर्मचारियों की कमी का संबंध है, यह इस लिये है कि लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का ग्रवसर प्राप्त नहीं हुग्रा। किन्तु ग्राज कमी प्लेटफार्म की है, न कि कर्मचारियों की क्योंकि लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ग्रौर यह प्रमाणित हो चुका है कि हमारे तकनीकी कर्मचारी संसार में किसी भी देश की तरह ग्रच्छे हैं। इस विशेष जहाज़ का कप्तान एक भारतीय कप्तान सुलीकार है, यद्यपि यह काम ग्रमरीका के विशेषज्ञों के सहयोग से चल रहा है।

जहां तक उस क्षेत्र में संसद सदस्यों के जाने का संबंध है, मैं तो इस सभा का सेवक हूं ग्रौर यदि सदस्य वहां जाना चाहते हैं , तो निश्चित रूप से उनके वहां जाने का स्वागत किया जायेगा। उनके वहां जाने का प्रबन्ध हैलीकाप्टरों की उपलब्धता को देखते हुये किया जा सकता है।

श्री राजा कुलकर्णी : श्रीमान जी, सबसे पहले ग्रापको यह निश्चय करना होगा कि क्या दिये गए उत्तर तथा प्रश्न के बीच कोई संबंध है, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न ग्रधिकारियों के संघों से है ग्रौर उत्तर कर्मकारों के सम्बन्ध में है। ग्रभी तक गहरे समुद्र में कार्य कर रहे कर्मकारों द्वारा कोई ग्रान्दोलन नहीं किया गया है, जहां वे छिद्रण के काम में लगे हुए हैं। मैं भी वहां के कर्मकारों के संघों में से एक का ग्रध्यक्ष रहा हूं ग्रौर वहां कोई भी ग्रान्दोलन नहीं हुग्रा है, हालांकि वे मांगें करते रहे हैं जिनका मंत्री महोदय ने ग्रपने उत्तर में उल्लेख किया है। ग्रधिकारी संघों द्वारा ग्रान्दोलन किया जाता रहा है तथा इन्हीं के द्वारा काम बन्द करने की धमकी भी दी जाती रही है। विशेष रूप से यह प्रश्न तेल तथा प्राकृतिक गेस ग्रायोग के दो मुख्य संघों के बारे में किया गया है। ग्रब, इस का उत्तर नहीं दिया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या......

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न श्री काकोडकर ने किया ग्रौर उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दिया ग्रौर वे दोनों ही संतुष्ट हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं इसीलिये यह मामला उठा रहा हूं कि ग्राप को इस बात का निर्णय करना होगा कि क्या प्रश्न ग्रौर इसका उत्तर परस्पर सम्बद्ध हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर के बारे में चिन्तित नहीं हूं, क्योंकि सदस्य ग्रौर मंत्री महोदय, दोनों संतुष्ट हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : मेरा कहना यह है कि द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का संघ है। उन में भी उत्तेजना है.......

ग्रध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री राजा कुलकर्णी : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

ग्रध्यक्ष महोदय : वह तभी उठेंगे जब ग्राप बैठ जायेंगे।

श्री देवकान्त बरूग्रा : मेरा निश्चित विचार यह है, जैसा मैंने पहले कहा है, कि 'ग्रान्दोलन' शब्द का इस संदर्भ में प्रयोग बिलकुल ठीक नहीं है। किन्तु जब मैंने 'श्रमिक वर्ग' कहा था, तो मैंने ग्रधिकारियों को भी शामिल कर लिया था। चूंकि मैं जाति-प्रथा में विश्वास नहीं रखता, इसलिये मेरा यह विश्वास नहीं है कि ग्रधिकारियों ग्रौर कर्मकारों के बीच किसी प्रकार का वर्ग भेद हो।

एक माननीय सदस्य : कैसा चातुर्यपूर्ण उत्तर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कुमारी कमला कुमारी—उपस्थित नहीं हैं।

श्री बसंत साठे—वह भी नहीं हैं।

श्री एस० बी० पाटिल—वह भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक—अनुपस्थित।

श्री निहार लास्कर—

तट दूर तेल की खोज के लिए विदेशी तेल फर्मों को अनुमति देना

*538. **श्री निहार लास्कर :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर में तेल के लिये तट दूर छिद्रण के लिये कुछ विदेशी तेल फर्मों को अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां तो एसी विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) जी नही,। कुछ अपतटीय क्षेत्रों में तेल अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन कार्य हेतु, कुछ चुने हुए विदेशी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। इस समय इस सम्बन्ध में किसी के ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ख) **और** (ग) :—प्रश्न नहीं उठता।

श्री निहार लास्कर : बम्बई के गहरे समुद्र में हाल में मिले तेल को देखते हुये मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहां तेल पाये जाने की सम्भावना है, बड़े पैमाने पर कार्य करना उचित समझती है; और इस तथ्य को देखते हुये कि हमें अपने देश में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है और इसे प्राप्त करने में वर्षों लग जायगे; क्या विदेशी सहयोग तथा विशेष जानकारी प्राप्त करनें म शीघ्रता की जायेगी, ताकि हम अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सके ?

श्री देवकान्त बरूआ : हमारा ऐसा ही इरादा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो बातचीत इस समय की जा रही है, उसका उद्देश्य केवल विदेशी तकनीकी जानकारी तथा विशेष ज्ञान प्राप्त करना है अथवा विदेशी इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव भी हैं ?

दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन विदेशी फर्मों में से जिन के साथ वार्ता की जा रही है, कोई फर्म यह भी प्रस्ताव कर रही है कि पाये जाने वाले तेल का एक भाग निर्यात के लिये उन्हें दिया जाना चाहिये।

श्री देवकान्त बरूआ: वे छिद्रण ठेकेदारों अथवा छिद्रण हेतु सामान्य ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है। अतः किसी हिस्से की परिकल्पना नहीं की गई है। जहां तक यह प्रश्न है कि क्या उनमें तेल में से हिस्सा दिया

जाना चाहिये अथवा उन्हें केवल शुल्कों के रूप में भुगतान किया जाना चाहिये, इस बात के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार वे तेल का हिस्सा भी ले सकती हैं।

श्री देवकान्त बरूआ : मैं माननीय सदस्य की बात की पुष्टि नहीं करूंगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: भारत-सोवियत मैत्री संधि के एक खण्ड के अनुसार, तेल की खोज के मामले में सोवियत संघ से सहयोग एवं विशेष जानकारी प्राप्त की जानी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संधि के अनुसरण में सोवियत संघ की सरकार से कोई बात चीत कर रही है?

श्री देवकान्त बरूआ : उसके अनुसरण में तथा सोवियत संघ के साथ पूर्व के सहयोग को देखते हुए, हमने पहले ही तटदूर छिद्रण अर्थात् भारत के विभिन्न भागों में भूमि पर छिद्रण करने के लिये सोवियत संघ के साथ बड़े पैमाने पर समझौते किये हैं। हमारे क्षेत्र में तटदूर छिद्रण के लिये हमारा एक मात्र सहयोगी सोवियत संघ ही है? किन्तु जहां तक तट दूर छिद्रण का संबंध है, इस लाइन में सोवियत संघ को विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है और इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : बम्बई के गहरे समुद्र में छिद्रण का स्थान तट से काफ़ी दूर है और जहां तक मैं जानता हूं इस देश की जल सीमा से बाहर है। संयुक्त राष्ट्र में सागर-तल विवाद के नाम से विवाद चल रहा है। क्या "बाम्बे हाई" नाम के इस क्षेत्र में हमारे द्वारा छिद्रण का कार्य आरम्भ किये जाने पर किसी अन्य देश ने आपत्ति उठायी है, क्योंकि यह क्षेत्र खुले समुद्र में है? क्या कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय कानून है जो एक देश को रोकता है, ताकि हम उपयुक्त कार्यवाही कर सकें?

श्री देवकान्त बरूआ : यह एक ऐसा मामला है जिस पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। किन्तु एक बात निश्चित है। हमें इस पर गम्भीर आपत्ति है और हम किसी दूसरे देश द्वारा इन क्षेत्रों में छिद्रण किये जाने के किसी प्रकार के प्रयास का पूरी तरह विरोध करेंगे।

श्री एस० ए० शमीम : इस प्रश्न को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

गंडक परियोजना का पूरा होना

*540. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंडक परियोजना को पूरा करने के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी तिथि निर्धारित की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : गण्डक परियोजना पर कार्य के 1976-77 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know as to how many times target dates were changed since the inauguration of the Gandak Project and the reasons for not implementing the project within the target date? Will the Gandak Project, be completed within the target pierod of 1976-77 as finally fixed by the Government?

Shri Siddheshwar Prasad : This Gandak Project is being implemented by the Governments of U.P. and Bihar. We have been telling the House the facts which were based on the information conveyed the us in regard to to implementation date by the said Governments. We have now been told by the Governments of U.P. and Bihar that the Gandak Project is likely to be completed in 1976-77.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, in view of the facts that there is inflation, one hundred and twenty crores of rupees have already been spent on it, three-four lakhs acres of land is irrigated, the entire investment has been made by the Centre and all the Central Ministers say that there is joint responsibility I want to ask that keeping in view the highly inflationary trends do they intend to complete this Project by the fixed target dates as told by him ? Or do they want to increase the inflation ? I want to know this.

Shri Siddheshwar Prasad : So far as this question is concerned, we are trying our best to see that this Project is completed by 1976-77. So far as the question of price increase is concerned, it is a very complicated question and so I have not to say any thing in this regard.

Shri Bibhuti Mishra : I rise on a point of order. Inflation has been increasing, prices have been increasing. Please get me the reply to my question as to whether this Project would definitely be completed by the fixed target date. If they do not complete it and even do not reply to it, who is responsible for it ?

Mr. Speaker : There is no question of point of order. Hon'ble Minister can say something more, if he wants.

Shri Bibhuti Mishra : The amount is being spent by the Central Government. If they cannot get it completed, who is responisible for it ?

श्री ए० पी० शर्मा : हमें यह बताया गया है कि यदि बिहार सरकार प्रस्ताव करे या सिफारिश करे, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को शुरु किया जायेगा। श्रीमान् जी, जहां तक हम जानते हैं बिहार के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को पहले ही लिख दिया है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को शुरु करने का निर्णय किया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस मामले को सभा में पहले ही उठाया जा चुका है और इसका उत्तर दिया जा चुका है। श्री विभूति मिश्र द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न के संबंध में योजना मंत्री ने कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बिहार के हैं और माननीय सदस्य भी बिहार के हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : इस सभा में हमें आश्वासन दिया गया था कि ऐसा किया जायेगा बशर्ते कि बिहार सरकार सहमत हो जाये और अब सरकार ने उत्तर दिया है कि उसने विचार कर लिया है और उसने ऐसा न करने का निर्णय किया है।

Shri D. N. Tiwary : Gandak Canal flows through Saran District. No work is being done there for the last 4-5 months. Whole of the staff is sitting idle with no work.

Secondly, efforts are being to made construct the main canal, but subsidiary canals are not being constructed. Because of this, fields are not being irrigated. May I know whether the Honble Minister would see that the subisidiary canals are constructed so that the fields may be irrigated.

Shri Sidheshwar Prasad : We discussed the question raised by the Honb'le member with the officials and the Chief Engineer who came here and there people told us that last year this work could not be attended to properly because the plan allocation had been slashed. Now the Hon'ble member has mentined about the main canal and its subsidiary canal. The work regarding this would be started expeditiously.

श्री प्रबोध चन्द्र : अनेक परियोजनाओं का काम अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण रुका पड़ा है क्या इन परियोजनाओं को शुरु करने तथा उन्हें पूरा करने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि इसमें विलम्ब न हो जिसके कारण देश को अरबों रुपयों की हानि हो रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सिंचाई का विषय राज्य का है और इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना होता है। यदि अन्तर्राज्यीय विवाद होते हैं तो हम ऐसी समस्याओं को निपटान तथा उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इनका समाधान हो जाने के पश्चात जब ऐसी परियोजनाएँ तैयार हो जाती हैं तो उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना होता है।

Percentage of increase in Freight and Passenger Fare

†

*541. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the per kilometre freight and per passenger per kilometre fare in IIIrd class charged by the Railways in 1970 and at present, separately ;

(b) the percentage of increase or decrease in the above raise in 1972-73; and

(c) if the Railway freight and fares went up, the steps proposed to be taken to provide more amenities keeping in view the welfare of the common people ?

The Deputa Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

(a) &(b): Average Earnings per Freight tonne Kilometre and per 3rd Class Passenge per Kilometre and percentage of increase in 1972-73 over 1970-71.

	1970-71 (Paise)	1972-73 (Paise)	Percentage increase in 1972-73 over 1970-71
Average earnings per tonne-kilometre. .	5.43	5.74	5.71
Average earnings per 3rd class passenger per kilometre.			
Mail.	2.92	2.96	1.37
Ord.	1.98	2.02	2.02

(c) The following steps are being taken to provide more amenities to the common man :—

(i) Provision of more waiting-halls.

(ii) arrangement for cool drinking water.

(iii) opening of additional booking windows.

(iv) introduction of Jayanti Janta trains.

(v) running of additional trains/augmenting loads of existing trains.

(vi) setting up of announcement booths at stations.

Shri Atal Bihari Vijpayee : It becomes clear from the statement laid on the Table of the House that third class fare has been increased by 1.37 percent per kilometre as compared to that in 1970-71. Moreover, ordinary fares have been increased by 2.02 per cent. I want to know whether the Government has decided that the income earned from the increase in third class fares would be utilised only for the provision of amenities to the third class passengers ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I want to say that like the increase in 3rd class fare, the increase in fares of second class, which was operating earlier, SC Chair Car and ACC Chair car have been effected by 12, 9 and 10 per cent respectively. Whatever amount we receive, that would be utilised providing amenities for not only 3rd class passengers, but for all the passengers.

Shri Atal Bihari Vajpayee : One of the amenities mentioned in the statement is the increase in the number of counters for selling tickets to third class passengers. May I know whether it is an amenity and whether it is not the duty of the Railways to provide sufficient number of ticket selling-countres ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : When there are long queues at the ticket selling counters, the people are put to inconvenience. So, for their convenience, there should be more such counters.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether you are satisfied with his answer

Mr. Speaker : you should be satisfied. You should not include one in it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please allow me to ask one more question. The Hon'ble Minister has mentioned about new amenities. The people who have so far been travelling by third class will henceforth travel in second class. Will they not be feel convenient ? Why, then, a mention should not be made of that ? That should also be mentioned.

Mr. Speaker : When they stage Satyagraha at Railway Stations what amenities would be provide to them ?

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान् जी, मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा रेलवे आरक्षण समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया था तथा उन पर विचार किया गया था । यदि हां, तो मुझे यह भी बताया जाये कि क्या उन्हें कार्यान्वित भी किया गया है। सीटों की बुकिंग और आरक्षणों के मामले में हेराफेरी हो रही है। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबन्ध में इन सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समिति ने एक अन्तरित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया जा चुका है और शेष के बारे में विचार किया जा रहा है।

Shri R. P. Yadav : In tne recent past, it was reported in the newspapers that reservations could be made one year in advance. I had gone to Bombay. There I saw that the people were sleeping on the Platform to get tickets for others or to make some money out of that. I want to know whether it is convenience or inconvenience ?

Shri Mohd. Shaffi Qureshi : At present this recommendation is being implemented on experimental basis. If it proves successful, it would be continued otherwise it would be discontinued.

जल तापीय ग्रौर परमाणु बिजली परियोजनाग्रों से बिजली पैदा करना

*544. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी पनबिजली, तापीय बिजली (डीजल ग्रौर कोयले पर ग्राधारित ग्रलग-ग्रलग) ग्रौर परमाणु बिजली परियोजनायें इस समय वास्तव में बिजली पैदा कर रहीं हैं ग्रौर सामान्यतः एक वर्ष में प्रत्येक में कितनी बिजली पैदा होती है;

(ख) इन तीनों श्रेणियों में कौन-कौन सी बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन है ग्रौर प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या होगी ग्रौर वे कब तक पूरी हो जायेगी; ग्रौर

(ग) इनमें से पांचवीं योजना में कौन-कौन सी बिजली परियोजनाएं शामिल की गई हैं ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6600/74]**

श्री शंकर राव सावंत : क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु संयंत्र में कुछ गड़बड़ी पैदा होती रही है ग्रौर यदि हां, तो क्या ग्रब उसे दूर कर दिया गया है ? यह समाचार मिला है कि तारापुर परमाणु संयंत्र का डिजाइन गलत ढंग से तैयार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बात सच है ग्रौर उसे ठीक कर दिया है।

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : तारापुर संयंत्र में समय-समय पर कुछ गड़बड़ी पैदा होती रही है ग्रौर एक कारण जिसका पता लगाया गया है वह यह है कि बाहर पारेषण लाइनों में कुछ तबदीली करने की ग्रावश्यकता है, जहां पारेषण लाइनों का मेन लाइनों के साथ जोड़ा जाये ग्रौर ऐसा किया जा चुका है। मशीनों के संबंध में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं; जिनके बारे में सभा में समय-समय पर चर्चा होती रही है। किन्तु तारापुर संयंत्र ग्रधिकांशतः बहुत सी ग्रच्छे ढंग से चलता रहा है। किन्तु हाल ही में पुनः इसमें कुछ खराबी हुई है।

श्री शंकर राव सावंत : क्या यह सच है कि इस परमाणु संयंत्र का डिजाइन गलत ढंग से तैयार किया गया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : डिजाइन के बारे में कुछ कठिनाई पैदा हो गयी थी, जिस पर पहले भी सभा में चर्चा हो चुकी है। किन्तु उसे कुछ मास पूर्व दूर किया जा चुका है।

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री जदेजा। माननीय सदस्य यहां नहीं हैं। प्रश्न सूची ग्रौर प्रश्न काल दोनों समाप्त हो चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पेट्रोल के साथ पावर अल्कोहल मिलाने के सुझाव को रद्द करना

*526. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाहन चलाने के लिये पेट्रोल के साथ पावर अल्कोहल को मिलाने का सुझाव रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख). देश में इस समय अल्कोहल अधिशेष नहीं है। उद्योगों पर आधारित अल्कोहल की मांग को भी पूरा करना कठिन हो रहा है। जब कभी कोई अधिक मात्रा उपलब्ध हो तो स्थिति पर पुनर्विचार किया जायगा।

'बिटूमैन' के मूल्य में वृद्धि और उसकी उपलब्धता

*529. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छः मास में बिटूमैंन का मूल्य 740 रुपये प्रति टन से बढ़कर 970 रुपय प्रति टन हो गया है तथा भविष्य में इसकी उपलब्धता अनिश्चित दीखती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) एक विवरण-पत्र जिसमें पिछले 6 महीनों के दौरान बिटूमैन ग्रेडों के मूल्यों में की गई वृद्धियों का उल्लेख है, सभा पटल पर रख दिया गया है ।

देश की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरी करने के लिये बिटूमैन का उत्पादन करने के लिये शोधनशालाओं में पर्याप्त क्षमता है। तथापि, बिटमैन की वास्तविक उपलब्धि कच्चे तेल तथा भट्टी के तेल की आयात की गई मात्राओं पर निर्भर करेंगी।

(ख) बिटूमैन ग्रेडों के मूल्यों में वृद्धि, जैसा कि अन्य पेट्रोलियम उत्पादन के बारे में किया जाता है, आयातित कच्चे तेल के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण करनी पड़ती है। कच्चे तेल के वर्तमान ऊंचे मल्यों के संदर्भ में, किसी पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें बिटूमैन भी शामिल है, के मूल्य में कमी करना संभव नहीं है ।

विवरण

पिछले 6 महीनों के दौरान बिटूमेन ग्रेडों के बम्बई में मूल अधिकतम विक्रय मूल्य

रुपये/म०ट०

	1.10.73 को	3.11.73 को	23.1.74 को	1.3.74 को	2.3.74 को
बिटूमैन स्टेट ग्रेड					
(क) प्रपुंज	280.91	316.26	370.82	575.82	615.82
(ख) पैक्ड	554.88	590.23	794.79	809.79	849.79
बिटूमैन कटबैक्स					
(क) बी०एस० ग्रेड	653.79	703.27	978.57	998.57	1038.57
(ख) आर०सी० ग्रेड	672.88	729.28	1039.07	1059.07	1099.07

कायमकुलम-एर्नाकुलम बड़ी लाइन पर कार्य

*531. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने पहले ही कायमकुलम-एर्नाकुलम बड़ी लाइन (97 कि० मी०) का सर्वेक्षण कर लिया है;

(ख) क्या इस लाइन की महत्ता को देखते हुए, राज्य विधान सभा ने 22 जून, 1973 को अपनी बैठक में इस विषय पर सर्व-सम्मति से एक गैर-सरकारी संकल्प पारित किया था और इसके क्रियान्वयन संबंधी कार्य को पूरा करने के अनुरोध करते हुए उसे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के पास भेज दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के तत्काल क्रियान्वयन के लिये इस मामले पर नये सिरे से विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) केरल की विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की प्रति मिलने पर, कायमकुलम से एरणाकुलम तक बड़ी लाइन के निर्माण की परियोजना की फिर से जांच की गयी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं योजना में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नयी लाइनों की सूची में उसे शामिल कर लिया गया। यह सूची योजना आयोग के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गयी कि इन लाइनों का निर्माण शुरू करने के लिए अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जाये। लेकिन, आयोग ने अब तक, अपेक्षित राशि का आबंटन नहीं किया है अतः इस योजना को क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका है।

Railway line from Chittaurgarh to Kota (Rajasthan)

*532. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey had been conducted and sanction given for constructing a railway line from Chittaurgarh to Kota (Rajasthan); and

(b) if so, whether construction work on this line will be completed-during the Fifth Five Year Plan period ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). The Railway Board accorded approval to the Rajasthan Government for taking up of the construction of a line from Chittaugarh to Kota (Rajasthan) in 1949 for which survey had been carried out by the Ex. M.S. State Railway, Udaipur in 1947. The project was not taken up due to the impending merger of the State Railway with the Western Railway. The record of the project was lost after the merger and a fresh Engineering-cum-Traffic Survey was conducted in 1955-56 but the proposal was not found viable. On receipt of representations from the Members of Parliament and the State Govt., subsequent survey and appraisal were made during 1966 an d 1969-70 respectively but the project was not found to be remunerative again.

However, on receipt of a recent communication from the Chief Minister of Rajasthan, the survey of another Project from Ratlam to Banswara has been hproved to be taken up on priority.

Inconvenienc to Employees due to Absence of Train Service at Bina

*533. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Jayanti Janta Express is not stopped at Bina; and

(b) if so, does it not cause inconvenience to the employees working in Kota and nearby areas in catching the train for their hometowns in Cochin and Kerala ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) &(b) A pair of Jayenti Janta Express was introduced with effect from 26th January 1973 between New Delhi and Mangalore/Cochin to provide quick service for long distance 3rd class

passengers. 131 Dn does not stop at Bina. 132 Up Jayanti Janta Express stops at Bina for watering the carriages only but the passengers are not allowed to entrain/detrain there. However, employees working in Kota and nearby areas desirous of going to Cochin and Kerala areas can travel by 16 UP/15 Dn G.T./A.C. Express which have scheduled stop at Bina.

भारतीय रेलवे में दूसरी श्रेणी समाप्त करना

*535. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृता करेंगे कि :

(क) क्या सभी मेल तथा यात्री गाड़ियों में दूसरी श्रेणी समाप्त कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो दूसरी श्रेणी समाप्त करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क). जी हां, 1-4-1974 से।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई क्षमता के विकास के बारे में सिंचाई आयोग की सिफारिश

*536. **श्री बसन्त साठे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का पता लगाया है तथा इन क्षेत्रों को सिंचाई क्षमताओं के विकास के लिए तथा इन क्षत्रों में सूखा की स्थिति को दूर करने के लिए विशेष उपायों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों को प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र माना गया है तथा इन क्षेत्रों से सूखा की स्थिति को दूर करने तथा वहां की सिंचाई क्षमताओं का उपयोग करने के लिए इस आयोग ने क्या सिफारिश की है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सिंचाई आयोग द्वारा सूखाग्रस्त अभिज्ञा किए गए क्षेत्र उपाबंध में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 6601/74]

सिंचाई आयोग ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं की सिफारिश की हैं :—

(1) सिंचाई कार्यों का सुधार ताकि वर्तमान सिंचाई को कायम रखा जा सके और उपलब्ध सप्लाई के साथ सिंचाई का विस्तार किया जाए।

(2) सिंचाई कार्यों जिनको हाथ में लिया गया है, शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करना ; और

(3) तलवर्ती और भूतल जल से और उन क्षेत्रों को सेवित करने के लिए जहां तलवर्ती एवं भूतल जल दोनों की कमी है, जल के अन्तः बेसिन विनिमय के जरिए सिंचाई को बढ़ाने की और संभाव्यताओं का अनुसंधान करना।

(ग) पांचवीं योजना में पहले से प्रचालन में परियोजनाओं के सुधार के लिए जोर देने का प्रस्ताव है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण की जा रही सभी मध्यम एवं अधिकांश बृहत संतत स्कीमों को पूरा करने का प्रस्ताव है। नई स्कीमों को हाथ में लेते हुए उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ होगा।

मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स में काम कर रहे कन्नड़भाषी तथा अन्य लोग

*537. **श्री ए० बी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स में कितने कन्नड़भाषी लोग काम करते हैं;

(ख) वहां काम करने वाले कुल व्यक्तियों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा अपनाई जा रही रोजगार नीतियों से संतुष्ट है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). इस कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 428 में से 385 व्यक्ति कन्नड़ भाषी हैं।

(ग) निजी नीति एक ऐसा मामला है जो कंपनी के अपने क्षेत्राधिकार में आता है तथा यह कंपनी एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम नहीं है।

कोयला लाने ले जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार का नोट

*539. **श्री रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें रेलवे द्वारा कोयला लाने व ले जाने के बारे में आलोचना की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क). जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत दो निर्वाचनों में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किये गये मत

*542. **श्री अम्बेश** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में हाल में निर्वाचन हुए हैं वहां विधान सभाओं के पिछले निर्वाचनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट दल, कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) तथा भारतीय क्रांति दल को अलग-अलग प्राप्त हुए मतों की संख्या उनमें से प्रत्येक को इनसे पहिले के निर्वाचन में प्राप्त हुए मतों की संख्या की तुलना में कम है या अधिक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 6602/74]

तेल संकट के बाद कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों की मांग और पूर्ति संबंधी स्थिति

*543. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी तेल संकट के बाद सरकार ने कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों की मांग देश में उनके उत्पादन आयात और पूर्ति संबंधी स्थिति का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या हैं;

(ग) देश की मंडी में नेप्था पर भारी ड्यूटी लगाने के बाद सरकार का स्थिति का किस प्रकार सामना करने का विचार हैं; और

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी ड्यूटी लगाने से रसायनों के मूल्य बढ़ जायेंगें और यदि हां, तो कहां तक और सरकार इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख) 1974-75 के लाइसेंसिंग अवधि के दौरान कार्बनिक एवं गैर कार्बनिक दोनों रसायनों का आयात नई आयात नीति जिसको तैयार किया जा रहा है, के अन्तर्गत होगा। रसायनों का आयात, पेट्रोलियम पर आधारित रसायनों सहित, समय समय पर अनिवार्यता की आवश्यकता की मात्रा, इनकी विश्व बाजार में उपलब्धता तथा हमारे अपने विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में किये गये मूल्यांकनों पर निर्भर करेगा।

(ग) रसायन उद्योग पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए 26-3-1974 से प्रयोग के लिए नेप्था के विक्रय मूल्य को उर्वरक के लिए प्रयोग में लाने के अतिरिक्त, कम किया गया है।

(घ) शुल्क में वृद्धि अथवा मूल्य वृद्धि का विभिन्न पेट्रोलियम पर आधारित रसायनों के बढ़े हुए मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि एसे मूल्य वृद्धि के सही आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात में समुद्र द्वारा भूमि कटाव

*545. **श्री डी० पी० जदेजा**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्र तट में समुद्र द्वारा भूमि कटाव नए क्षेत्रों में फैल रहा है तथा अधिकाधिक रूप से बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के समुद्र तट में समुद्र द्वारा भूमि कटाव को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार के अनुसार गुजरात में समुद्र कटाव की कोई गंभीर समस्या नहीं है। केवल कुछ बिखरे-बिखरे स्थल ही प्रभावित हुए हैं और उपयुक्त सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है।

इराक की नेशनल आयल कम्पनी द्वारा भारतीय लोगों की भर्ती

5287. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1973 के दौरान ईराकी नेशनल आयल कम्पनी के एक भर्ती दल द्वारा भारत में अनेक भारतीयों का साक्षात्कार लिया गया था तथा इन्हें भर्ती किया गया था;

(ख) क्या चुने गये और ईराक जाने वाले व्यक्तियों के नामों तथा उन व्यक्तियों के साथ किये गये ठेकों की सामान्य शर्तों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रिकों को ईराकी मुद्रा में अधिकतम 250 दीनारों की पेशकश की गयी है जबकि ईराक में उसी तरह के कार्य करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के माध्यम से लिये गये अन्य राष्ट्रिकों को ईराक सरकार द्वारा 400 से 600 दीनार की राशि दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मामले के संबंध में ईराक सरकार के साथ बातचीत करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रत्याशियों का चयन अनन्तिम रूप से किया गया है उनकी सूची प्राप्त हुई है, जो निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री एम० एम० ए० खान
2. श्री के० एम० शर्मा
3. श्री एच० के० महाजन
4. श्री टी० एस० गिल
5. डा० एम० के० इन्दिरा
6. श्री आर० डी० बदगयां
7. श्री जी० आर० सिंह
8. श्री वी० एस० भण्डारी
9. श्री सुख देव सिंह
10. श्री आत्मा सिंह
11. श्री एम० एस० भटनागर
12. डा० आर० सी० फलेरिआ
13. श्री ब्रज नंदन
14. श्री पी० एन० सरीन
15. श्री एच० एम० गुलावनी
16. डा० एच० सी० गांगुली
17. श्री आर० एम० मौतियाल
18. श्री एम० जे० सलदाना
19. श्री एम० ए० अनन्त
20. श्री ए० सुब्रामणयम
21. श्री वी० के० बक्शी
22. श्री एच० के० जैन
23. डा० एच० प्रकाश

प्रत्याशियों को उनके चयन किये जाने की सूचना दे दी गई है। रोजगार को स्वीकार करने वाले प्रत्याशियों के नाम और उन व्यक्तियों द्वारा की गई संविदा की प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) : इन प्रत्याशियों को दिए गए प्रतिमास वेतन में ईराकी दीनार 176 से 286 नक अन्तर है। ईराकी सरकार द्वारा उसी कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता की मार्फत अन्य राष्ट्रों के लोगों को 400 से 600 ईराकी दीनार तक की आफर के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

शराब की भट्टियों की संख्या तथा उनकी क्षमताओं संबंधी आंकड़ों में अन्तर

5288. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बात जानती है कि औद्योगिक अलकोहल के मूल्यों के बारे में जांच के दौरान प्रशुल्क आयोग के सामने शराब की भट्टियों की संख्या तथा उनकी अधिस्थापित क्षमताओं के संबंध में तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा तथा अखिल भारतीय शराब भट्टी संघ द्वारा पेश किये गये आंकड़ों में काफी अधिक अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दी गई सूचना उस संगठन के साथ पंजीयत एककों से सम्बन्धित है जबकि आल इन्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई मद्यनिर्माणशालाओं की संख्या अपने सदस्य एककों से सम्बन्धित है जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय के साथ पंजीयत मद्यनिर्माण-शालाएं और अन्य जो अनुमानता लघु उद्योग क्षेत्र में आती हैं और जो राजकीय आबकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हैं; शामिल है। अवरोक्त के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

भारतीय उर्वरक निगम को नियंत्रक कम्पनी का रूप दिया जाना

5289. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्योगों संबंधी कार्यवाही समिति ने भारतीय उर्वरक निगम को एक नियंत्रक कम्पनी में बदलने तथा क्षेत्रीय संयंत्रों का स्वातः शासी कम्पनियों के अन्तर्गत वर्गीकरण करने की सिफारिश की हैं; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चरणबद्ध रीति से भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन की कुल योजना के एक भाग के रूप में समिति ने सिफारिश की है कि कार्पोरेशन ब्रोर्ड का अंतिम काम यह होना चाहिए कि वह धारक कंपनी के रूप में कार्य करे। अन्ततोगत्वा समिति ने भी विभिन्न संयंत्रों के कार्य संचालन के लिए क्षेत्रीय कंपनियों के गठन करने की सिफारिश की है।

(ख) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए निर्वाचन

5290. श्री **अम्बेश** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उम्मीदवारों के नाम निर्वाचन क्षेत्रवार क्या हैं जिन्होंने फरवरी, 1974 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए निर्वाचन लड़ा था;

(ख) निर्वाचन क्षेत्रवार कितने मत डाले गए;

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्रवार कितने मत प्राप्त हुए; और

(घ) निर्वाचन क्षेत्रवार कितने मत अवैध घोषित किये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'बल्क' औषधियों के 'फार्मूलेशनस' के मूल्यों का निर्धारण

5291. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत 'फार्मूलेशनस' के मूल्यों के निर्धारण के लिये 'वल्क' औषध लागत भी एक कारण है;

(ख) क्या कुछ विदेशी फर्में अपनी पसंद के स्त्रोतों से 'बल्क' औषधियों का आयात उन मूल्यों पर करती है, जो बिल्कुल भी प्रतियोगी नहीं होते;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं और संबंधित फर्मों के नाम क्या हैं; और

(घ) भारतीय औषधि उद्योग के विकास के लिये सरकार इस कदाचार को किस प्रकार रोकना चाहती है और मूल्य नियंत्रण आदेश का उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम की मार्फत जिन प्रपुंज औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के आयात को सारणीबद्ध नहीं किया गया है केवल ऐसी प्रपुंज औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों का आयात औषध और भेषज एककों द्वारा किया जाता है चाहे वे भारतीय हो अथवा विदेशी हों। आयातित प्रपुंज औषधों के मूल्य इस प्रकार की सामग्रियों की सप्लाई के स्त्रोतों पर निर्भर करते है।

निम्नलिखित प्रमुख दृष्टान्त ये है। जिनका विवादास्पद औषधों के आयात को सारणीबद्ध किए जाने के बाद पता चला था कि इनका मूल्यों से अधिक मूल्यों पर आयात किया जा रहा है। जिन मूल्यों पर राज्य व्यापार निगम उनको प्राप्त करने में समर्थ थी।

क्रम संख्या फर्म का नाम	औषध
1. मैसर्स होचेंस्ट फार्मस्यूटिकल लि०	फर्सेमिड और पिनीलेमिन लैकटो
2. मैसर्स अबाट लेबोरेटीरीज	इरिथोमाइसीन स्टीयरेट
3. मैसर्स स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रैंच	फम्रूरेशन
4. मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोहेमे	इण्डोनेथासिन

(घ) उचित मूल्यों पर वास्तविक उपयोग कर्ताओं के लिए आयातित प्रपुंज औषधों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, अधिक से अधिक मदों, मुल्यों पर निर्भर होने वाली अनिवार्य प्रपुंज औषधों को सारणीबद्ध किया जाता है।

औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

5292. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नियंत्रण कार्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंप देने के कारण औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेशों के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के लिये प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की मंजूरी में और अधिक विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो शीघ्र मंजूरी देने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) लागत और मूल्य निर्धारण में विशेषज्ञ निकाय के रूप में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन औषधों का मूल्य निर्धारित करने के लिए आवेदनों को शीघ्र निपटाने में समर्थ होगा।

Construction of Dam across the Sind river in Sheopuri District of Madhya Pradesh

5293. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to State :

(a) the date on which the Prime Minister laid the foundation stone of the dam to be constructed across the Sind river in Sheopuri District of Madhya Pradesh for irrigation purposes;

(b) the progress made so far in the construction of this project; and

(c) the outlay involved in this project, the results proposed to be achieved therefrom and the targeted time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad):

(a) 7th January, 1972.

(b) & (c) The Sindh Project (Phase I) estimated to cost Rs. 4.95 crores, is planned to stabilise existing irrigation to 30,200 ha. and provide new irrigation of 22,800 ha. Construction of the headworks and the canal system is in progress. An expenditure of about Rs. 1.15 crores has already been incurred. The project is expected to be substantially completed by the end of the Fifth Plan.

Conversion of Gwalior-Bhind narrow gauge line into broad guage

5294. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the action being taken by the Railway Administration to fulfil the forceful demand of the people for converting Gwalior-Bhind narrow gauge railway line on the Central Railway in Gwalior area of Madhya Pradesh into broad gauge line and for extending it upto Etawah;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Railway Board now to fulfil the assurances given by the Railway Minister in 1969 and 1970 in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):(a) The question of conversion of Gwalior-Bhind narrow gauge line to broad gauge was examined by the Uneconomic Branch Lines Committee in 1969. This Committee did not recommend the gauge conversion or extension of this branch line.

(b) The level of traffic on the branch line does not justify its conversion at the present stage.

(c) No specific assurance has been given by the Ministry of Railways for gauge conversion of this line in the past.

Electrification of Railway Platforms on Northern Railway

5295. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of platforms on the Northern Railway at present where electric lights have not been provided;

(b) the arrangements made by Government to electrify the railway platforms there during the current financial year; and

(c) Government's future plan in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) 546 stations are not electrified on the Northern Railway.

(b) 35 stations are expected to be electrified in 1974-75.

(c) As and when low tension power supply becomes available in the vicinity, electrification of other stations will be considered.

Proposed Over-Bridges to be Constructed In Uttar Pradesh During 1974-75

5296. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of new-over-bridges proposed to be constructed by Government in Uttar Pradesh during the financial year, 1974-75;

(b) the number of over-bridges for the construction of which the State Government have submitted proposals to the Central Government; and

(c) the expenditure proposed to be incurred by Government on the construction of new bridges and over-bridges in the State during the financial year, 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) No new work of road over-bridges in place of existing level crossings in Uttar Pradesh State has been included in the 1974-75 Budget. However, 8 road over-bridges in place of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1974-75 Budget.

In addition to the throw-forward works mentioned above, there are 17 more proposals from the State Government for construction of road over/under bridges. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

Railway's share of expenditure on construction of road over-bridges in Uttar Pradesh State during 1974-75 is expected to be Rs. 14.38 lakhs.

In addition, there are proposals for 11 works of road over/under bridges to be constructed by the Railways as 'deposit works' at the cost of the State Government/Road Authority. Two such works are in progress and other 9 are in various stages of investigation and planning.

Electrification of railway Platforms on Eastern railway

5297. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of platforms on the Eastern Railway at present where electric lights have not been provided; and

(b) the arrangements made by Government to electrify the Railway platforms there during the current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Platforms in 246 stations have not been electrified yet.

(b) During 1974-75, platforms in 4 stations are expected to be electrified.

Electrification Of Railway Platforms on Western Railway

5298 Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of such platforms in Western Railways as have on arrangement for electric lights at present; and

(b) the arrangement made by Government in the current financial year for providing electric lights at the Railway platforms there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi: (a) Platforms in 739 stations on Western Railway are not electrified at present.

(b) During 1974-75 platforms in 27 stations are expected to be electrified.

बाण सागर बांध परियोजना

5299. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 में बाण सागर बांध परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सोन के जल के विभाजन पर राज्यों के बीच हुए समझौते की रोशनी में संशोधित वाण सागर स्कीम के लिए परियोजना रिपोर्टों की मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

रीवां टाउन को सतना के साथ जोड़ना

5300. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीवां टाउन को सतना के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ;

(ख) क्या हरपालपुर-छतरपुर-पन्ना-सतना-रीवा-मौगंज-हमिना-मिर्जापुर का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रीवा के रास्ते सतना से व्योहारी तक नयी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट विचाराधीन है। रिपोर्ट की जांच हो जाने के पश्चात इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ?

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) धन की कमी और पर्याप्त यातायात के औचित्य के अभाव में फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

थीन बांध का निर्माण

5301. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के निर्माण के संबंध में संबंधित राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या पाकिस्तान को बहकर जाने वाले जल का उपयोग करने के लिए कोई वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) पंजाब सरकार द्वारा इसके निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेने की उत्सुकता तथा उसके द्वारा सर्वेक्षण पर किये गये लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च के संदर्भ में कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। सम्बद्ध राज्यों के बीच मैतक्य लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं :

(ख) मानसूनों के दौरान बाढ़ जल के अलावा, रावी जल का भारत में उपयोग किया जा रहा है। पौंग में व्यास बांध के पूर्ण होने पर और वर्तमान माधोपुर व्यास लिंक की सहायता से मानसून के अतिरिक्त जल का अधिकांश भाग को समुपयोजित किया जाएगा । केवल लगभग एक मिलियन एकड़ फुट अर्थात रावी के कुल बहाव का 15 प्रतिशत जल मानसूनों के दौरान पाकिस्तान को बह जाएगा । थीन बांध के पूर्ण होने पर इसका पूर्णतः समुपयोजन किया जाएगा।

(8) निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर सम्बद्ध राज्यों में मैतक्य होते ही थीन बांध को स्वीकृति दे दी जाएगी ; ।

जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान कोयले की कमी के कारण निलम्बित की गई गाड़ियां

5302. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान कोयले की कमी के कारण कितनी यात्री गाड़ियां निलम्बित की गईं ; और

(ख) रेलवे के कौन से जोन को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर यथा समय रख दी जायेगी ।

जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान गाड़ियों का पटरी से उतर जाना और रेल दुर्घटना

5303. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सभी जोनों में जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान कितनी गाड़ियां पटरी से उतरीं या दुर्घटनाग्रस्त हुईं ; और

(ख) क्या सरकार ने उनके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जनवरी और फरवरी, 1974 में भारतीय सरकारी रेलों पर गाड़ी की टक्करों, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 122 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में से 82 मामले गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के थे।

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है। इन दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(i) रेल कर्मचारियों की गलती .	63
(ii) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	21
(iii) रेल उपस्कर की खराबी .	18
(iv) आकस्मिक .	7
(v) जिनके कारणों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है	13
जोड़ .	122

राजस्थान में स्टेशनों पर पेय-जल तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव

5304. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

श्रीमती कृष्णाकुमारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां प्लेटफार्मों पर 'शेड' नहीं हैं;

(ख) ऐसे स्टेशन कितने हैं जहां पेय-जल की व्यवस्था नहीं है तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए रात्रि के समम छत के नीचे सोने की सुविधा नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उचित समय के अन्दर राजस्थान के रेल यात्रियों को ये न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो ये सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राजस्थान में सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय और/या प्लेटफार्मों पर छत के रूप में छतदार स्थान उपलब्ध है।

(ख) राजस्थान में सभी रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था है। केवल कुछ यात्री स्टेशनों पर अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है क्योंकि यह न्यूनतम बुनियादी सुविधा नहीं है। भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित छतदार स्थान का इस्तेमाल प्रतीक्षारत यात्रियों द्वारा रात को भी किया जाता है।

(ग) राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से, कार्य क्रमबद्ध आधार पर की जाती है बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो। यह एक सतत प्रक्रिया है।

कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने की बढ़ायी गयी क्षमता का पूरा उपयोग

5305. **श्री बयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के तेल शोधक संयंत्र के विस्तार के दूसरे चरण के, जिसे अगस्त 1973 के महीने में पूरा कर लिया गया था, परिणामस्वरूप बढ़ी उत्पादन क्षमता का अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है कि इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नौवहन ठेकेदारों--मैसर्स ट्रिटोन शिपिंग इंकारपोरेटेड, जिनके साथ शोधन शाला ने एक दीर्घकालीन माल-संविदा ठेका किया था, ने मई, 1973 में अचानक और एक-पक्षीय रूप से ठेका समाप्त कर दिया था। टैन्कर मार्किट के दुर्लभ हो जाने के कारण, शोधनशाला को परिवहन संबंधी वैकल्पिक प्रबन्ध करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तब से इस नौवहन ठेकेदार के विरुद्ध उपयुक्त् कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी बीच एक अन्य पार्टी के साथ, जो शोधनशाला के लिए कच्चे तेल के परिवहन के लिए माल ढोने संबंधी क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है, के साथ एक माल-संविदा ठेका किया गया है। यथा संभव सीमा तक टैन्कर स्थल पर भी किराये पर लिये जाते हैं। इन उपायों से, जब तक कि किन्हीं अन्य कारणों से रुकावट न हो जाये, योजनाबद्ध क्षमता के बेहतर प्रयोग के उत्तरोत्तर प्राप्त किये जाने की आशा है।

IMPLEMENTATION OF SUKTA RIVER PROJECT IN MADHYA PRADESH

5306. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state: the progress made after January, 1974 in regard to the implementation of the Sukta River Project in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): The scheme is still under technical examination in the Central Water and Power Commission.

REMOVAL OF SHORTAGE OF WAGONS ON CENTRAL RAILWAY

5307. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the steps taken to remove the shortage of Wagons in the Railways particularly in the Central Railway ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : There has been no shortage of wagons as such on Indian Railways. The availability of wagons for loading has, however, been affected due to a variety of causes such as civil disturbances, bundhs, labour strikes and staff agitations, deterioration in law and order situation in certain sectors, power shedding affecting train running, unusual floods, breaches, etc., which create an atmosphere of artificial scarcity of wagons. If normal conditions prevail, there is no difficulty for Railways to meet the various demands for wagons. On Central Railway, however, the average daily originating loading during April' 73 to Feb. '74 was 2390 wagons as compared to 2382 wagons in the corresponding period of 1972-73.

TARGET FIXED FOR POWER GENERATION IN FIFTH PLAN

5308. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the financial and physical targets fixed in the Fifth Five Year Plan for power generation in the country; and

(b) the action proposed to be taken to achieve them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Power Programme in the draft Fifth Five Year Plan envisages the addition of 16.55 million KW of installed generating capacity in the country. The financial outlay provided for the power generating programme in the Fifth Plan is Rs. 3324 crores.

(b) The main steps being taken to achieve the targets are :

(i) Restructuring of the electricity industry with a view to improve its capability to achieve targets and remove past shortcomings.

(ii) Changing procedures so as to ensure timely and adequate availability of all required inputs, including funds.

(iii) Installing effective multi-tiered monitoring systems so as to watch performance and apply timely correctives wherever necessary.

POWER GENERATION PROPOSALS FROM M.P.

5309. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have not so far approved the proposals regarding power generation sent by the Government of Madhya Pradesh;

(b) the time since when each of the proposals is pending consideration; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) A statement showing the names of power projects sent by the Government of Madhya Pradesh, their date of receipt and the steps taken in this regard is attached.

STATEMENT

Sl. No. Name of Scheme	Date of receipt	Present position
1	2	3
1. Korba Thermal Station Extension—Stage IV.	16-8-1973	Under examination in C.W. & P.C.
2. Korba West Bank Thermal Station.	7-8-1973	The scheme was considered and found technically feasible. The scheme has been accepted, in principle by the Planning Commission in January, 1974.
3. Bodhghat Hydel Project	6-8-1970	Project report received was examined by C.W. & P.C. further site investigations are being carried out by the State to prepare an adequately detailed project report for further consideration.

1	2	3
4. Narmadasagar (Punasa) Multi-purpose Project.	26-5-1969	These projects involve inter State issues pertaining to Narmada waters.
5. Maheshwar Hydel Project . .	19-5-1972	
6. Harinpal Hydel Project . .	19-5-1972	

SUPPLY OF WAGONS TO TRADERS OF BURHANPUR (M.P.) FROM BHUSAWAL OR KHANDWA

5310. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minster of **Railways** be pleased to state :

(a)Whether the traders demanding wagons from Burhanpur (Madhya Pradesh) are generally supplied wagons from Bhusawal or Khandwa; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन और सप्लाई की अस्त-व्यस्त स्थित

5311. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कोयले की सप्लाई की बहुत खराब स्थिति के कारण वहां विद्युत उत्पादन तथा सप्लाई की स्थिति के पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या कोयले की कमी के कारण अलीगढ़ जिलें में 210 मैगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाले हरदुआगंज तापीय बिजली घर के तुरंत बंद हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहती है ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यद्यपि उत्तर प्रदेश के विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डारों में सामान्य रूप से कमी आ गयी है परन्तु इस राज्य में विद्युत उत्पादन तथा सप्लाई के अस्त-व्यस्त होने का कोई तत्काल खतरा नहीं है।

(ख) 210 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले हरदुआगंज 'ख' विद्युत केन्द्र में कोयले के भंडार की स्थिति गत 2-3 महीनों से चिन्ताजनक चल रही है। बहरहाल, इसके कारण केन्द्र को बंद नहीं करना पड़ा ।

(ग) विद्युत केन्द्र को कोयले की सतत सप्लाई को बनाए रखने के लिए खनन विभाग तथा रेल मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं ;

(1) विद्युत केन्द्रों को कोयले के मासिक आबंटन का पुर्नरावलोकन करने के लिए खनन विभाग में एक स्थायी सम्पर्क समिति की स्थापना की गई है।

(2) विभिन्न विद्युत केन्दों पर कोयले के प्रतिदिन सप्लाई तथा भण्डार का पुनरावलोकन करने के लिए रेल मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों तक कोयले को पहुंचाने के लिए बैगनों के लदान तथा आवंटन का 1974 पुनरावलोकन करने के लिए कलकत्ता में एक संयुक्त एकक का सृजन किया गया है।

20 फरवरी, 1974 को मुरादाबाद के पास हुई दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के नाम

5312. **श्री लम्बोदर बलियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 फरवरी, को मध्य रात्रि के समय मुरादाबाद में हुई रेलगाड़ी दुर्घटना में मरे यात्रियों के नाम क्या हैं:

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मुरादाबाद के पास कठघर लैफ्ट बैंक स्टेशन पर 21-2-74 की प्रातः को जो दुर्घटना हुई थी उसमें 42 व्यक्ति मारे गये थे जिन में से अभी तक 27 व्यक्ति पहचाने जा चुके हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

कठघर लैफ्ट बैंक स्टेशन पर 21-2-1974 को हुई दुर्घटना में मारे गये और पहचाने गये व्यक्तियों के नाम :

(1) श्री ताराचन्द, मेरठ

(2) श्री बनवारी लाल, मुरादाबाद।

(3) श्री उमराव सिंह, केदारपुर (जिला बिजनोर)

(4) श्रीमती राधा देवी, नगीना

(5) श्री मोहिन्दर सिंह, नगीना

(6) श्री चेतराम, बरेली

(7) कुमारी राम कुमारी देवी, लखनऊ

(8) श्री रघुनन्दन तिवारी, लक्सर

(9) श्री महावीर सिंह, सिल्ला (जिला बिजनोर)

(10) श्रीमती रमा देवी, मीता खेड़ा (जिला लखनऊ)

(11) श्रीमती कमलेश, मीता खेड़ा (जिला लखनऊ)

(12) श्री शीतला बक्श सिंह, मीता खेड़ा (जिला लखनऊ)

(13) श्री विनोद कुमार त्यागी, सिसोना (जिला बिजनोर)

(14) श्री राम भगत, आलमबाग लखनऊ

(15) श्री लालजी प्रसाद, जगाधरी

(16) श्रीमती आशा रानी, जगाधरी

(17) बबलु, जगाधरी (श्री लाल जी का प्रसाद का पुत्र)

(18) श्री राम लाल, कतिया (जिला सीतापुर)

(19) श्री सूरज प्रसाद, कालीबाड़ी (जिला बरेली)

(20) श्रीमती शिव देवी, चौकी त्रितवाँपुर (जिला लखनऊ)

(21) श्रीमती शिब्बो देवी, काली बाड़ी (जिला बरेली)

(22) श्री सचिदा आश्रम, वाराणसी

(23) श्री तीरथ देव आश्रम, वाराणसी।

(24) श्री हरि भगत मिश्र, लखनऊ

(25) श्री इतवारी, दुर्ग, (मध्य प्रदेश)

(26) श्रीमती सरस्वती देवी, पदरीलालपुर (कानपुर)

(27) श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विसावाना (जिला सुल्तानपुर)

पैट्रोलियम के मूल्य स्थिर रखने के लिए 'ओपेक' द्वारा की गई पेशकश

5313. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1 अप्रैल, 1974 तक पैट्रोलियम के मूल्य स्थिर रखने के लिए जनेवा में हुई पैट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन की बैठक में की गई पेशकश तथा तेल आयात करने वाले देशों के साथ "संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति रोकने के उपायों पर बातचीत करने के प्रस्ताव के बारे में पता है,

(ख) उक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) यदि भारत सरकार तथा 'आपके' के प्रतिनिधियों के बीच अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से हुई है तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) 'ओपेक', एक संगठन के रूप में, तथा इसकी सदस्य सरकारें विशेषरूप से विकासशील तथा अल्पविकसित देशों के लिए मूल्य में हुई वृद्धियों के प्रभाव को कम से कम करने के संबंध में विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय तरीकों पर विचार कर रही है। जहां तक भारत का संबंध है, कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए खाड़ी के कई देशों के साथ द्विपक्षीय प्रबन्ध किये गये अथवा किये जा रहे हैं। बहुपक्षीय कार्यवाही के लिए 'ओपेक' की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अशोधित तेल के आयात के बारे में भारत ईरान संयुक्त समिति द्वारा बातचीत

5314. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत ईरान संयुक्त समिति की इस वर्ष जनवरी में हुई बैठक में ईरान से अशोधित तेल के आयात तथा उसके भुगतान के बारे में भी बातचीत हुई,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत ने क्या ठोस प्रस्ताव रखे और उन पर हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) इस सम्बन्ध में ईरान से प्राप्त हुऐ राहत अथवा रियायत की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचना 19-2-1974 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर में 22-2-1974 को विदेश मंत्री द्वारा लोक सभा में दिए गए विवरण में दे दी गई है।

Irrigation and Power Project in Rajasthan

5315. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the names of various irrigation and power projects being run by Central Government in Rajasthan at present;

(b) the number of Irrigation and Power schemes for Rajasthan under consideration of Central Government at present;

(c) the total amount of financial assistance given to State Government by the Central Government during the last two years as against the amount sought by the State Government; and

(d) the total amount of assistance proposed to be given to the State Government during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power Shri Siddheshwar Prasad : (a) All Irrigation and Power Projects in Rajasthan are being implemented by the State Government. The Rajasthan Atomic Power plant is being run by the Atomic Power Authority under the Central Government.

(b) One new medium irrigation project and one new Thermal Station Scheme proposed by the Government of Rajasthan are under consideration.

(c) Central assistance to the State Government is given by way of block loans and grants for the State Plan as a whole and is not related to any particular scheme, group of schemes or head of development. The Central assistance in the two years 1971-72 and 1972-73 was Rs. 90.03 crores.

In addition, special non-plan loan assistance of Rs. 16.85 crores was also given over these two years for accelerating work on the Rajasthan Canal and Beas Projects.

(d) The Annual Plan for 1974-75 is yet to be finalised.

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को बिजली की सप्लाई

5316. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की भारी कमी के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका है और उक्त उद्योग विदेशी मंडी में पटसन की बड़ी मांग का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ रहा है ;

(ख) क्या उद्योग में बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, राज्य सरकार उद्योग की आवश्यकता पूरी करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे उद्योग अधिक उत्पादन कर सकें?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) यह सही है कि पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई पर पाबन्दियां जारी हैं क्योंकि विद्युत की उपलब्धता मांग से कम है। इन पाबन्दियों से जूट उद्योग में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा।

(ख) विद्युत खपत पर पाबन्दियां और अवकाश दिनों को भिन्न-भिन्न करते समय पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रभावित उपभोक्ताओं से प्राप्त सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने समय-समय पर जूट मिलों के मामलों पर विचार किया है और उनकी सलाह पर कई मामलों में अनुज्ञय कुल सप्लाई बढ़ाई गई है।

(ग) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही सिफारिश की है कि निर्यात करने वाले उद्योगों को जिसमें जूट उद्योग भी शामिल है, उच्च प्राथमिकता दी जाए।

नेप्था पर आधारित उर्वरक परियोजना

5317. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेप्था पर आधारित उन उर्वरक परियोजनाओं पर अग्रेतर कार्यवाही करने की वांछनीयता के बारे में पुर्निवलोकन आरम्भ किया जाता है जिन पर निर्माण कार्य अभी किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अध्ययन में शामिल की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं,

(ग) क्या इसके अन्तर्गत फूलपुर परियोजना को भी शामिल किया गया है; और

(घ) क्या मीठपुर परियोजना का परित्याग किया जा रहा है और यदि नहीं तो वहां उत्पादन कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) चूंकि नेप्था संभरण सामग्री पर आधारित किसी नई उर्वरक प्रायोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है अतः बताए गए किसी टाईप की समीक्षा करने की संभावना नहीं है।

(ग) फूलपुर प्रायोजना ईंधन तेल को संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने का विचार रखती हैं।

(घ) पार्टी को दिए गए आशय पत्र को अन्त में 31-12-73 तक बढ़ाया गया था। पार्टी ने सरकार को सूचित किया है कि वे इस समय इस प्रायोजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहते।

पैट्रोल के विकल्प के बारे में अनुसंधान

5318. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथानोल ऊर्जा का अच्छा साधन है और इसका प्रयोग पैट्रोल के स्थान पर किया जा सकता है;

(ख) क्या आई०आई•टी० दिल्ली में पैट्रोल के विकल्प का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई; और

(ग) क्या सरकार का देश में पैट्रोल के विकल्प के लिए अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को सहायता देने और इस बारे में तैयार की गई प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां, बशर्ते की आटोमोबाइल इंजिन में कुछ सुधार किए गए हैं ।

(ख) और (ग) इस सबंध में स्थिति सुनिश्चित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा को जोड़ने वाली सूक्ष्म-तरंग दूर-संचार योजनाएं

5319. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा को सूक्ष्म-तरंग दूर संचार व्यवस्था से जोड़ने सम्बन्धी योजना की क्या प्रगति है और इस उक्त योजना के कब तक पूरे होने की संभावना है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में ऐसी और योजनाएं प्रगति पर है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ।

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोई नई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सिकन्दराबाद से काजीपेट खण्ड के बीच माइक्रोवेव रेडियो रिले सम्पर्क की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और आशा है कि शेष काजीपेट से विजयवाड़ा खण्ड में यह काम अगस्त, 74 तक पूरा हो जायेगा ।

(ख) निम्नलिखित माइक्रोवेव योजनाएं रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में चल रही हैं :—

(1) काजीपेट—बल्हारशाह 240 कि०मी०

(2) विजयवाड़ा—वाल्तेरू 350 कि०मी०

(3) सिकन्दराबाद—शोलापुर 344 कि०मी०

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

1972-73 और 1973-74 में उपरि पुलों और भूमिगत मार्गों के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति

5320. **श्री क्रे० कोडंडारामों रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में रेल फाटकों पर उपरि पुलों और भूमिगत मार्गों के निर्माण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृति की गई;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में राज्यों ने राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने धनराशि का उपयोग नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क)

राज्य	मंजूर की गयी रकम (लाख रुपयों में)	
	1972-73	1973-74
1. आंध्र प्रदेश .	25.93	27.59
2. असम	—	24.50
3. गुजरात	79.82	—
4. राजस्थान	—	37.51
5. तमिलनाडु	58.80	19.96

(ख) वर्ष 1972-73 में आंध्र प्रदेश राज्य ने 16.86 लाख रुपये और गुजरात राज्य ने 14.53 लाख रुपये अर्थात दोनों ने कुल मिलाकर 31.39 लाख रुपयों का उपयोग किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1973-74 में अभी तक किसी भी राज्य ने कोई खर्च नहीं किया है।

(ग) जी हां, आमतौर पर ।

(घ) चूंकि 1971 तक निधि कोई रकम नहीं निकाली गयी थी, अतः समूची प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया गया तथा संशोधित अनुदेश जारी किये ताकि राज्य सरकारें निधि से प्रतिपूर्ति की रकम ले सकें। इन अनुदेशों के जारी हो जाने से आशा है कि स्थिति में सुधार होगा

Agreement on Kanhar Irrigation Project by Madhya Pradesh

5321. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether last year at the time of agreement between the Chief Ministers of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh regarding Ban Sagar Project it was assured that Madhya Pradesh Government will sign on another agreement regarding Kanhar Irrigation Project of Bihar;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh is refusing to sign such agreement; and

(c) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) In the course of discusions on the Bansagar Project, the Government of Bihar had urged that the details of use of the waters of the Kanhar river, a tributory of the Sone river, should also be settled and proposed a draft agreement. This was, however, not acceptable to the Govt. of M.P. who had indicated that they had not yet made studies of their requirements in the Kanhar river basin and it was only after their studies had been completed that they could consider the proposals of the Government of Bihar in is this regard. The Govt. of Madhya Prasdesh have indicated that the water use in Madhya Pradesh is being studies. They have not communicated any refusal in regard to the draft-agreement sent to them by the Govt. of M.P.

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को प्राप्त लाभों के बारे में भेदभाव

5322. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बात जानती है कि भारतीय तेल कम्पनी के कर्मचारियों की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के कर्मचारियों के साथ वेतन, बोनस तथा अन्य लाभों के मामलों में भेदभाव किया गया है और ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या के बारे में जांच कराने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों और भारतीय तेल कम्पनी के कर्मचारियों के बीच में वर्तमान वेतन, बोनस तथा अन्य लाभों आदि में सामान्य विषमता का पता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) दोनों संगठन विभिन्न प्रकार के कार्य में व्यस्त हैं और इसी कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकाधिक कर्मचारियों को कार्य भारतीय तेल कम्पनी के अधिकाधिक कर्मचारियों के कार्य से बिल्कुल भिन्न है। दोनों संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन आदि की वास्तविक तुलना करना संभव नहीं है, विशेषत: जबकि मोटे तौर पर दोनों कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्तियां भिन्न हैं।

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आयोग में परिचालित संघों के साथ वेतनमानों और अन्य लाभ आदि के लिए 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि के लिए समझौता किया।

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को दिए गए बोनस की दर वेतन आदि का 10 प्रतिशत है जबकि भारतीय तेल कम्पनी में 20 प्रतिशत है । उद्यम में दिए जाने वाला बोनस "पेमेंट आफ बोनस एक्ट" द्वारा नियंत्रित है और वह किसी संगठन में आवंटित अधिशेष पर आधारित है, और,

(4) दोनों सगठनों की वित्तीय स्थिति भिन्न है ।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में रबी के क्षेत्रों तथा चीनी के क्षेत्रों के लिए बिजली की कमी

5323. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश में रबी फसल के क्षेत्रों तथा गन्ने के क्षेत्रों की इस वर्ष जनवरी से मार्च, 1974 तक सिंचाई नहीं की जा सकी थी।

(ख) यदि हां, इससे अनुमानतः कितने रुपये की हानि हुई ; और

(ग) क्या बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना बनायी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन कम होने पर बिहार में कृषि उपभोक्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भारों को रात्रि में 9 घंटे और दिन में 5½ घंटे बारी-बारी से बिजली दी गई है और स्वतंत्र फीडरों वाली लिफ्ट पम्प नहरों को एक महीने में लगातार 10 दिन चलने की अनुमति दी गई है। यह आशा है कि बिजली की कमी के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन वाले क्षेत्रों और रबी फसल वाले क्षेत्रों की सिंचाई में कोई भी कठिनाई आने की संभावना नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे कमी की स्थितियों के अंतर्गत बिजली के राशनिंग की यथा सुझावित युक्तिसंगत प्रणाली को अपनाएं जिनमें खाद्यान्न के उत्पादन के हित में कृषि को विद्युत आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत की कमी को दूर करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं जिनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को पड़ोसी राज्यों से राहत सप्लाई दी जाती है। उपलब्ध संयंत्र क्षमता का समुपयोजन उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में अधिकतम किया जा रहा है और आरंभ की गई विद्युत स्कीमों में शीघ्रता लाई जा रही है।

मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत

5324. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 3364 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले का न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या 1973 के दौरान इस कर्मचारी के विरुद्ध कम राशि देने के कई मामले हैं और वहां कदाचार अभी भी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे जनता के साथ लेन-देन करने से रोकने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शरीफ कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। इस मामले की जांच सरकारी रेलवे पुलिस मेरठ सिटी द्वारा की गयी थी और मुकदमे की कार्रवाई के लिए अदालत में भेज दिया गया। लेकिन, अदालत ने इस आपत्ति के साथ इसे वापस कर दिया कि इस मामले में हस्तलिपि विशेषज्ञ की राय ली जाये और अब इस मामले में सरकारी रेलवे वकील द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) 1973 में इस कर्मचारी के विरुद्ध न्यूनप्रेषण/अवप्रभार की कुछ शिकायतें थीं जिनमें छोटी मोटी रकम का घपला था। इसलिए, अब यह विनिश्चय किया गया है जब तक अदालत से मामले के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न हो जाये तब तक टिकट बाबू को निलम्बित रखा जाये।

भारत और बंगला देश के बीच जल परिवहन प्रणाली

5325. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग के बारे में बंगला देश सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अभी हाल में कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच जल परिवहन प्रणाली के बारे में उक्त बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की सातवीं बैठक दिल्ली में 28 फरवरी से 2 मार्च, 1974 तक हुई थी।

(ख) आयोग ने दोनों देशों के बीच जल परिवहन प्रणाली पर विचार नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम नहर को ड्रेजिंग और सफाई करने वाले जहाजों का बेकार खड़े रहना

5326. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम नहर को ड्रेजिग और सफाई के लिए कुछ जहाज लगभग गत दस वर्षों से बेकार खड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों के नाम क्या हैं, इनको कितनी कीमत पर खरीदा गया और इन जहाजों के बेकार खड़े रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन जहाजों पर तथा इन से संबंधित अन्य काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें उचित कार्य नहीं दिया जा रहा है और उनकी भर्ती से अब तक उनके वेतनों तथा भत्तों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदारी निर्धारित की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) नहरों के तल-कर्षण और सफाई के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा निम्नलिखित जहाज खरीदे गये थे :—

जहाज का नाम	मूल लागत
	(लाख रुपयों में)
(1) ड्रेजर 'रुद्रणी'	6.46
(2) टगबोट 'कौशिकी'	1.71
(3) डम्ब बार्जिस	
कुन्ती, गंगुर, ब्रह्मणी, वेहूला, धीया	4.95

ये जहाज बेकार नहीं खड़े हैं बल्कि जब भी उनकी जरूरत पड़ती है उन्हें गाद निकालने के काम में लाया जाता है।

(ग) तलकर्षण यूनिट के लिए 22 व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें वे 7 व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें कार्य प्रभार पर नियुक्त किया गया है। उनकी सेवाओं का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। उनके वेतन तथा भत्तों पर अब तक कुल 7.77 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Saving of Fuel and Electricity by States

5327. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister o Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the Central Government have impressed upon the State Governments to make efforts to save fuel and electricity; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) In the context of the prevailing power shortage conditions, the States have been advised to restrict power supply to non-productive uses like commercial display, decorative illumination, etc. with a view to save electricity for productive purposes. In regard to consumption of fuel oil, the State Electricity Boards/Undertakings have been advised to minimise the use of oil as a secondary fuel by maintaining constant high load on the boilers. Setting up of power generation facilities on the total energy concept using steam jointly for power generation as well as for process or heating purposes is encouraged where possible.

पश्चिम बंगाल में दुबदा बेसिन परियोजना तथा केलेघई तटबन्ध के कार्य के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के लिए मुआवजा

5328. **श्री समरगुहा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या थाना रामनगर पश्चिम बंगाल के लोगों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि को दुबदा बेसिन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत किया गया था ;

(ख) क्या उन लोगों को भी मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि को थाना भगवानपुर पश्चिम बंगाल में केलेघईं तटबंध के लिए अधिगृहीत किया गया है ;

(ग) यदि नहीं तो मुआवजा देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कितना मुआवजा दे दिया गया है कितना मुआवजा अभी दिया जाना बाकी है ;

(घ) क्या सरकार उन भूमि खण्डों के लिए मुआवजे की पूरी राशि देने के लिए शीघ्र कार्य-वाही करेगी जिन्हें दुबदा बेसिन तथा कैलघेई परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीरे के अभाव के कारण औद्योगिक अलकोहल के उत्पादन में कमी

5329. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे के उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक अलकोहल के उत्पादन में काफी अधिक कमी हो गयी है; और

(ख) यदि हां तो उसके विवरण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) वर्ष 1971 और 1972 के अंतर्गत अलकोहल का उत्पादन संतोषजनक रहा लेकिन 1972 में सीरे की उपलब्धि में कमी हो जाने के कारण यह कम हो गया। वर्ष 1973 में भी सीरे की कुछ कमी रही।

त्रिपुरा में गुमटी पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु झोंपड़ियों का गिराया जाना

5331. **श्री दशरथ देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुमटी पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए त्रिपुरा सरकार ने दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 में रायमा और सरमा के बहुत से आदिवासियों की झोंपड़ियां बलात गिरा दीं ;

(ख) यदि हां तो कितनी झौपड़ियां गिराई गई ; और

(ग) क्या गुमटी परियोजना के निर्माण से भूमि से वंचित किए गए इन आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि या मुआवजा दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित जान-कारी इक्ट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा निवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के गैर-सरकारी क्षेत्र में पदग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

5332. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन भूतपूर्व न्यायाधीशों के नाम पते और ब्यौरे क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों में निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष अथवा निदेशक या उच्च कार्यकारी के रूप में कार्यभार सम्भाला है ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जहां इनमें से प्रत्येक व्यक्ति नियुक्त है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा-निवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में पदग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों पर सरकार के अधीन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में या गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजन स्वीकार करने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है। ऐसा नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्विक अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है। अतः सरकार के पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागालैण्ड में मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम सम्मिलित न किया जाना

5333. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अक्तूबर 1973 में नागालैंड में मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम न लिखे जाने के बारे में मतदाताओं से कोई पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : जी हां। उस पत्र का सार एक शिकायत थी जो नागालैंड में $3\frac{1}{2}$ लाख हिन्दुओं के नाम तैयार की गई निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न होने के संबंध में थी।

निर्वाचन आयोग ने मामले को नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया था। इसके उत्तर में यह बताया गया था कि निर्वाचक नामावलियों को विधि के अनुसार यथासंभव अद्यतन और सही तैयार करने के लिए सभी संभव उपाय सम्यक्त : अपनाए गए थे और समाज के किसी धार्मिक वर्ग के प्रति कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं बरता गया था जैसा कि अभिकथन किया गया है।

Impact of Indian Foreign Policy in Lessening Difficulties of Oil Crisis

5334. **Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether India had to face lesser difficulties as compared to Western countries in world oil crisis because of its international foreign policy being in favour of Arab countries;

(b) if so, the factual position in this regard; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals : Shri Shah Nawaz Khan) :(a) to (c) It is difficult to draw any comparison between the Western countries and India on the situation created by steep rise in oil prices and reduced supplies, becuase the situations are quite different. As far as the prices of crude oil are concerned, India is one of the hardest hit countries in the world because of limited foreign exchange resources we have at our disposal. Regarding the supply of crude, the friendly oil producing countries have maintained continuous supply of crude oil whereas some of the oil producing countries have reduced or stopped supplying oil to a number of countries including Western countries.

एशियाई देशों के बीच कच्चे तेल में सन्तुलन प्राप्त करना

5335. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नई दिल्ली में 5 फरवरी 1974 को एशियाई देशों की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था कि एशियाई देशों के बीच कच्चे तेल का कैसे संतुलन प्राप्त किया जाये और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत द्वारा दिया गया ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972-73 में वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण का प्रतिवेदन

5336. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण प्राक्कलन मनमाने ढ़ंग से कम कर दिए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत की वर्तमान कमी हुई है ;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में किया गया विद्युत का वार्षिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण प्राक्कलन चार वर्षों की अवधि के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये जाते हैं। आठवीं रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण 1972 में शुरु किया गया था और बाद में यह फैसला किया गया था कि ये सर्वेक्षण 7-10 वर्षों की अवधि के लिए किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आठवीं रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और अब इसे नौवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ जारी करने का प्रस्ताव है ताकि देश में विद्युत स्थिति के दीर्घकालीन संदर्श की व्यवस्था की जा सके ।

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी

5337. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कुल बिजली राज्य की आवश्यकताओं से बहुत ही कम है ; और

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है ; और यदि हां तो बिजली के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में लगभग 11.83 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता के प्रति इसके अपने विद्युत उत्पादन से बिजली की उपलब्धता लगभग 8.11 मिलियन यूनिट प्रति दिन है। आंध्र प्रदेश को पड़ोसी राज्यों उड़ीसा (बलिमेला विद्युत केन्द्र) और केरल से भी यथासंभव अधिकतम सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में आंध्र प्रदेश प्रणाली में 1150 मैगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता का आवर्धन परिकल्पित है जोकि इस राज्य में बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। चल रही कुछ विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दी गई है।

नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को लाइसेंस देने के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का विरोध

5338. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने नैफ्था पर अधिक आधारित किसी उर्वरक संयंत्र को लाइसेंस देने का विरोध किया है और इसके विपरीत कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड की ओर से डी० एम० टी० के आयात

5339. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड ने डी०एम०टी० के आयात के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

खम्भात की खाड़ी मे एलिया बेत पर समुद्र तट से दूर तेल की खुदाई पुनः आरम्भ करना

5340. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खंभात की खाड़ी में एलियाबेत पर समुद्र तट से दूर तेल की खुदाई पुनः आरंभ करने का है जिसका कार्य 1971 में छोड़ दिया गया था ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की 'अलिया वेट' वेस्ट सरंचना में जहां वर्ष 1971 में व्यधन कार्य छोड़ दिया था व्यधन कार्य को पुनः आरंभ करने की कोई तत्काल योजना नहीं है।

नार्थबुक जूट कम्पनी के अधिकांश शेयरों का कथित अनियमित हस्तान्तरण

5341. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नार्थबुक जूट कंपनी के भूतपूर्व मालिक मैसर्स एफ० डब्ल्यू० हेलजर्स द्वारा इस कंपनी के अधिकांश शेयरों का किन्हीं श्री आर० गनेरोवाला को अनियमित रूप से हस्तांतरित करने के आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है:

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को पता है कि उक्त सौदे में इस कंपनी के 80 प्रतिशत शेयर शामिल हैं ;

(ग) क्या इस कंपनी की बिक्री आय में से कुछ भाग विदेशों में जमा कर दिया गया है ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम जो इसके अंशधारी भी हैं ; को इस सौदे के बारे में कोई जानकारी थी तथा इसके कार्य करने का ढंग क्या रहा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) यद्यपि कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि नार्थ बुक जूट कंपनी लिमिटेड के 98,299 साधारण हिस्से सितम्बर तथा अक्तूबर 1973 में श्री राम गोपाल गनेरीवाला उसके भतीजे व दो कंपनियों जिनमें श्री गनेरीवाला के हित हैं को अन्तरित किये गये हैं। ये अन्तरित हिस्से नार्थ बुक जूट कम्पनी लिमिटेड की साम्य पूंजी के लगभग 58 प्रतिशत के बराबर बैठते हैं।

(ग) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जीवन बीमा निगम व सामान्य बीमा निगम को इस संव्यवहार का कोई ज्ञान नहीं था।

निर्माता फर्मों के पास पड़े वैगनों के लिए रेलवे बोर्ड के क्रयादेश

5342. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ब्रेथवेट ऐंड कंपनी बर्न एण्ड कंपनी जेसप कंपनी इंडियन स्टेण्डर्ड वैगन कम्पनी और टेक्समेको के पास ठीक-ठीक कितने वैगनों के लिए रेलवे बोर्ड के क्रयादेश विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या वैगनों की उक्त संख्या यह बताती है कि गत औसत की तुलना में ये क्रयादेश कम हो गए हैं तथा इन फर्मों की सप्लाई की क्षमता में भी कमी आ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) सूचना इस प्रकार है :—

फर्म का नाम	1-3-74 को बकाया माल डिब्बों की संख्या (चौपहिये के हिसाब से)
मैसर्स ब्रेथवेट एंड कं०	5830.6
मैसर्स बर्न एंड कं०	3250.0
मैसर्स जेसप एंड कं०	2257.0
मैसर्स इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कं०	3142.0
मैसर्स टेक्समेको	7980.8

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलों में डीजल इंजनों का प्रयोग

5343. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में इस समय कितने डीजल इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) उनकी डीजल तेल की औसत मासिक खपत कितनी है ;

(ग) वर्तमान डीजल इंजन जितनी गाड़ियां खींचते हैं उतनी गाड़ियों को खींचने के लिये कितने इंजनों की आवश्यकता होती है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये काम करने योग्य भाप के ईंजन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-2-1974 को भारतीय रेलों के पास मुख्य लाइन के 943 बड़ी लाइन डीजल इंजन, 371 मीटर लाइन डीजल इंजन, 43 छोटी लाइन डीजल इंजन और 205 बड़ी लाइन डीजल शंटर अर्थात् कुल मिलाकर 1562 डीजल इंजन थे।

(ख) रेल इंजनों पर डीजल तेल की औसत मासिक खपत लगभग 56000 किलोलिटर है।

(ग) मुख्य लाइन का एक बड़ी लाइन और मीटर लाइन डीजल रेल इंजन 2.5 भाप रेल इंजनों के बराबर, एक छोटी लाइन डीजल इंजन 2 भाप रेल इंजनों के बराबर और एक डीजल शंटर 1.25 भाप रेल इंजनों के बराबर कार्य करता है। इस आधार पर, संपर्क वर्तमान डीजल रेल इंजनों के बेड़े को बदलने के लिए 2614 बड़ी लाइन भाप रेल इंजनों, 928 मीटर लाइन भाप रेल इंजनों और 86 छोटी लाइन भाप रेल इंजनों की आवश्यकता होगी।

(घ) जी नहीं। भारतीय रेलों पर उपलब्ध कुल 8882 भाप रेल इंजन पहले से ही यात्री, माल और शंटिंग गाड़ियों में चल रहे हैं। इस तरह, भारतीय रेलों के वर्तमान डीजल रेल इंजनों के बेड़े को बदलने के लिए कोई फालतू भाप रेल इंजन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भाप रेल इंजनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से, वर्तमान गतायु भाप रेल इंजनों को नाकारा घोषित करने की आस्थगित करने की योजना बनायी जा रही है। स्थिति के आधार पर अधिकतर केवल उन्हीं भाप रेल इंजनों को नाकारा घोषित किया जायेगा जो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए सिंचाई परियोजनायें

5344. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार ने कितनी सिंचाई परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की मांग की है लेकिन केन्द्र सरकार जिनसे सहमत नहीं हुई है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) और (ख) केरल सरकार ने राज्य को पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए छः नई बृहद् तथा दो नई मध्यम सिचाई स्कीमें प्रस्तावित की हैं। केरल की पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, पांचवीं योजना में इन स्कीमों को शामिल करना उनकी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता और धन की उपलभ्यता पर निर्भर करता है।

केरल राज्य में रेलवे सुविधाओं के लिए चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य

5345. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में रेलवे सुविधाओं के लिए चौथी योजना में निर्धारित लक्ष पूरा प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी कमी रह गई है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे का विकास किसी राज्य या क्षेत्रीय आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र बातों को ध्यान में रखकर किया जाना है और रेल सुविधाओं के विकास के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य को दी जानें वाली रेंल सुविधायें

5346. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के पहले वर्ष में केरल राज्य को दी जाने वाली रेल सुविधाओं का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों के विकास की योजना राज्य-वार या क्षेत्र-वार आधार पर तैयार नहीं की जाती और प्रत्येक राज्य में अलग से रेलों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाएं नहीं बनायी जातीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल की कथित चोर बाजारी

5347. **श्री रामभगत पासवान :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलगाडियों के संचालन में काम आने वाले लम्पों में प्रयुक्त किये जाने वाले मिट्टी के तेल की कथित चोर बाजारी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे के मिट्टी तेल को चोर बाजार में बेचने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Irrigation Facilities in States

5348. Dr. Laxminarayan Pandeyas :

Shri Shyam Sunder Mohapatras :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage of increase effected in the irrigation facilities in the country, State-wise during the last three years; and

(b) the percentage of the land under irrigation in the entire country during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The latest Land-use Statistics available with the Ministry of Agriculture are for the year 1970-71. The percentage of gross irrigated area to gross sown area in this year as, well as in the two preceding years are given below :—

Percentage of gross irrigated area to gross sown area

State	1970-71	1969-70	1968-69
1	2	3	4
Andhra Pradesh	31.6	31.6	29.0
Assam	20.6	20.6	20.7 (including Meghalaya)
Bihar	24.8	24.8	24.7
Gujarat	13.0	12.2	11.2
Haryana	45.0	43.7	46.0
Himachal Pradesh	17.1	17.1	17.0
Jammu and Kashmir	38.1	38.9	38.8
Kerala	20.5	20.2	20.4
Madhya Pradesh	7.4	7.2	6.8
Maharashtra	8.6	8.4	8.0
Manipur	39.9	39.9	39.9
Meghalaya	19.0	19.0	NA
Karnataka	12.4	12.1	13.0
Nagaland	11.8	11.8	24.5
Orissa	19.2	17.0	13.5
Punjab	74.7	74.2	72.3
Rajasthan	14.7	17.0	17.9
Tamil Nadu	46.2	45.7	44.7
Tripura	6.4	5.1	5.1
Uttar Pradesh	36.0	34.7	33.8
West Bengal	21.7	21.3	22.5
ALL INDIA	23.0	22.7	22.0

Goods booked by Digvijaya (Iron) Industries from Bangrod Station in Ratlam division, Western railway

5349. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quantity of goods booked by Digvijaya (Iron) Industries from Bangrod railway station in Ratlam Division, Western Railway during 1972-73 and 1973-74, separately;

(b) whether the goods booked from this station are not weighed before loading;

(c) whether the Railways had to pay huge amount to this Company against the claims made by it during the last three years; and

(d) if so, the total amount paid during this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The quantity of goods booked by M/s. Digvijaya (Iron) Industries, Bangrod from Bangrod railway station is indicated below :

	1972-73	1973-74
No. of wagons booked	214	140
Quantity (in quintals)	48,255	27,787

(b) The goods booked in wagon loads from Bangrod station are not Weighed before loading since there is no wagon weigh bridge at the station. The goods are booked with the remark "Senders Weight Accepted" to be weighed at a weighbridge station en-route.

(c) No.

(d) The position has been checked up by the Zonal Railway Administrations to the extent possible from the Claims Registers and it appears that only about Rs. 20,000/- was paid to the Company towards claims for compensation during the last three years.

Annual Expenditure incurred on Railway Protection Force

5350. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Shri B.K. Das Chowdhury :

Will the Minister of Railways be pleased to state the annual expenditure incurred by the Railways on the Railway Protection Force during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The total annual expenditure incurred by the Railways on the Railway Protection Force was as under :—

Year	Total annual expenditure (in Rs.)
1970-71	12,64,31,219
9171-72	13,75,00,094
1972-73	14,84,15,625

Demurrage Charges against Gwalior Rayon, Jaora Sugar Mills and Baroda Sugar Mills.

5351. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the amount of demurrage charges on wagons, outstanding against Gwalior Rayons Birlagram (Nagada) M.P., Jaora Sugar Mills, Jaora (M.P.) and Baroda Sugar Mills Baroda (M.P.) for the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74, Separately ;

(b) the amount thereof realised from the aforesaid mills during the aforesaid years; and

(c) the longest period for which wagons were detained during the aforesaid years and by which of the above mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There is no such Mill as Baroda Sugar Mills, Baroda, in Madhya Pradesh. Presumably, the reference is to Dalauda Sugar Mills, Daluda.

No amount towards demurrage is outstanding against these mills for any of the three years in question except a sum of Rs. 7,616.20 from M/s. Gwalior Rayon, Nagda for 1973-74.

(b) The amount shown above is the latest balance outstanding and will be recovered in due course.

(c) The longest detention had occurred in Gwalior Rayons, Nagda to the extent of 328 hours in 1971-72, 633 hours in 1972-73 and 52 hours in 1973-74, to wagons placed at a time.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Vendors in railways

5352. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribe vendors among the canteen contractors of the Railways is almost nil; and

(b) if so, their percentage among the new contractors appointed during the last six months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा मंहगाई के विरुद्ध ज्ञापन

5353. श्री पुरुषोत्तम काकोदकर :
श्री डी०डी० देसाई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मचारियों ने फरवरी, 1974 में अन्य बातों के साथ-साथ मंहगाई के बारे में कोई ज्ञापन उनको दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : ज्ञापन में शामिल मांगों में से एक मांग यह है कि बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाये, मजदूरी कमाने वालों की क्रयशक्ति को बनाये रखने के लिए मुद्रास्फीति को रोका जाये अन्यथा एक स्थायी मज़दूरी बोर्ड तुरन्त स्थापित किया जाय। तृतीय वेतन आयोग ने 1960 को—100 आधार मानकर 12 माह के लिए/औसत मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के लिए सब से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 95 प्रतिशत से लेकर सबसे अधिक वेतन पाने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लगभग 56 प्रतिशत तक मूल्य-वृद्धि के निष्प्रभावीकरण की सिर्फारिश

की है। सरकार ने मंहगाई भत्ता संबंधी इस फार्मूले की सिफारिश में इस तरह सुधार किया है ताकि 300 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत और 301 रुपये से 900 रुपये तक वेतन पाने वालों के मामले में 75 प्रतिशत तक मूल्य-वृद्धि का निष्प्रभावीकरण हो जाये।

नोवलजीन का खुदरा मूल्य

5354. **श्री बसंत साठे :**

श्री भालजीभाई परमार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनलजित पर आधारित नोवलजीन के खुदरा मूल्य अन्य फर्मों द्वारा बेची जाने वाली इसी प्रकार की दवाइयों के मूल्य से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नोवलीजीन के खुदरा मूल्य कम करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स होयचस्ट फार्मेस्युटिकल्स को अनलजित बनाने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी जा रही है जबकि एक भारतीय फर्म का इसी प्रकार का प्रस्ताव पहले रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) नोवलजीन की टैबलेट्स का वर्तमान खुदरा मूल्य 10× 10 टैबलेट स्ट्रिप के लिये 21.30 रुपये तथा 100× 10 टैबलेट स्ट्रिप के लिये 193.80 रुपये हैं। कुछ विनिर्माता उसी सूत्रयोग को कम दामों पर भी बेच रहे हैं।

सरकार ने नोवलजीन टैबलेट्स के मूल्य ढांचे की जांच करने के पश्चात् इन मूल्यों का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 1972 को जारी किये गये प्रैस नोट में घोषित की गई सरकार की नीति के अनुसार मैसर्स होयचस्ट फार्मस्यूटिकल्स को क्षमता का पूरा उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ; इस अनुज्ञा में एनलजीन सूत्रयोग भी सम्मिलित था। एनलजीन के प्रपुंज उत्पादन के लिये मैसर्स सूरज प्रकाश गुप्ता की ओर से मई, 1971 में प्राप्त हुआ प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था क्योंकि इसमें कच्चे माल, पूंजीगत माल के आयात तथा तकनीकी सहयोग पर विदेशी मुद्रा का काफी खर्च सम्मिलित था।

प्रपुंज अनलजीन का उत्पादन किये जाने के संबंध में मैसर्स होयचस्ट का प्रस्ताव विचाराधीन है। आई०डी०पी०एल० ने भी अनलजीन के लिये अपनी क्षमता में विस्तार करने के लिये आवेदन-पत्र दिया है ; इस प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है।

अखिल भारतीय रेलवे गार्ड संघ द्वारा 'नियमानुसार काम' करने की धमकी

5355. **श्री बसंत साठे :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे गार्ड संघ पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में अपनी मांगों के समर्थन में 10 मार्च, 1974 से "नियमानुसार काम" कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) गार्डों के वेतनमानों पर वेतन आयोग द्वारा काफी विस्तार से विचार किया गया है जिसकी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। यद्यपि वेतन आयोग द्वारा जिन वेतनमानों की सिफारिश की गयी है उनमें कोई बुनियादी तबदीली करना संभव नहीं है, फिर भी इनसे संबद्ध असंगतियों पर संयुक्त परामर्श तंत्र के विभागीय परिषद् की उप समिति द्वारा विचार किया जायेगा जो ऐसी असंगतियों पर विचार करने के लिए गठित की जा रही है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ

5356. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर बहुत गंदी हालत में खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं और वे मंहगे भी होते हैं ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये कोई समिति गठित करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। रेलवे प्लेटफार्मों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मूल्य वाजिब होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों की उपयुक्त स्तरों पर बार-बार जांच की जाती है कि वहां का वातावरण अस्वास्थ्यकर न हो। जब कभी अस्वास्थयकर स्थिति के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और शोधक कार्रवाई की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1967 में तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री श्री परिमल घोष की अध्यक्षता में संसद् सदस्यों की एक समिति खान-पान के सभी पहलुओं पर विचार कर चुकी है। ऐसी कोई नयी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई हैं जिसे देखते हुए इस समय एक नयी समिति नियुक्त की जाये।

Conversion of Muzaffarpur-Raxaul and Bogoha via Motihari line into Broad Gauge

5357. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Muzaffarpur-Raxaul and Bogoha *via* Motihari is a metre gauge line ;

(b) whether heavy goods traffic of various articles such as timber, stone, chalk, foodgrains, jute and sugar is handled on this line;

(c) whether there are ten sugar mills on this line ;

(d) whether keeping in view the load of traffic on this line, Government have decided to convert this line into broad gauge line; and

(e) if so, the time by which the work is likely to be taken up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Preliminary engineering and traffic surveys carried out have revealed that the traffic mentioned is no doubt handled on the section, but it is not heavy, as only two to three goods trains each way are running on the Muzaffarpur-Sagauli-Raxaul section.

(c) & (d) On the Samastipur-Muzaffarpur-Raxaul section, there are 4 sugar Mills. No survey has been carried out for the sections between Sagauli, Bettiah, Narkatiaganj and Bagaha, hence figures of sugar mills located in the area are not readily available. Survey reports for the Muzaffarpur-Raxaul section are under examination and a decision will be taken after this examination is completed.

(e) Does not arise.

तेल संकट के पश्चात औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की क्रियान्वित

5358. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में तेल संकट आने के पश्चात् औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की क्रियान्विति का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ग) तेल संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधियों के लिये कच्चे माल की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के लिये स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण लागू करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) : विश्व में पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण, औषधों के लिए काम आने वाले विभिन्न कच्चे माल के मूल्य बढ़ गए हैं। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 में निर्माता कंपनियों के लिए मूल्यों में संशोधनार्थ प्रार्थना करने की व्यवस्था है। विश्व बाजार में अब तक औषधों के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धि, कुछ मामलों जैसे, विटामिन बी-2 और विटामिन बी-6 को छोड़कर असंतोषजनक नहीं रही है।

नियासीनामाइड का निर्माण और सप्लाई

5359. **श्री के०, एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियासीनामाइड की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों में उसके देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या नियासीनामाइड बनाने के लिए अपेक्षित अर्ध-मूल कच्चा माल अब भी आयात किया जाता है और मैसर्स बानेट हिन्दुस्तान को इसको बनाने का एकाधिकार-सा दे रखा है; और

(ग) कितनी भारतीय फर्मों ने नियासीनामाइड को बनाने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं उनके प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं। उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य ने नियासीनामाइड की कमी की सूचना नहीं दी है। गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादकों द्वारा सरकार को पेश किये गये मूल्य के अनुसार देशीय उत्पादों के मूल्य में 120 रु० और 250 रु० प्रति किलो के बीच वृद्धि हुई। 1970-71 के दौरान इस मद का कोई आयात नहीं किया गया। वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 के दौरान प्रति किलो औसत लगभग आयात मूल्य (लागत, बीमा भाड़ा) क्रमश: 49 रु० तथा 45 रुपया था।

(ख) मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ जिससे नियासीनामाइड का उत्पादन किया जाता है वह है बेटा पिको-लाइन तथा 3-साइनोपाइरिडीन। देश में वर्तमान यूनिट बेटा पाइकालीन जिसका, उत्पादन मेसर्स वारनर हिन्दुस्तान लि० ने किया, से नियासिनामाइड का उत्पादन कर रही है। चूंकि बेटा पाइकालीन का देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है इसलिए शेष मात्राओं का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	मात्रा जिसके लिए प्रार्थना की गई है (मीटरी टनों में)	वर्तमान स्थिति
1.	सुनिता लेबोरेटरीज . .	72	आशय पत्र जारी किया जा रहा है।
2.	डा० के० ए० रेड्डी	20	विचाराधीन है।
3.	आई०डी०पी०एल०	300	आशय पत्र जारी किया जा रहा है।
4.	एच० सी० शाह एण्ड एस्सोशियेट्स	100	विचाराधीन है।
5.	देव कारपोरेशन आफ कोन काम	600	विचाराधीन है।
6.	सिप्ला . . .	24	लाइसेंस जारी किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5360. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पूरी तरह से अपने धन से किस प्रकार की सिंचाई योजनाओं का कार्य अपने हाथ में लिया है तथा उनको सहायता दी है ; और

(ख) महाराष्ट्र में किन सिंचाई योजनाओं को एकमात्र केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती है तथा प्रत्येक मामले में केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा उसका स्वरूप क्या रहा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा उनको विकासात्मक योजनाओं की रूपरेखा में उनके संसाधनों में से ही किया जाता है। बहरहाल, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तो दी जाती है किंतु यह ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विशेष स्कीम, स्कीमों के समूह अथवा विकास शीर्ष के लिए नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1973-74 में पैट्रोल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

5361. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर तथा जनवरी और फरवरी 1974 में (एक) पेट्रोल, (दो), डीजल, (तीन) मिट्टी का तेल, (चार) भट्टी तेल तथा (पांच) खाना बनाने के काम आने वाली गैस की वास्तविक खपत कितनी थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सूचना एकत्र की जा रही है यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में बिजली परियोजनाओं का निर्माण

5362. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण की जाने वाली बिजली परियोजनाओं की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में योजनावधि के दौरान लाभों के लिये निम्नलिखित परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	क्षमता
		मैगावाट
1.	उकई जल-विद्युत परियोजना	300
2.	उकई ताप परियोजना	240
3.	उकई ताप विस्तार परियोजना	200
4.	गांधीनगर ताप परियोजना	240

राजस्थान-गुजरात सीमा पर कड़ना बांध का निर्माण

5363. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान-गुजरात सीमा पर कडना बांध के निर्माण के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन दोनों राज्यों की सरकारों के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कडना बांध पर कार्य प्रौढ़ावस्था में है । बांध तटबन्ध में 74.05 मिट्टी का कार्य तथा बांध चिनाई का 42.66 कार्ग पूरा हो चुका है । इस बांध के जून, 1976 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) जनवरी, 1966 में राजस्थान सरकार के साथ हुये समझौते की शर्तों के अनुसार कडाना बांध का निर्माण गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है । इस समझौते के अनुसार, यह बांध पूर्ण जलाशय स्तर 419 तक निर्मित किया जायेगा । इस परियोजना की समस्त लागत का भार गुजरात वहन करेगा और वह ही उसके लाभों को प्राप्त करेगा । बाद में जब माही क्षेत्रों की सिंचाई नर्मदा से की जायेगी; और कडाना के जल का एक अंश राजस्थान में उपयोग के लिये दिया जायेगा, तो राजस्थान इस प्रकार के उपयोग के लिये गुरजरात को बांध की एक उचित लागत की अदायगी करेगा । सही अनुपात इस प्रकार पानी के दिये जाने पर ही नियत किया जायेगा ।

गुजरात में बेरोजगार स्नातकों और इंजीनियरों को पैट्रोल की डीलरशिप का दिया जाना

5364. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे बेरोजगार स्नातकों और इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिनको गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोल की डीलरशिप दी गयी है;

(ख) सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) गुजरात राज्य के केवल तीन बेरोजगार इंजीनियरों को 1972 के दौरान भारतीय तेल निगम की डीलरशिप दी गई है । 1973 के दौरान किसी भी बेरोजगार इंजीनियर/स्नातक को भारतीय तेल निगम की डीलरशिप नहीं दी गई थी । मौलिक रूप में वर्ष 1971 के अन्त दिसम्बर से एजेंसियां देने में युद्ध में घायल हुये सैनिकों/मारे गये सैनिकों के आश्रितों को तरजीह दी जाती है ।

(क) आवेदन पत्र भारतीय तल निगम द्वारा सीधे प्राप्त किये जाते है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1974-75 में बिजली का उत्पादन

5365. **श्री डी०डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बिजली की कमी का 80 प्रतिशत वर्ष 1974–75 में पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) क्या इस वर्ष अप्रैल से 2,500 मैगावाट से 3,000 मैगावट तक अतिरिक्त बिजली पैदा की जायेगी;

(ग) क्या चालू होने की निर्धारित तिथि से पीछे पड़ जाने वाली बिजली परियोजनायें समय पर चालू हो जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) चौथी योजना के विद्युत जनन लक्ष्य में हुई कमी में से लगभग 2 मिलियन किलोवाट की विद्युत जनन क्षमता, जोकि कमी का लगभग 45 प्रतिशत है, 1974–75 में चालू हो जाने की संभावना है। चालू होने की अनुसूचित तिथियों को और पिछड़ने से रोकने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है कि सभी निवेशों जिनमें धन, दुर्लभ निर्माण सामग्रियां संयंत्र और उपस्कर शामिल हैं, को समय पर उपलब्ध करने से, ये और नहीं पिछड़ेंगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए डिजिटल सिसमिक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाना

5366. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये फरवरी, 1974 में पहली बार डिजिटल सिसमिक इंस्ट्रूमेंट लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग तेल की खोज करने के लिये गहराई के छिद्रण करने के नये तरीके अपना रहा है;

(ग) गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुल कितने कुओं का विकास किया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) व्यधन तकनीकी में मूल भूत परिवर्तन नहीं हुआ है जो अनिवार्यतः एक समान रहा है। व्यधन क्षमता सुधारने को ध्यान में रखकर, तथापि अच्छे व्यधन रिंग्स, मड पम्प्स और अन्य उपस्करों की व्यवस्था सहित विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अब तक गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुल 821 कुयें व्यधन किये गये हैं। इन में से 495 कुयें तेल गैस युक्त (425 तेल युक्त और 70 गैस युक्त) स्थापित किये गये हैं। गुजरात में वर्तमान दर पर प्रतिवर्ष तेल का उत्पादन लगभग 3.65 मिलियन मीटरी टन हुआ है।

गुजरात तेल शोधक कारखानों से पैट्रोल प्रोटीन का परीक्षण

5367. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखानों से पेट्रोप्रौटीन का नमूना परीक्षण के लिये केन्द्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कर्नाटक को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या इन प्रोटीनों को भारत में बेचा जायेगा और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ने इस उत्पादन का चूहे के पोषण परीक्षण के लिये जांच की और सूचित किया है कि इस उत्पाद से पशुओं के विकास को संतोषजनक ढंग से बढ़ाया है । अन्य देशों में तैयार किये गये पेट्रो-प्रोटीन नमूनों के अनुरूप बनाने के लिये उत्पाद की प्रोटीन दक्षता अनुपात (पी ई आर) में सुधार करने की आवश्यकता थी, पेट्रो--प्रोटीन सांद्रणों में कुछ आवश्यक ऐमीमों सेसिड मिलाये जाने से पी ई आर में संतोषजनक सुधार किया जा सकता है ।

(ग) यह आशा की जाती है कि यथा समय में इस उत्पाद की पशु पोषण, विशेष रूप से, उन पशुओं के जिनसे दुग्ध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और मुर्गी खाने आदि के लिये भारत में बिक्री की जा सकेगी । दुग्धशाला, पशुचिकित्सा तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से पशुपोषण के व्यापक रूप से परीक्षण करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । ग्राहयता तथा संभावित विशाक्तता पर इस उत्पाद के मानव भोजन के रूप में प्रयोग करने के लिये और अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है, यद्यपि, विश्लेषण का कोई प्रमाण नहीं मिला है ।

अकंलेश्वकर में बेंजीन तथा टाल्युईन का उत्पादन

5368. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में अंकलेश्वर अशोधित तेल विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेंजीन तथा टाल्युईन जैसे 'साल्वेंटों' को प्राप्त करने के लिये यह उत्तम आधार के रूप में काम करता है;

(ग) क्या बैंजीन तथा टाल्युईन के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से अंकलेश्वर तेल का अधिकतक उत्पादन करने के लिये प्राथमिकता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अंकलेश्वर के अशोधित तेल की हाई ए० पी० आई० ग्रेविटी कम सलफर अंश और नेफथा मिट्टी के तेल और डिजल तेल के अधिक उत्पादन के कारण वह विश्व में सर्वोत्तम तेलों में से एक माना गया है ।

(ख) अंकलेश्वर अशोधित तेल से प्राप्त नेफथा को बैंजीन और टोल्युन के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने के प्रयोग में लाया जा सकता है । कोयाली शोधनशाला को यथा रूपांकित, प्रतिवर्ष 3300 मी० ट० वेनजीन तथा 14,000 मी० ट० टोल्यून के उत्पादन करने की आवश्यक सुविधायें हैं ।

(ग) और (घ) अंकलेश्वर क्षेत्र से अशोधित तेल का उत्पादन पहले ही अधिक क्षमता पर हो रहा है ।

कोसी नदी पर बहुउद्देयीय बांध तथा पन-बिजली परियोजना का निर्माण

5369. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की भारी कमी, कोसी नहर में गाद भर जाने तथा तटबन्धों के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाने को दृष्टि में रखते हुये बराहक्षेत्र के निकट कोसी नदी पर बहुउद्देश्यीय बांध तथा पन-बिजली परियोजना का निर्माण करने की व्यवहार्यता की जांच करने तथा इस कार्य के लिये नेपाल सरकार के पास इस मामले को ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्वी कोसी नहर में गाद जमाव की समस्या की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति ने अपनी दिसम्बर, 1973 की रिपोर्ट में, नहर की गाद समस्या के लिये विभिन्न उपचारी उपायों की सिफारिश करते हुये यह भी सुझाव दिया है कि कोसी नहर की ऊपरी पहुंचों में गाद संचयन हेतु एक ऊंचे बांध का अन्वेषण किया जाये और ऐसे ऊंचें बांध के लिये बांध का कार्य-काल, कोसी बराज तथा इस बांध के बीच तथा बराज के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह में बाढ़ तटबन्धों के बीच नदी के रुख पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया जाये । समिति की रिपोर्ट बिहार सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी गई है ।

ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की सहायता

5370. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार को और अनुदान देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षो में बिहार के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई और उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता । ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य योजना में व्यवस्थित राशियों के अतिरिक्त ऋण सहायता देता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बिहार को ऋण देना बन्द नहीं किया है ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण और गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड को दी गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत	राज्य बिजली बोर्ड को दी गई राशि
		(लाख रुपयों में)
1971–72	618.45	379.19
1972–73	809.51	404.74
1973–74	772.02	305.40

18 LSS/74—6

बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा उसकी खपत

5371. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में तथा विशेषकर उत्तर बिहार तथा शेष बिहार में क्रमश : प्रति व्यक्ति बिजली की नवीनतम उपलब्धता तथा उसकी खपत कितनी है; और

(ख) उत्तर बिहार को शेष बिहार के स्तर पर तथा पूरे बिहार को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिये विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत ऊर्जा की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत के अद्यतन आंकड़े ये हैं :—

अखिल भारत	94	
उत्तरी बिहार	104	लगभग
शेष बिहार	10	लगभग

विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विद्युत उत्पादन क्षमता और अंतः सम्पर्कों पर संभव आयात पर निर्भर है और इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता ।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि के लिये उद्योग और कृषि के हेतु बिजली के उपयोग में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की उपलब्धि में वृद्धि की आवश्यकता है । बिहार में 465 मै० वा० की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनायें चौथी योजना से चली आ रही हैं और कुल 530 मै० वा० की अन्य स्कीमें पांचवीं योजना में शुरु की जा रही हैं । इसमें से लगभग 225 मै० वा० का योग अकेले उत्तरी बिहार में किया जायेगा । बहरहाल, दक्षिणी और उत्तरी बिहार के बीच अतिरिक्त अन्तः सम्पर्कों की व्यवस्था द्वारा आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने के लिये उत्तरी बिहार में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करने की संभावना है ।

मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशें

5372. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 दिनों में 96, 84 और 60 घंटे की ड्यूटी संबंधी मियाभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे लागू न करने के क्या कारण हैं, और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या लोको मैन तथा गार्डों पर इसे लागू कर दिया गया है अथवा लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो शांतिपूर्वक आन्दोलन करने वाले अन्य वर्गों को क्यों छोड़ दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल कर्मचारियों के काम के घंटों के संबंध में मियांभाई अधिकरण की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों (205-280 रुपए का वेतनमान) को स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नत करने के लिए पदोन्नति प्रणाली

5373. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री सहायक स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपये का वेतनमान) को स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपये के वेतनमान) के रूप में पदोन्नत करने के लिये पदोन्नति प्रणाली और संयुक्त वरिष्ठता सूची के बारे में 11 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे को छोड़कर अन्य रेलों में सहायक स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपये का वेतनमान) के रूप में पदोन्नत करने के लिये कोई प्रदोन्नति प्रगाली नहीं है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड सभी भारतीय रेलों में समानता लाने के लिये पदोन्नति प्रणाली को खत्म करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ग) इन पदोन्नति प्रणाली को लागू करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 205–280 रु० के वेतनमान में सहायक स्टेशन मास्टरों को उसी ग्रेड में स्टेशन मास्टर के रूप में तैनात करने के लिये उत्तर और दक्षिण रेलवे द्वारा पदोन्नति पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है ।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति सरणियां निर्धारित करते हैं । इसलिये प्रत्येक रेलवे में इस संबंध में अलग-अलग तरीका अपनाया जाता है । इस संबंध में एकरुपता लाने का कोई विचार नहीं है ।

मथुरा से जालन्धर तक तेल की पाइपलाइन बिछाने सम्बन्धी परियोजना

5374. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मथुरा से जालन्धर तक तेल की एक पाइपलाइन बिछाने संबंधी कोई परियोजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से पंजाब में तेल डिपुओं की स्टोर क्षमता बढ़ जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : क) और (ख) भारतीय तेल निगम मथुरा परिष्करणशाला से उत्तर पश्चिम क्षेत्र को उत्पादों को ले जाने हेतु मथुरा से अम्बाला तथा वहां से जालन्धर तक पैट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिये एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार कर रहा है । सुविधाजनक क्षेत्रों को पाइपलाइन के मार्ग से उत्पादों को प्राप्त करने तथा छांटने हेतु-तैंकेज का भी आयोजन किया जायेगा तथा इसके परिणामस्वरूप पंजाब में तेल संचय क्षमता मे स्वतः ही वृद्धि हो जायेगी ।

Demand from Government of Madhya Pradesh for Spirit used in Industries

5375. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have demanded from the Central Government additional quantity of spirit used in industries in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the quantity thereof and the facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khann) (a) & (b) : The Government of Madhya Pradesh requested for revalidation of an allocation of two lakh litres of spirit made to that State from Bihar for the sugar season 1972-73 and that in case revalidation was not possible fresh allocation be made from Bihar, U. P. or Maharashtra. As the estimated production of alcohol during the current season falls short of the estimated demand, it has not been found possible to accede to the State Government's request in full. However, a quantity of 1 lakh litres of alcohol has been allocated to Madhya Pradesh from Haryana.

Shortage of Power during second year of Fifth Plan

5376. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are hopeful that the shortage of power will be removed in the whole country during the second year of the Fifth Plan; and

(b) if so, the programmes undertaken in this behalf ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) The 5th Five Year Plan envisages commissioning of 16.55 million KW during the Plan period. It is expected that about 4.9 million KW generating capacity will be commissioned in the first two years of the Plan period. This increased generating capacity would mitigate the power shortages substantially, but the shortages will not be removed in the whole country by the second year of the Plan as the loads will also be growing. The draft Fifth Five Year Plan outlines the programme proposed in this behalf, involving an outlay of Rs. 6190 crores for the power sector, for an addition of 16·55 million KW of generating capacity and over 15000 circuit KM of EHV transmission lines. The completion of this programme, and improvements in the operation of thermal plants are designed to enable the demand for power to be met.

अहमदाबाद—बोताड रेलगाड़ी तथा अन्य रेलगाड़ियों के यात्रियों को हुई असुविधाएं

3577: **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद-बोताड़ रेलगाड़ी तथा इसी मार्ग पर चलने वाली अन्य इसी प्रकार की रेलगाड़ियों के यात्रियों तथा दैनिक यात्रियों को गाडियों के देर से चलने तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा अन्धाधुंध पूछताछ किये जाने और गिरफ्तारियों तक किये जाने के कारण असुविधा होती है तथा उन्हें तंग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यात्रियों की असुविधा को दूर करने तथा इस स्थिति में सुधार क्रिये जाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) खतरे की जंजीर बार-बार खींचें जाने एवं फरवरी के दौरान गुजरात में जन आन्दोलनों के कारण अहमदाबाद—बोताड़ खण्ड पर गाड़ियों

के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। खतरे की जंजीर खींचने के कारण एक गाड़ी के देर से चलने के विषय में कुछ यात्रियों की शिकायत पर गांधीग्राम में पुलिस द्वारा कुछ पूछताछ की गई थी। कोई गिरफ़्तारी नहीं की गई थी।

(ख) परिहार्य विलम्ब के सभी मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है और गाड़ियों के संचालन में सुधार करने के लिये उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली तेज रफ्तार वाली तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़भाड़

5378: **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली दैनिक एक्सप्रेस तथा तेज रफ्तार वाली रेल गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कुछ उक्त रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने अथवा अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली गाड़ियों में, कुछ खण्डों पर भीड़-भाड़ देखने में आई है।

(ख) से (घ) इन गाड़ियों में फालतू डिब्बे लगाने की गुजांइश न होने के कारण, इनमें अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ना, फिलहाल, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। बम्बई और अहमदाबाद के बीच, अभी अतिरिक्त गाड़ियों का चलाना भी परिचालक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्ग के कुछ खण्डों की क्षमता का चरम सीमा तक उपयोग हो रहा है और बम्बई में टर्मिनल सुविधाओं का भी अभाव है।

पश्चिम रेलवे पर खान-पान सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति

5379: **श्री० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में पश्चिम रेलवे की बहुत सी रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाओं की स्थिति बिगड़ने लगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में खान-पान सेवा आमतौर पर सन्तोषजनक रही है।

सेवा के स्तर में और सुधार करने के लिये जो उपाय किये गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में परम्परागत भोजन-यान सेवा के बदले उत्तरोत्तर मार्ग के विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित आधुनिक रसोई घरों में तैयार किये गए "परोसने के लिये तैयार" भोजन को एकत्र करना ताकि यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में तैयार किया गया बेहतर किस्म का भोजन दिया जा सके।

(ii) अधिकांश यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कम कीमत के भोजन के पैकेटों की व्यवस्था।

(iii) विभिन्न विभागीय यूनिटों में आधुनिक पाक-तकनीकी और उपकरणों को अपनाना, जैसे कि गर्म पेटियों, इन्सुलेटेड ट्रालियों, इडली पीसने के उपस्कर, रेफ्रीजरेटरों, जीवाणुनाशक यंत्रों, धुलाई मशीनों आदि की व्यवस्था।

(iv) विभागीय खान-पान स्थापनाओं में नियोजित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देना।

(v) प्राप्त सभी शिकायतों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना और उसके बाद दोषी कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध समुचित निधारक और दण्डात्मक कार्यवाई करना।

उर्वरक उत्पादन के बारे में विश्व बैंक दल के विचार

5380. **श्री डी० के० बंडा :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में भारत के अपने दौरे के दौरान उर्वरक उत्पादन के बारे में कुछ परामर्श दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों और भारतीय विशेषज्ञों में उर्वरक उत्पादन के तरीकों तथा साधनों के बारे में मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) विश्व बैंक द्वारा अपनाए गए वित्तीय पद्धति के अनुसार विश्व बैंक सहायता के लिये प्रस्तुत प्रायोजना का विस्तृत रूप में मूल्यांकन किया जाता है और विशेष सम्बन्धित क्षेत्र में विश्व बैंक विशेषज्ञों और भारत सरकार के विशेषज्ञों में परामर्श होता है। इन चर्चाओं के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व एक स्पष्ट राय बनाई जाती है। यह एक लगातार परिपाटी है जो प्रायोजना से प्रायोजना तक चलती रहती है।

भीमकुंड बांध का स्थान

5381. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भीमकुंड बांध (उड़ीसा) का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त बांध के स्थापना स्थल के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या रुकावटें हैं;

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने बताया है कि उन्हें भीमकुंड बांध के लिये स्थलों पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उन्होंने स्थल का निश्चय कर लिया है। केन्द्र को अभी तक निश्चित किये गए स्थल के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

उड़ीसा में आनन्दपुर बराज परियोजना का 'डिजाइन डिस्चार्ज'

5382. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्दपुर बराज परियोजना ज़िला क्योंझर (उड़ीसा) के डिजाईन डिस्चार्ज के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। यह फैसला किया गया है कि 6.75 लाख क्यूसेक जल के निस्सरण के लिये बराज बनाया जाए और 9 लाख क्यूसेक बाढ़ जल के लिये फ्री-बोर्ड सुरक्षा कार्यों की व्यवस्था की जाए।

(ख) इस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा पहले ही दे दी गई है। 1973-74 के अन्त तक 29 लाख रुपये के परिव्यय के समुपयोजन की प्रत्याशा है। 1974-75 के दौरान एक करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है

केन्द्रपाड़ा रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण

5383. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणपूर्व रेलवे के कैन्द्रपाड़ा रेलवे स्टेशन का प्रस्तावित विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) आशा है कि केन्द्रपाड़ा स्टेशन का विद्युतीकरण, जिसे 1973-74 में स्वीकार कर लिया गया था, 1974-75 में पूरा हो जाएगा।

कोयले की कमी के कारण आसाम में रद्द की गई रेलगाड़ियां

5384. **श्री निहार लास्कर** :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को दिये जाने वाले कोयले की सप्लाई में कमी के कारण रेलगाड़ियों विशेषकर सामान और आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाली रेलगाड़ियां रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप असाम राज्य में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) क्या गुजरात राज्य में आन्दोलन के कारण गुजरात से मूगंफली का तेल ले जाने वाली कुछ रेलगाड़ियां आसाम के लिये रवाना नहीं हो सकीं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) मूंगफली के तेल से लदे मालडिब्बों को पुलिस ने जांच के लिये रोक लिया था क्योंकि उन मालडिब्बों में से एक डिब्बे से चोरी होने का सन्देह था। कुछ मालडिब्बों को सुरेन्द्रनगर में भी रौक लिया मया था और सुरेन्द्रनगर की नवनिर्माण समिति ने उन्हें जाने देने पर आपत्ति की थी। उनकी बुकिंग सही परमिट पर की गई है या नहीं इसका सत्यापन करने के बाद सुरेन्द्रनगर के कलैक्टर से निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें जाने दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आसाम में रेल लाइनों का निर्माण

5385. **श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अधिक धनराशि की मांग की है; और

(घ) राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में निर्माण की जाने वाली नई लाइने कौन सी हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) असम राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है:—

(i) तेजपुर से भोमरागुडी तक मीटर लाइन;

(ii) न्यू बोंगाईगांव से गुवाहाटी तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव;

(iii) सिलचर-जिरीबाम मीटर लाइन रेल सम्पर्क।

पूर्वोत्तर परिषद् की लागत पर निम्नलिखित लाइनों के लिये भी जो अंशतः या पूर्णतः असम राज्य में पड़ती हैं, सर्वेक्षण शुरु करने का विचार है :—

(i) जोगीधोपा-पंचरत्न-दुदनई-दरंगिरी (बड़ी लाइन)

(ii) गुवाहटी-बरनीहाट (मीटर लाइन या बड़ी लाइन)

(iii) बालिपारा-भालुकपोंग नई लाइन।

(iv) टिपालिंग-इंटानगर नई लाइन।

1974-75 में न्यू बोंगाईगांव-गुवाहटी खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का विचार है। उपर्युक्त सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के बाद पांचवीं योजना में बनाई जाने वाली अन्य लाइनों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

पांचवीं योजना में पूरे देश में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये केवल 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। यह रकम उन सभी लाइनों की कुल लागत की तुलना में बहुत थोड़ी है जिनके लिये राज्य सरकारों से निरन्तर मांग की जाती रही है।

सलफ्यूरिक अम्ल के समान आधार पर मूल्य निर्धारित करना

5386. श्री निहार लास्कर :

श्री आर० वी स्वामीनाथन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसिड एण्ड केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पूरे देश में सलफ्यूरिक अम्ल के समान मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान आरगैनिक एण्ड केमिकल्स, बम्बई तथा भारतीय उर्वरक निगम, बम्बई ने लगभग 250 रुपये प्रति टन अम्ल का मूल्य निर्धारित किया था जबकि कलकत्ता के निर्माताओं ने इसका मूल्य 474 रूपये प्रति टन निर्धारित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और

(घ) अम्ल के समान मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में गायघाट के उप-निर्वाचन के बारे में प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

5387. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1974 को पश्चिम बंगाल में हुए गायघाट के उप-निर्वाचन में बेईमानी करने के लिये अपनाए गए आतंकवादी उपायों के बारे में भारत के राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किये गए हैं;

(ख) क्या बेईमानी सम्बन्धी शिकायतों का औचित्य सिद्ध करने के लिये ज्ञापन के साथ दो दस्तावेज सलंग्न किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन शिकायतों का सत्यापन करने के लिये कोई जांच की जाएगी;

(ङ) क्या गायघाट उप-निर्वाचन का सम्पूर्ण वातावरण आतंक और तनाव से भरपूर था इसलिये 11 मत केन्द्रों पर पुनः मतदान निष्पक्ष रूप से नहीं हो सका;

(च) क्या मत केन्द्र संख्या 50,53,80 और 90 में पुन. हुआ मतदान, प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, बेईमानी से हुआ था; और

(छ) क्या पश्चिम बंगाल के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों और देश के अन्य भागों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए पश्चिल बंगाल में और देश के अन्य भागों में निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिये कोई न्यायिक जांच करवाई जाएगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) राष्ट्रपति को दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक श्री प्रफुल चन्द्र सेन का है तथा दूसरा श्री समर गुह, संसद् सदस्य का है।

(ख) श्री समर गुह ने दो दस्तावेज़ों अर्थात (i) कतिपय मतदान आफिसरों के कथन, और (ii) कतिपय अभ्यर्थियों के राजनीतिक अभिकर्ताओं द्वारा रिटर्निंग आफिसर को लिखे गए पत्र के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतियां सलंग्न की हैं।

(ग) और (घ) निर्वाचक आयोग ने पश्चिम बगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वह मामले की पूरी जांच करें और जांच के परिणाम के बारे में आयोग को रिपोर्ट दें। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) प्रश्न का प्रथम भाग राय मात्र है और दूसरा भाग ऐसी राय पर आधारित आरोप है।

(च) ऊपर निर्दिष्ट चार बूथों में से, बूथ सं० 53 में पुनः मतदान कराया गया।

(छ) सम्पूर्ण देश में 3,500 से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनसे पूरे देश में बूथों की कुल संख्या के बारे में अच्छी खासी तुलनात्मक झलक मिल सकती है। कुछ बूथों पर कतिपय छिट-पुट घटनाओं की बाबत किया गया कोई अभिकथन न्यायिक जांच कराने के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अधीन, सम्पूर्ण देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिये निर्वाचन आयोग ही समुचित प्राधिकरण है।

हल्दिया के निकट कंटाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन की पूरी क्षमता का उपयोग

5388. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री हल्दिया में तेल शोधक कारखाने, उर्वरक तथा अन्य संयंत्रों के निर्माण में प्रगति के बारे में 5 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1993 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया के निकट पश्चिम बंगाल के कंटाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन के उपयोग के लिये सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कहेगी अथवा स्वयं ही कार्यवाही करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हल्दिया स्थित सोडा राख संयंत्र से वहां पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य पैट्रो-रसायन उत्पादन परियोजनाओं का विस्तार करने के लिये गुंजाइश बनेगी;

(घ) क्या सरकार को हल्दिया में ऐसे प्राइवेट पैट्रो-रसायन सहायक कम्पनियों की स्थापना करने के बारे में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय, जो नमक से सम्बन्धित है, के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस क्षेत्र में नमक की उपलब्धता हल्दिया में प्रस्तावित सोडा राख तथा कास्टिक सोडा संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कठिनाई से पर्याप्त होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई

5389. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दामोदर घाटी निगम के तापीय बिजली घरों के लिये नियमित रूप से कोयले की अपेक्षित मात्रा का परिवहन करती रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार-पत्रों के पार्सल पर "अंडर चार्जेस" को समाप्त करने के लिए आदेशों को जारी करना

5390. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री आल इण्डिया कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन में अभ्यावेदन के बारे में 4 दिसम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन से मिले अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या "अंडर चार्जेस" को समाप्त करने के आदेश अब तक जारी कर दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जारी किये गए आदेशों की रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इन आदेशों को जारी करने में सरकार को कितना समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) अभ्यावेदन में उठाई गई मुख्य बात समाचार-पत्र के पार्सलों के अवप्रभारों को माफ करने के सम्बन्ध में थी जिन्हें किसी प्राधिकार बिना और निर्धारित समय सीमा के बाद बढ़ा दिया गया था।

पश्चिम रेल प्रशासन को लिखा गया है कि समाचार-पत्र पार्सलों के विवादग्रस्त अवप्रभारों को कर्मचारियों से न वसूला जाए।

ढुलाई कर्मचारियों के लिए वेतन तथा वरिष्ठता के निर्धारण सम्बन्धी नियम

5391. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री तृतीय श्रेणी के पदों पर वैकल्पिक नियुक्ति में खपाने के लिए वरिष्ठता के अभिप्राय: के लिए सेवा को ध्यान में रखे जाने के बारे में 11 दिसम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4170 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढुलाई कर्मचारियों को चिकित्सीय दृष्टि के आधार पर उनकी वर्तमान श्रेणी से हटाकर अन्य वैकल्पिक श्रेणियों में खपाने के लिए वेतन तथा वरिष्ठता का निर्धारण करने संबंधी नियम क्या हैं;

(ख) विचाराधीन प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित इन कर्मचारियों के लिए इस नियम को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 26 नवम्बर, 1973 की संख्या ई० एन० जी० 11-69 आर० ई० आई०/56 द्वारा जारी किये गये इन आदेशों को बदल देगी।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चिकित्सीय दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारी को लिए गये अंतिम वेतन का सुरक्षण प्रदान किया जाता है बशर्ते यह समाहन के ग्रेड के अधिकतम से अधिक न हो। उसे समाहन की कोटि में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए उच्चतर अथवा समकक्ष ग्रेड में की गई पूर्व सेवा का लाभ भी दिया जाता है।

(ख) और (ग) फालतू कर्मचारियों को उसी आधार पर नहीं बरता जा सकता जिस आधार पर चिकित्सीय दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को बरता जाता है।

राज्य सभा के लिए गुजरात से निर्वाचन

5392. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में राज्य सभा के लिए निर्वाचन स्थगित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्वाचन कब करवाये जायेंगे;

(घ) क्या नये निर्वाचन होने तक वर्तमान सदस्य राज्य सभा के सदस्य बने रहेंगे; और

(ङ) क्या राज्य सभा के गुजरात राज्य से निर्वाचित कुछ सदस्य इस वर्ष निवृत्त हो जाएगें और इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के आधार पर गुजरात राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश और गुजरात के राज्यपाल के सलाहकार के साथ किए गए विचार-विमर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा अभिनिश्चित की गई स्थिति के आधार पर, निर्वाचन आयोग ने उस राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचन कराने की सलाह देना उचित नहीं समझा क्योंकि वहां की परिस्थितियां स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में सहायक नहीं थीं। तत्पश्चात्, 25 मार्च, 1974 को राज्यपाल द्वारा विधान सभा विघटित कर दी गई।

(ग) राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात् सम्यक् रूप से नई विधान सभा गठित हो जाने पर ही निर्वाचन करायें जाएंगे।

(घ) राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 83 के खंड (1) के उपबंधों द्वारा शासित होती है।

(ङ) तीन सदस्य 2 अप्रैल, 1974 को निवृत्त हो रहे हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

5393. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन को स्थगित करने पर विचार कर रही है कि राष्ट्रपति चुनने वाले निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान होने के कारण वह पूरा नहीं है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जी नहीं ।

गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन

5394. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन हो जाएँगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 1971 की गणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः परिसीमन और तत्पश्चात् इस प्रकार पुनः परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचक नामावलियों का तैयार करना और पुनरीक्षण करना, दो मूल अपेक्षाएं हैं जिन्हें नई विधान सभा का गठन करने के लिए गुजरात में साधारण निर्वाचनों के किये जाने से पहले पूरा किया जाना है और इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि निर्वाचन कब होंगे ।

रेल सेवाओं में गड़बड़ी के कारण गुजरात राज्य में रेलवे को हुई हानि

5395 **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही के आन्दोलन के कारण रेलवे को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या गुजरात में रेल सेवाओं की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी और इसके परिणामस्वरूप जनता को बहुत असुविधा हुई;

(घ) क्या कोयले की कमी का भी गुजरात में आने जाने वाली रेलगाड़ियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था: और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां, कुछ हानि ।

(ख) लगभग 3.37 लाख रुपये ।

(ग) बड़ी लाइन की 24, मीटर लाइन की 9 और छोटी लाइन की 44 सवारी गाड़ियों को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप लोगों को कुछ असुविधा उठानी पड़ी थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

5396 **श्री एम० कन्तामुतु** :

श्री राम अवतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में विभाग-वार तथा रेलवेवार अधिकारियों के कितने ऐसे पद हैं जिनका दर्जा हाल में कनिष्ठ वेतनमान, से वरिष्ठ वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान तथा प्रशासनिक कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान का कर दिया गया था;

(ख) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी इसी तरह का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों पर राजपत्रित पदों के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया में दिसंबर, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में ग्रेडोन्नत पदों की संख्या दिखाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6603/74]

(ख) और (ग) अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

5397. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध और फार्मेस्युटिकल्स उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया तो क्या सरकार इस प्रकार के अध्ययन की व्यवस्था करेगी और भारतीय क्षेत्र में सहायता करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पुनरीक्षण पर विचार करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 5 मार्च, 1974 को लोक सभा में ता० प्र० स० 191 के उत्तर में दिये गये उत्तर में भेषज उद्योग में यूनिटों के लाइसेंसीकरण करने हेतु मार्ग सूचक बातों के बारे में बताया गया है।

(ख) और (ग) 8-2-74 के संकल्प के माध्यम से सरकार ने श्री जयसुख लाल हाथी संसद सदस्य, की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति का गठन किया है जिसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है तथा जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(1) उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा प्राप्त किये गये स्तर की जांच करना;

(2) औषध उद्योग विशेषकर भारतीय तथा लघु क्षेत्रीय उद्योग में तेजी से विकास करने को प्रोत्साहन देने के लिए सिफारिश करना। सिफारिश करते समय कमेटी उद्योग के सन्तुलित क्षेत्रीय परिक्षेपण की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा कावेरी घाटी में सिंचाई की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाना

5398. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी घाटी के अधीन सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा उन्हें सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मई, 1972 में कर्नाटक, केरल और तमिल नाडु के मुख्य मंत्रियों ने यह फैसला किया था कि राज्यों के बीच कावेरी संबंधी विवाद बातचीत द्वारा हल करने का प्रयास किया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे वकशाप, खड़गपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आरक्षण आदेश

5399. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खड़गपुर रेलवे वर्कशाप के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों ने वहां के अधिकारियों द्वारा नई भर्ती के समय तथा पदोन्नति के मामले में आरक्षण आदेश को लागू न करने के बारे में रेल मंत्री को बहुत से अभ्यावेदन भेजे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी नहीं। आमतौर पर रेल कर्मचारियों, जिनमें कारखाने के कर्मचारी भी शामिल है, से जो भी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं वे आवश्यक कार्यवाही के लिए महाप्रबन्धक के पास भेज दिये जाते हैं क्योंकि महाप्रबन्धक उनका निबटारा करने के लिए सक्षम अधिकारी है।

टायर कम्पनियों ग्रामोफोन रिकार्ड कम्पनियों और नायलोन फिलामेंट यार्न कम्पनियों के विरुद्ध निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के आरोप

5400. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग द्वारा टायर कम्पनियों ग्रामोफोन रिकार्ड कम्पनियों और नायलोन फिलामेंट यार्न कंपनियों के विरुद्ध जिन आरोपों की जांच की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक की गई जांच में कितनी प्रगति हुई है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) जैसा कि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्य-कलापों पर, 31-12-1972 की वर्ष समाप्ति की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्याय 4 के पैरा 5 में उल्लेखित किया गया है, आयोग ने ग्रामोफोन रिकार्ड, टायर तथा मैन-मेड फिब्रीज सहित विभिन्न क्षेत्रों में निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं

की विद्यमानता विनिश्चय करने के लिए कुछ अन्वेषण अध्ययन प्रारम्भ किये हैं। आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि वे अध्ययन पर्याप्त समय उपभोगी है तथा पर्याप्त सामग्री के संग्रह होने तथा आयोग के औपचारिक कार्यवाहियां करने के निर्णय करने, तक इन अध्ययनों की बाबत ब्यौरे प्रगट करना जांच पड़ताल के हित में नहीं होगा।

केडवरी फ़ाई (इंडिया) के कार्यकरण की जांच के लिये नियुक्त निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन

5401. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 और 1971 के बीच केडवरी फ्राई (इंडिया) लिमिटेड को वर्षवार कितने लाभ हुए ;

(ख) एकाधिकार तथा निरबंधात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम की धारा 44 के अधीन कंपनी के कार्यकरण की जांच के लिए नियुक्ति निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) निरीक्षकों की नियुक्ति किस तिथि से की गई थी ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 1969 एवं 1971 के मध्य कैडवरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वर्षवार लाभ निम्न प्रकार है :—

वर्ष	करों से पहले लाभ	करों के पश्चात् लाभ
1	2	3
1969	44,21,029	19,81,029
1970 .	48,93,229	26,93,229
1971	59,34,559	28,74,559

(ख) निरीक्षकों ने 31 जनवरी 1974 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें साथ-साथ प्रदर्शित हुआ कि यह कम्पनी कुछ अन्यों सहित, कुछ व्यापार प्रथाओं में निरत है : यथा;

(1) ब्रिटेन में अपनी पैतृक धारिता कम्पनी को इस प्रकार के चाकलेट उत्पादों के सकल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क की उच्च दर प्रदान करना, विशिष्टत: जब कि इस प्रकार के उत्पादों की प्रकृति के लिए कूट तार्किकता युक्त तकनीकी जानकारी अथवा नव प्रवर्तन की आवश्यकता नही है।

(2) इस प्रकार के उत्पादों के व्यापार मूल्य के 18 से 20 प्रतिशत तक फुटकर विक्रेता सीमा की देनदारी का प्रयोग करना;

(3) इस कम्पनी द्वारा लगाई गई कुल पूंजी पर 40 प्रतिशत के लगभग लाभ कमाना;

(4) वर्षों तक इन चाकलेट उत्पादों का मूल्य असंगत रूप से बढ़ाना, जिससे कम्पनी की एकाधिकारी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए युक्ति हीन लाभ कमाना ; एवं

(5) कम्पनी के प्रशासनिक ऊपर व्यय का आयात कम न करना, विशेष रूप से इसके विज्ञापन व्यय ।

जो एकाधिकारिक व्यापार प्रथायें समझी जा सकती हैं; जिनके परिणाम स्वरूप, इनके द्वारा निर्मित चाकलेट उत्पादों के उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण से संबंधित, लागत अनुचित रूप से बताई गई है। निरीक्षकों की सिफारिश पर, आयोग की, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 31 के अन्तर्गत एक निर्देश, दिया गया है। रिपोर्ट में प्रकाशित अन्य पक्षों पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

हल्दिया तेल शोधन शाला का निर्माण

5402. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था;

(ख) इसकी लागत का प्रारंभिक मूल अनुमान क्या था;

(ग) क्या हाल ही में उसमें वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) संयंत्र को चालू करने की प्रारंभिक मूल समयावलि क्या थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सितम्बर 1972।

(ख) लगभग 88 करोड़ रुपये ।

(ग) वर्तमान संकेतों के आधार पर प्रायोजना लागत लगभग 136 करोड़ रुपये तक की जा सकती है ।

(घ) मार्च 1976 तक ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत में की गई कटौती

5404. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने दुर्गापुर टिस्कों स्टील प्लांट्स और अलाय स्टील प्लांट्स को सप्लाई की जाने वाली विद्युत में भारी कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विद्युत की सामान्य सप्लाई कब तक आरंभ कर दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम को, जब भी इसका उत्पादन 550 मैं० से कम हुआ है, दुर्गापुर, टिस्को और अलाय इस्पात संयंत्रों को विद्युत की सप्लाई में कुछ कटौतियां लागू करनी पड़ी हैं। बहरहाल, जब भी उत्पादन 550 मैं० अथवा इससे अधिक होता है तो ये संयंत्र विद्युत की पूर्ण सप्लाई प्राप्त करते हैं। स्थिति में हाल ही में काफी सुधार हुआ है और चन्द्रपुरा में चौथे यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन होने से न इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है ।

चंडीगढ़ तथा लुधियाना के बीच रेल सम्पर्क बनाने संबंधी पंजाब सरकार का प्रस्ताव

5405. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ तथा लुधियाना के बीच रेल सम्पर्क का निर्माण करने के प्रस्तावों को भेजा है और इस संदर्भ में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेलवे बोर्ड की लागत का भुगतान भी कर दिया है;

(ख) क्या बहुत पहले से तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट अब प्रायः पुरानी तथा व्यर्थ हो गई है और आर्थिक तथा अन्य कारणों से इस परियोजना की अत्यावश्यकता को भी ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य द्वारा उद्योग तथा कृषि में तेजी से की गई प्रगति तथा उत्तरी सीमाओं में रक्षा के सामरिक स्थिति के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस अत्यावश्यक परियोजना को शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, जगाधरी-चंढीगढ़-लुधियाना के बीच एक बड़ी लाइन के प्रारंभिक एवं अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण के खर्चे को पंजाब सरकार, हरयाणा सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के बीच बांटा गया था।

(ख) जी नहीं। सर्वेक्षण हाल में किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट मार्च, 1973 में तैयार की गई थी। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइन का संरेखन निर्धारित करना था ताकि राज्य सरकार उसके लिए अपेक्षित जमीन अनुपलभ्य बना सके। सर्वेक्षण दल ने उस क्षेत्र के आर्थिक विकास-कार्यों को देखते हुए प्रत्याशित बढ़ने वाले यातायात को भी ध्यान में रखा है।

(ग) यह देखते हुए कि नयी रेलवे लाइन अत्यन्त अलाभप्रद होगी, इस परियोजना को शुरू करना इस समय सम्भव नहीं है जब रेलों के पास पहले से ही कम-धन राशि है। प्रतिरक्षा की दृष्टि से इस काम को करने के बारे में रक्षा मंत्रालय से रेल मंत्रालय को कोई पत्र नहीं मिला है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भारतीय इंजीनियरों का नेपाल का दौरा

5406. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भारतीय इंजीनियरों के एक दल ने हाल में नेपाल का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का प्रयोजन क्या है ; और

(ग) उस देश के अधिकारियों के साथ हुई इनकी बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, नई दिल्ली जैसे एक संगठन की स्थापना करने में नेपाल सरकार की सहायता करने के लिए तीन विशेषज्ञों के एक दल ने 11 से 18 मार्च, 1974 तक नेपाल का दौरा किया था।

(ग) इस दल ने नेपाल में जल और विद्युत विकास के क्षेत्र में वर्तमान संगठन तथा उनसे संबद्ध समस्याओं पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा सचिवों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श किया तथा नेपाल में उपलब्ध प्रशिक्षित कार्मिकों के संबंध में सूचना एकत्र की।

इस्पात संयंत्रों द्वारा बिजलीघरों की स्थापना

5407. **श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि देश में इस्पात संयंत्रों को अपने के स्वंय के बिजलीघर स्थापित करने की अनुमति दी जाए यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 'केपटिव' बिजलीघरों की स्थापना के संबंध में कोई सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश के बड़े-बड़े इस्पात कारखानों में पहले से ही केपटिव विद्युत संयंत्र हैं। हाल ही में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने राउरकेला तथा बोकारों में इस्पात संयंत्रों में केपटिव विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे हैं। मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड ने भी उत्पादन क्षमता में 40 मै० वा० की वृद्धि के लिए उनके संयंत्रों के विस्तार/बेलेसिंग उपस्कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में केपटिव विद्युत संयंत्रों की अनुज्ञा देने के लिए सरकार द्वारा कोई सामान्य मार्गदर्शन/सिद्धांत नहीं बनाए गए हैं। प्रत्येक मामले पर, उसके गुण-दोषों के आधार पर, विचार किया जाता है।

कोरवा, तालचेर और रामगुण्डम में उर्वरक कारखानों की स्थापना

5408. **श्री गजाधर माझी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले से उर्वरक का उत्पादन करने के लिये कोरवा, तालचेर (उड़ीसा) और रामगुण्डम (आंध्र) में लगाये जा रहे उर्वरक कारखानों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इन कारखानों में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ; और

(ग) इन कारखानों की स्थापना पर कारखानेवार कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) तालचेर और रामगुण्डम प्रायोजनाएं संरचना की अग्रिम स्थिति में हैं, जनवरी 1976 तक उनमें उत्पादन आरम्भ किए जाने की आशा है। जनवरी, 1978 तक जिस कोरवा प्रायोजना के कार्य आरम्भ किए जाने की आशा की जाती है उस पर प्रारम्भिक कार्य जारी है। इन तीनों की प्रत्येक योजनाओं पर लगभग 118 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और जब इसमें पूर्ण उत्पादन होगा तब इससे लगभग 1500—2000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा कोसी एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का सर्वेक्षण

5409. **श्री गजाधर मांझी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीयी जल और विद्युत आयोग ने कोसी तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में हर वर्ष आने वाली बाढ़ से बचने के लिए उपायों पर विचार करने की दृष्टि से इन नदियों के भू-वैज्ञानिक एवं अन्य विभिन्न पहलुओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1957 में गठित बाढ़ों पर उच्चस्तरीय समिति ने भारत में बाढ़ प्रवण नदियों के व्यापक अध्ययन किए थे। इस समिति में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग का प्रतिनिधित्व था और उनके द्वारा समिति के अध्ययन एवं इसका सचिवालीय कार्य भी किया गया था। समिति के निष्कर्षों को 11 फरवरी, 1959 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में सभा पटल पर रख दिया गया था।

समिति ने कोसी और ब्रह्मपुत्र सहित भारत के विभिन्न नदी बेसिनों में बाढ़ समस्या, नदियों और उनके वाह-क्षेत्रों की विशेषताओं के विस्तृत अध्ययन किए थे और बाढ़ों के प्रति सुरक्षा हेतु किए जा सकने वाले उपायों के संबंध में सुझाव दिए थे। उन्होंने बाढ़ों के इतिहास, उनकी वारम्बारता, उनके विस्तार एवं वाह क्षेत्र की विशेषताओं आदि के और अध्ययन करने के पश्चात् उनके द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार विभिन्न नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण की व्यापक स्कीमों को तैयार करने पर बल दिया था।

बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय होने के कारण व्यापक स्कीमें तैयार करने एवं बाढ़ सुरक्षा उपायों के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर इस संबंध में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तकनीकी सहायता देता है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए असम सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। आयोग ने एक व्यापक योजना तैयार करने का कार्य, प्रारम्भ किया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्थापित सलाहकार बोर्ड द्वारा सहायता दी जाती है सलाहकार बोर्ड में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग का भी प्रतिनिधित्व है।

कोसी नदी के संबंध में, पहले से हाथ में लिए गए सुरक्षात्मक उपायों द्वारा इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। शेष समस्याओं से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा और उपायों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्य में राज्य सरकार गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से सहायता ले सकती है जिसको गंगा बेसिन के लिए जिसमें बहुत से राज्य आ जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक एवं समन्वित योजना तैयार करने हेतु सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।

बिजली उत्पादन के बारे में भारत और रूमानिया के बीच नई दिल्ली में बातचीत

5410. **श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उत्पादन के बारे में भारत और रूमानिया के बीच जनवरी, 1974 में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) यह पता लगा लिया गया था कि कहां-कहां आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है और यह स्वीकार कर लिया गया था कि इन क्षेत्रों का दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से अध्ययन किया जाए, ताकि ठोस प्रबंध किए जा सकें।

भारत रूमानिया के बीच तेल की खोज के बारे में चर्चा

5411. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में भारत-रूमानिया के बीच तेल की खोज के बारे में चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां। इन विचार-विमर्शों के अनुसरण में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 6 व्यधन एवं 3 वर्क-ओवर रिगों को खरीदने के लिए रूमानिया के सप्लायरों को आर्डर दे दिए हैं।

नेपाल में करनली विद्युत परियोजना को सहायता

5412. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल को करनली विद्युत परियोजना की जांच करने और इस-के पूरा होने में सहायता देने के लिए राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में भारत का वित्तीय अंशदान कितना होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) मंत्री : (क) यह स्वीकार कर लिया गया है कि परियोजना के अनुसंधान के साथ भारतीय विशेषज्ञों को सहयोजित कर लिया जाए।

(ख) परियोजना पर धन लगाने के लिए प्रबन्धों को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है।

कोयले के बड़े प्रयोक्ताओं के लिये अपने वैगन रखने संबंधी योजना

5413. **श्री धामनकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कोयले के बड़े प्रायोक्ताओं को अपने एककों में कोयले की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये अपने वैगन रखने की सलाह दी गई है ; और

(ख) क्या इससे रेलवे के कार्यकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक अधानाशीनी पन बिजली परियोजना

5414. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अधानाशीनी पन बिजली परियोजना भूकम्पन-क्षेत्र में स्थित है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भूकम्पणीय सर्वेक्षण से संबंधित स्थिति प्रकाशित की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया) द्वारा किए गए प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययनों से पता चला है कि कर्नाटक में अधानाशीनी जल विद्युत परियोजना सक्रिय भूकम्पी क्षेत्र में नहीं पड़ती किन्तु आई० एस० आई० सोसमिकजोनिंग मैप आफ इंडिया के भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ती है। परियोजना के भूकम्पीय अध्ययनों पर मूल्यांकन अध्ययन अभी किए जाने हैं।

केरल में कुकिंग गैस का वितरण

5415. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुकिंग गैस का वितरण पिछले कुछ दिनों से अस्तव्यस्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1974 के माह में कोचीन शोधनशाला को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ईंधन गैस के भरे हुए सिलेंडरों की उपलब्धि में रुकावट आ गई थी। इसके परिणामस्वरूप केरल के बाजार में सप्लाई की कमी हो गई। यह आशा की जाती है कि शोधनशाला भरे हुए सिलेंडरों की सप्लाई शीघ्र आरंभ करेगी। एक बार सप्लाई के पुनः चालू हो जाने पर, तीन से चार सप्ताहों के भीतर सप्लाई की स्थिति सामान्य हो जाएगी।

केरल के विधायकों के प्रयोग के लिए रेलवे कूपन की किताब की सप्लाई

5416. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा सचिवालय ने विधायकों के प्रयोग के लिये रेलवे कूपन की किताबों की सप्लाई के लिये अक्तूबर, 1973 में रेलवे से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सप्लाई कब की गई थी;

(ग) क्या इन कूपनों की सप्लाई में विलम्ब कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा केरल राज्य विधान सभा को अपेक्षित कूपन पुस्तकें 28-2-1974 और 2-3-1974 को सप्लाई की गयी थी।

(ग) सप्लाई की व्यवस्था करने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में मंडलीय मुख्य कार्यालय की स्थापना करना

5417. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर ने अखिल केरल रेलवे प्रयोक्ता एसोसियेशन के त्रिवेंद्रम में हुए आठवें सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि रेलवे द्वारा त्रिवेंद्रम में मंडलीय मुख्य कार्यालय की स्थापना के लिये पहले कदम के रूप में शीघ्र ही त्रिवेंद्रम में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और त्रिवेंद्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तपुर रेलवे शेड में विस्फोट

5418. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल ही में चित्तपुर रेलवे शेड में विस्फोट से 6 रेलवे कर्मचारी घायल हो गये थे, और

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 19-2-1974 को लगभग 12.10 बजे जबकि सवारी और माल डिब्बा कर्मचारी चित्तपुर के छतदार शेड में मरम्मत लाइन नं० 2 पर माल डिब्बा नं० ई० आर० के० सी० 37616 (खाली) में गैस सिलिन्डर से मरम्मत कार्य कर रहे थे, एक विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप छः कर्मचारी घायल हो गये थे। सभी घायल कर्मचारियों का इलाज बी० आर० सिंह अस्पताल में किया गया था और घायल कर्मचारियों में से एक अर्थात् बेल्डर प्रबोध चन्द्र डे की चोटों के कारण उक्त अस्पताल में 13-3-74 को मृत्यु हो गयी थी। सरकारी रेलवे पुलिस सियालदह ने विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दिनांक 19-2-74 को केस नं० 23 नाम से एक मामला दर्ज किया था। बम दस्ते के सहायक आयुक्त और कलकत्ता पुलिस के विस्फोटक निरीक्षक ने भी उक्त स्थान का मुआयना किया था और वहां से कब्जे में लिये गये सामान को विस्फोटक विशेषज्ञ की राय के लिए भेज दिया गया था। जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस विस्फोट के कारण अथवा उद्देश्य के बारे में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

1973 के दौरान तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण रेलवे को हुई क्षति

5419. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 में रेलवे को तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण कितनी राशि का नुकसान उठाना पड़ा ; और

(ख) इस नुकसान की पूर्ति के लिये रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 13 करोड़ रुपये।

(ख) बेहतर कार्य तथा कुशल संचालन के द्वारा इन हानियों को पूरा करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

रेलवे सुरक्षा सेना के एक सिपाही द्वारा दिल्ली स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ बलात्कार करने का कथित प्रयास

5420. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा सेना के एक सिपाही ने गत 12 फरवरी, 1974 को दिल्ली जंक्शन पर एक महिला यात्री के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की ग्रौर पकड़ा गया ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ग्रौर उक्त सिपाही के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ग्रौर (ख) रेलवे संरक्षा दल नाम का कोई संगठन नहीं है। रेलों के रेलवे सुरक्षा दल नामक संगठन में सिपाही जैसा कोई पदनाम नहीं है।

10/11 फरवरी, 1974 की रात को, न कि 12 फरवरी, 1974 को जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, दिल्ली जंक्शन स्थित दिल्ली रेलवे पुलिस थाने के ड्यूटी ग्रधिकारी को यह सूचना मिली थी कि दिल्ली रेलवे पुलिस का सिपाही नं० 6 रिसाल सिंह एक यात्री महिला को स्टेशन की इमारत के प्रथम तल पर स्थित एक कार्यालय कक्ष में ले जा रहा है। सूचना मिलते ही ड्यूटी ग्रधिकारी ऊपर गया ग्रौर सिपाही तथा संबंधित महिला को पुलिस थाने ले ग्राया। दिल्ली के पुलिस सर्जन द्वारा की गयी डाक्टरी परीक्षा से मालूम हुग्रा कि व्यभिचार नहीं किया गया था। दिल्ली जंक्शन स्थित दिल्ली रेलवे पुलिस थाने में 12-2-74 को एफ० ग्राई० ग्रार० नं० 85 के द्वारा सिपाही नं० 6 रिसाल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा नं० 375/354/342 के ग्रन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है। सिपाही को मुग्रत्तिल कर दिया गया है ग्रौर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। रासायनिक जांच के द्वारा ग्रौर प्रमाण इकट्ठे किये जा रहे हैं। रिपोर्ट की ग्रभी प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष इजाजत द्वारा दाखिल याचिकाएं

5421. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में 15 जुलाई, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक विशेष इजाजत से सरकार के विरुद्ध कितनी याचिकाएं दाखिल की गई ; ग्रौर

(ख) इसी न्यायालय में विशेष इजाजत से 1970, 1971 ग्रौर 1972 में कितनी-कितनी याचिकाएं दाखिल की गई ?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० ग्रार० गोखले) : (क) 33

(ख)	15-7-70 से 31-12-70 तक	61
	15-7-71 से 31-12-71 तक	57
	15-7-72 से 31-12-72 तक	67

पश्चिम बंगाल को विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाना

5422. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किन-किन विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति देने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह शीघ्र इनकी स्वीकृति दे दें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) पश्चिम बंगाल के लिये निम्नलिखित विद्युत उत्पादन स्कीमें स्वीकृत की गई हैं:—

स्कीम का नाम	क्षमता (मैगा-वाट)
1. बन्देल ताप केन्द्र विस्तार (1 × 200 मेगावाट)	200
2. कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र (3 × 200 मेगावाट)	600
3. जलढाका जल विद्युत स्कीम चरण-दो (2 × 4 मैगावाट)	8
4. रिंचिंगटन जल विद्युत स्कीम चरण-दो (2 × 1 मैगावाट)	2

इसके अतिरिक्त, संथालदीह ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (1 × 200 मैगावाट) दुर्गापुर कोक ओवन ताप केन्द्र विस्तार (1 × 200 मैगावाट) तथा दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड विस्तार (1 × 110 मैगावाट) को परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है ।

पुरुलिया-कोटशिला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5423. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरुलिया-कोटशिला लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच इस बीच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नसराला स्टेशन पर गार्ड की मार-पीट

5424. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर से जालंधर सिटी तक की 7 जे० एच० यात्री गाड़ी के प्रभारी गार्ड की 31 जनवरी, 1974 को नसराला स्टेशन पर मार-पीट की गई और गाड़ी पर भारी पथराव किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या होशियारपुर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गार्ड की रक्षार्थ आना पड़ा और उन्होंने पुलिस की सुरक्षा में आगे की यात्रा सुनिश्चित की ;

(ग) क्या इस घटना के परिणामस्वरूप गार्डों में व्याप्त गंभीर असुरक्षा की भावना के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला और उसमें उल्लिखित मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) रेलवे कर्मचारियों के जीवन की रक्षा के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) होशियारपुर के पुलिस अधीक्षक पुलिस दल सहित घटना-स्थल पर पहुंचे और पुलिस जालंधर सिटी तक सम्बन्धित गाड़ी के साथ गयी। परन्तु इस घटना में गार्डों में असुरक्षा की भावना का कुछ संकेत मिला।

(घ) सम्बन्धित सदस्य के माध्यम से फिरोज़पुर मण्डल के गार्डों का एक अभ्यावेदन प्राप्त हो चुका है और उस पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ङ) रेलें अपने कर्मचारियों के जान-माल के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था करने में राज्य सरकारों की सभी स्तरों पर सहायता प्राप्त करने के लिये निरन्तर उनसे सम्पर्क बनाये रखती हैं। महत्वपूर्ण गाड़ियों, विशेष रूप से रात में चलने वाली गाड़ियों में सशस्त्र आरक्षियों की व्यवश्था की जाती है जो कर्मीदल की भी सुरक्षा करते हैं। रेल संचालन और रेल कर्मचारियों के काम में हस्तक्षेप करने वाले दोषियों को भारतीय रेल अधिनिमम के अधीन निवारक दन्ड दिये जाते हैं।

फरक्का बराज वर्कशाप को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित करना

5425. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये फरक्का बराज वर्कशाप के नियंत्रण को केन्द्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कृषि पम्पों के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के एक उपक्रम मैसर्स वेस्टिंगहाऊस सैक्सबाई फार्मर लिमिटेड द्वारा उपयोग के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का फरक्का बराज वर्कशाप के हस्तान्तरण के लिये पश्चिम बंगाल

सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल, यह प्रस्ताव किया जा चुका है कि केन्द्रीय सैक्टर में फरक्का में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाए। अतः वर्कशाप के हस्तान्तरण के प्रश्न पर और विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रस्तावित ताप परियोजना से भी सुविधा की आवश्यकता हो सकती है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

5426. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सूखा-ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लाभ के लिये अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में सांगली और सतारा जिलों में सूखा-क्षेत्रों को किन परियोजनाओं से लाभ पहुंचेगा ;

(ग) क्या राज्य सरकार से यह बात मालूम की गई थी कि उन परियोजनाओं का निष्पादन उन जिलों में सूखा-ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के वास्तविक लाभ के लिये किया जा रहा है ; और

(घ) राज्य सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) वार्ना परियोजना से महाराष्ट्र के सांगली जिले को और कृष्णा परियोजना से सांगली एवं सतारा जिलों को लाभ पहुंचेगा।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं के विस्तार में किसी संशोधन के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महाराष्ट्र का ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कार्यक्रम

5427. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के धन-राशियों के अपर्याप्त आबंटन के कारण पिछड़ जाने की संभावना है ;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी, और

(ग) 1974-75 वर्ष एवं सम्पूर्ण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 91 करोड़ रुपये के परि-व्यय का प्रस्ताव किया था। किन्तु योजना आयोग ने केवल 40 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया है। इस धन राशि से 3,100 ग्रामों के विद्युतीकरण और 64,300 पम्पों के ऊर्जन में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम से भी ऋण प्राप्त कर सकेगी।

महाराष्ट्र में 35,851 ग्रामों में से 45.6 प्रतिशत ग्राम 31-1-1974 तक विद्युतीकृत किए जा चुके थे और पांचवीं योजना का कार्यक्रम यह सुनिश्चित कर देगा कि महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण अखिल भारतीय स्तर से अधिक रहे। राज्य योजना में 1974-75 के वर्ष के लिये 7.5 करोड़ रुपये का अनंतिम आवंटन किया गया है।

सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट परियोजना के लिए बल्लारपुर पेपर मिल्स द्वारा मांगा गया एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रिया आयोग का अनापत्तिपत्र

5428. **श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा वरिवासप्पा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारपुर पेपर मिल्स ने कर्नाटक के कारवार नामक स्थान में सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट परियोजना के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से अनापत्तिपत्र की मांग की है ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने अनापत्तिपत्र दे दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) बेल्लापुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड नें कारवार में, सोडियम ट्रिपोली फास्फेट के निर्याणार्थ, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 21 के अन्तर्गत निम्नांकित दो नोटिस दिये है :

क्रम संख्या	निवेदित की गई वार्षिक क्षमता	नोटिस की प्राप्ति की तारीख
1.	10,000 टन	30-9-1972
2.	14,000 टन	27-3-1974

(ख) तथा (ग) सरकारने प्रथम प्रस्ताव को पुनः जांच के लिये एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित करना आवश्यक नहीं समझा हैं। अतः इस प्रस्ताव के, आयोग द्वारा निर्बाधन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। द्वितीय प्रस्ताव केवल मात्र 27-3-1974 को प्राप्त हुआ है व उस पर विचार किया जा रहा है।

Inquiry into the Railway accident near Birpur on Central Railway

5429. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the enquiry ordered into the Railway accident near Birpur on Central Railway has been completed;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the loss suffered by the Railways thereby and the total amount of compensation paid by the Railways to the victims or their families ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The accident has been inquired into by the Additional Commissioner of Railway Safety, Bombay. According to his provisional findings, the accident was due to the failure of railway staff..

(c) The cost of damage to railway property has been estimated approximately at Rs. 17,000/-. No compensation has been paid so far to the victims or their familes. But an ex-gratia payment of Rs. 2,500/- in all to five relatives of the deceased and Rs. 1,200/- in all to 4 injured passengers has been made.

New Decisions for Providing More Facilities to Railway Employees

5430. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain new decisions have recently been taken for providing more facilities to the Railway employees ;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the time by which these decisions would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quresh) : (a) to (c) Apart from the implementation of the recommendations of the Third Pay Commission in respect of Railway employees, certain concessions in the matter of employment on grounds of compassion to the children of Railwaymen who have rendered outstanding service to the Railways have recently been granted.

Derailment of three Bogies of Kathgodam-Lucknow Express on the 5th March, 1974

5431. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether several persons were injured as a result on derailment of three bogies of Kathgodam-Lucknow Express on 5th March, 1974;

(b) whether the causes of the derailement have been enquired into;

(c) whether such incidents are now increasing; and

(d) the total amount of loss suffered by Railway in the above accident ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) In this accident only one person sustained simple injuries.

(b) Yes.

(c) No.

(d) The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 13,883/-.

Bomb explosion at Gorakhpur Railway Station on the 6th March, 1974

5432. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether two bombs exploded at Gorakhpur Railway Station on the 6th March, 1974 ;

(b) Whether the Railway Police found out two more bombs in a heap of refuse; and

(c) if so, the broad outlines of the enquiry made in respect of these bombs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) On 6-3-1974 at about 11.00 hrs., an explosion was heard on platform No. 4 of Gorakhpur Railway Station under the empty rake of train No. 216 Dn. standing there. A dog, apparently killed by this explosion, was found at the spot. Three small crackers of the size of small potatoes were found lying nearby. A representative of R.T.O. Gorakhpur examined these objects and gave an opinion that they were ordinary crackers. These were rendered harmless by dousing with water. Same day another explosion occurred outside the Railway Station in garbage dump near the Railway Quarters, killing a stray pig. This explosion was also caused by a country cracker.

Cases have been registeted by the Police on both the occurrences and are being investigated. No bomb has been found used in the explosion.

पारादीप में उर्वरक संयंत्र के संबंध में निर्णय

5433. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप स्थान पर उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है और स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ; और

(ग) इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सरकार ने, रिफान्त रूप में, पांचवी योजना अवधि के दौरान पारादीप में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयन्त्र स्थापित करना स्वीकार किया है।

से फालतू बिजली की हरियांणा और उत्तर प्रदेश को सप्लाई

5434. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में केवल दिल्ली में ही फालतू बिजली उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितनी बिजली फालतू है ; और

(ग) इस फालतू बिजली को पड़ौसी राज्यों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कुछ अन्य राज्यों के साथ दिल्ली में भी कुछ फालतू बिजली है जो कि सहवर्ती राज्यों में बिजली की कमी को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। दिल्ली में उपलब्ध फालतू ऊर्जा 0.9 जी० डब्ल्यू० एच० प्रतिदिन तक है। यह हरियाणा से सप्लाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश को अन्य सहवर्ती प्रणालियों और बदरपुर से सहायता दी जा रही है ?

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल इंजनों की आवश्यकता

4535. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक इंजनों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेल इंजनों को प्राप्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है तथा विदेशों को ऐसे कितने रेल इंजन निर्यात किए जाऐंगे ; और

(ग) क्या रेल इंजनों की वर्तमान कालावधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मुख्य लाइन के 561 डीज़ल, मीटर मुख्य लाइन के 151 डीज़ल, बड़ी लाइन के 396 बिजली रेल इंजन, बड़ी लाइन के 100 डीज़ल शटर और छोटी लाइन के 20 डीज़ल रेल इंजन बनाने का प्रस्ताव है। जहां तक रेल इंजनों के निर्यात का सम्बन्ध हैं, हम इसकी व्यावहारिकता की जांच कर रहे हैं। अधिकांश विकासशील देश विश्वव्यापी टैंडरों के जरियें चल-स्टाक, जिसमें रेल इंजन भी शामिल है, खरीदते हैं। भारतीय रेलों के उत्पादन कारखाने इसमें हिस्सा लेते हैं बशर्ते रेल इंजनों की किस्म, अश्व-शक्ति, क्षमता आदि उनकी निर्माण-परिधि के अन्तर्गत आते हैं, लेकिन अभी से उनके निर्यात की मात्रा और ठीक-ठीक व्यावहारिकता का पता नहीं लग सकता।

(ग) तेल संकट के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि सामान्यतः 50 वर्ष से पुराने गतायु भाप रेल इंजनों को आयु एवं हालत के आधार पर बेकार घोषित किया जाये हालांकि इन रेल इंजनों की सामान्य निर्धारित अवधि 40 वर्ष है। हर हालत में इन इंजनों को बेकार घोषित करने के प्रत्येक मामले को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जायेगा।

रेल कार प्रणाली शुरु करना

5436. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में रेल कार प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेल मार्गों पर चलाई जाने वाली ऐसी रेल कारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनको कब चलाया जाएगा ;

(घ) इन कारों पर लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकेंगे और इनकी माल ढोने की क्षमता कितनी होगी ; और

(ङ) रेल यातावात की वर्तमान मांग को कम करने में ये किस सीमा तक सहायक होंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यात्री यातायात की निकासी के लिए डीजल रेल कार सेवाएं जालंधर और राजमुंडी क्षेत्रों में बड़ी लाइन पर ; तिरुचिरापल्लि, मैसूर, कानपुर और वाराणसी क्षेत्रों में मीटर लाइन पर और शिमला-कालका तथा बर्दवान-कटवा खण्डों में छोटी लाइन पर पहले से ही चल रही हैं। जालंधर शहर-होशियारपुर खण्ड में बड़ी लाइन पर और बैंगलूरु शहर-बंगरपेट्ट खण्ड में छोटी लाइन पर डीजल रेल कारें चलाने के लिए भी डीजल रेल कारों का आर्डर दिया गया है ।

(ग) बड़ी लाइन की रेलकारें, अभी तक, देश में नहीं बनायी जाती थीं। बतौर नमूने के बड़ी लाइन की दो रेलकारें अब देश में बनायी जा रही हैं और उनके कार्य के आधार पर इनका आगे उत्पादन करने के सवाल पर विचार किया जायेगा । इसके अलावा छोटी लाइन की रेल कारों के छः सेट भी बनाये जा रहे हैं। चूंकि बड़ी और छोटी दोनों लाइनों की रेल कारों के उत्पादन में बहुत सी तकनीकी समस्याएं सुलझानी होंगी, इसलिये इनके चलाये जाने की ठीक-ठीक तारीखें बतलाना सम्भव नहीं है।

(घ) एक बड़ी लाइन की रेलकार यूनिट में जिसमें दो पावर कारें और एक ट्रेलर होता है, बैठने के लिये दूसरे दर्जे की 342 सीटों की क्षमता रहती है। छोटी लाइन रेलकार यूनिट में एक चौपहिया पावर कार और 4 चौपहिया ट्रेलर होते हैं और उनमें बैठने के लिए दूसरे दर्जे की 186 सीटों की क्षमता होती है । इन रेलकारों में माल के लिए जगह की व्यवस्था नहीं रहती।

(ङ) इससे केवल उन खण्डों पर ही भीड़-भाड़ कम होगी जिन पर रेलकारें चलायी जा रही हैं। अतिरिक्त रेलकारें चलाने की बात तेलसंकट के कारण स्थगित कर दी गयी है।

भद्राचलम से कोवूर (दक्षिण मध्य रेलवे) बीच नई रेलवे लाइन

5437. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में भद्राचलम रोड़ से कोवूर के बीच एक नई लाइन का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को वर्ष 1974-75 में शुरू किया जाएगा ;

) यदि नहीं, तो इस परियोजना को शुरू न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मंत्रालय को पता है कि इस नई लाइन से कुमाम्म जिले के पिछड़े क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों को सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अद्यतन अध्ययन रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि यह लाइन अत्यधिक अलाभप्रद होगी जिससे इस परियोजना पर काम शुरू करने का विचार नहीं है ।

(घ) जी हां।

गोदावरी बांध के निर्माण के लिए सर्वेक्षण

5438. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बांध के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 26.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गोदावरी बराज का निर्माण पहले से ही किया जा रहा है बराज जो कि वर्तमान एनिकट के लिए एक प्रतिस्थापन संरचना होगी, को लगभग 3620 मीटर लम्बा बनाना आयोजित किया गया है। इसमें 175 वे होंगी जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 18.3 मीटर होगी।

कलकत्ता में 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा-एक्सप्रेस तथा शंटिंग इंजन के बीच टक्कर

5439. **श्री पी० ए० स्वामीनाथन् :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस तथा शंटिंग इंजन के बीच 9 मार्च, 1974 को हुई टक्कर में 230 व्यक्ति घायल हो गए तथा तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दुर्घटना की जांच करने का कोई आदेश दिया गया था ; और

(ग) दुर्घटना में हताहत होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 9-3-1974 को पूर्व रेलवे के मधुपुर स्टेशन पर जब 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी एक यार्ड पायलट इंजन से टकरा गयी थी, तो कोई व्यक्ति मारा नहीं गया था लेकिन 23 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं।

(ख) जी हां।

(ग) दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है।

वर्ष 1973-74 में दक्षिण मध्य रेलवे जोन में ऊपरिपुलों और निचले पुलों के निर्माण के लिये मंजूर धनराशि

5440. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे जोन में ऊपरिपुलों और निचले पुलों के निर्माण के लिए 1973-74 में कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 5.53 लाख रुपये।

(ख) जनवरी, 1974 तक 4.44 लाख रुपये खर्च किये गये।

ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल बनाने की 14 योजनाओं में से, जो 1973-74 में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में अग्रानीत निर्माण कार्यों के रूप में शामिल की गयी थीं, 5 योजनाओं के पुल खास के निर्माण का काम रेलवे ने पूरा कर लिया है। इनमें तीन वे योजनाएं भी शामिल हैं जो वास्तव में पहले ही पूरी हो चुकी थीं परन्तु जिन्हें वित्तीय समायोजन के लिए कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अन्य 5 योजनाओं पर कार्य हो रहा है। एक योजना सड़क प्राधिकरण द्वारा स्थगित कर दी गयी है तथा शेष योजनाएं अभी आरम्भ की जानी हैं।

18LSS/74—8

दक्षिण मध्य जोन के लिए पृथक रेलवे सेवा आयोग

5441. **श्री बी० एस० राममूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य जोन के लिए एक पृथक रेलवे सेवा आयोग बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा आयोग कब से कार्य करना शुरु कर देगा और इसका मुख्यालय किस जगह पर होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1974-75 के दौरान सिकन्दराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे जोन के लिए एक पृथक रेल सेवा आयोग खोलने का प्रस्ताव है।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा चालू वर्ष में की गई हड़तालें एवं नियमानुसार कार्य किया जाना

4442. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल कर्मचारियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रदेशों में की गई हड़तालों एवं नियमानुसार काय करने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई और सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों में उत्तरदायित्व तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या स्थायी उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1974 में अब तक कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों, शेड अनुरक्षण कर्मचारियों, लोको रनिंग कर्मचारियों, तकनीकी पर्यवेक्षकों, गाड़ी परीक्षकों गार्डों और शेडमैनों का एक वर्ग आन्दोलन करता रहा है। इन आन्दोलनों का ब्यौरा और इनसे होने वाली हानि के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) सभी कोटियों के कर्मचारियों की वैध मांगों पर विचार किया जाता है और एक लम्बे अर्से से संवैधानिक और प्रयोजनपूर्ण ढंग से काम कर रही सामूहिक आदान-प्रदान व्यवस्था के विभिन्न स्तरों अर्थात् स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के माध्यम से उन मांगों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, गैर मान्यता-प्राप्त संगठनों सहित कहीं से भी प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जब अपनी शिकायतों को पेश करने और उन्हें दूर करवाने की इतनी गुंजाइश मौजूद हो, तब अवैध हड़ताल और 'नियमानुसार काम' 'संरक्षा परक काम' जैसे आन्दोलनों के अचानक प्रस्फुटित होने के लिए वास्तव में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

2. इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय रेलों पर श्रमिक सम्बन्ध एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के तत्वावधान में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ कई विशेष बैठकें बुलायी गयीं जो लाभदायक सिद्ध हुई हैं। केवल इतना

ही नहीं 4 फरवरी, 1974 को श्रमिक सम्बन्धों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और श्रमिक समस्याओं में रूचि रखने वाले कुछ संसद सदस्यों केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के कुछ नेताओं और दो मान्यता प्राप्त फ़ेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में एक उद्योग में एक यूनियन की नीति सिद्धान्त रूप से मान ली गयी है।

3. भारत रक्षा नियम, 1971 का उपयोग करते हुए 25-11-73 को जारी किये गये आदेशों के अधीन रेलवे में 26-11-73 से छः महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गयी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अवैध हड़ताल करने वाले रेल कर्मचारियों को दण्ड दिया जा सकता है।

5. हड़तालों और आन्दोलनों को भड़काने वाले तत्वों को निरुत्साहित करने के लिए "काम नहीं, तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त लागू करने का विनिश्चय किया गया है।

6. अनुशासनहीनता के सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जायेगी।

7. शिकायत निवारण व्यवस्था और कार्यान्वियन कक्ष में कर्मचारियों की संख्या उपयुक्त रूप से बढ़ायी जा रही है।

8. यह भी विनिश्चय किया गया है कि निष्ठावान कर्मचारियों की सेवा को मान्यता दी जाये और अद्वितीय सेवा के लिए उनका सेवा-काल बढ़ाया जाये, उन्हें पुरस्कार दिये जायें, अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जायें और निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को नौकरी देने में प्रशासनिक नियमों के भीतर तरजीह दी जाये।

भारतीय तेल निगम द्वारा कुकिंग गैस के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध

5443. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल ही में सरकार से कुकिंग गैस के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) मूल्य में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की रोजगार तथा उत्पादन क्षमता

5444. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने की रोजगार क्षमता क्या है; और

(ख) उक्त तेल शोधक कारखाने की अनुमानित क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मथुरा शोधनशाला की रुपांकित क्षमता 6 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। आशा की जाती है कि शोधनशाला कमपैक्स चालू होने पर, 1,1000 व्यक्तियों को रोजगार देगा।

बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों तथा अपंग सैनिकों को आबंटित की गई एल० पी० जी० एजेंसियां

5445. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने प्रत्येक राज्य में अब तक कितने बेरोजगार स्नातकों और इंजीनियरों की एल० पी० जी० की एजेन्सियां आवंटित की हैं; और

(ख) क्या अपंग सैनिकों को तथा मृत सैनिकों के आश्रितों को भी उक्त एजेन्सियां आबंटित की जाती हैं, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के व्यक्तियों को कितनी एजेन्सियां आबंटित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नांगल भाखड़ा परियोजना रेलवे को अपने अधिकार में लेना

5446. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नांगल-भाखड़ा परियोजना रेलवे को अपने अधिकार में लेने के बारे में कोई मांग मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग पर कोई निर्णय किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नंगल डैम से भाखड़ा तक (भाखड़ा परियोजना प्राधिकरण द्वारा निर्मित) निजी साइडिंग को उत्तर रेलवे द्वारा अपने अधिकार में ले लेने तथा विकल्प के रूप में बिना अधिकार में लिये उसका संचालन उक्त रेलवे द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर उत्तर रेलवे के परामर्श से विचार किया जा रहा है। चूंकि इस प्रस्ताव में निहित कई जटिल पहलुओं की ब्योरेवार जांच करनी होगी, अतः अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि इस संबंध में अन्तिम विनिश्चय किस तारीख तक हो जायेगी।

यात्री किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि

5447. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी बार विभिन्न श्रेणियों के यात्री किरायों तथा माल भाड़ों में वृद्धि की गई है;

(ख) प्रत्येक बार विभिन्न श्रेणियों में ठीक कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक बार आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री किरायों में चार बार और माल की भाड़ा दरों में तीन बार वृद्धि की गयी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 6604/74]

(ग) यात्री किरायों और माल भाड़ा दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि किसी वर्ष विशेष में होने वाले कुल आमदनी पर यातायात की मात्रा, वहन दूरी दरों में संशोधन आदि विभिन्न तत्वों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन

5448. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया; और

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई धनराशी से यह कितना कम है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने राज्य में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना में 55.55 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। हिमाचल प्रदेश की पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता

5449. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है; और

(ख) इस सहायता से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हिमाचल प्रदेश की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 4.25 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है। इस राशि से 930 ग्रामों के विद्युतीकरण और 990 पंपों के अर्जन में सहायता मिलेगी।

(ख) राज्य में 13060 ग्राम हैं। पाचवीं योजना के अन्त तक 4930 ग्रामों के विद्युतीकरण की संभावना है। तब प्रतिशतांश 37.8 हो जाएगी।

जनवरी, 1974 में दिल्ली में हुई कुरेशी समिति की बैठक में किये गये निर्णय

5450. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में दिल्ली में कुरेशी समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले लोगों के नाम क्या हैं; और

(ग) किन समस्यायों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय में उप-मंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में गठित लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की बैठक 17-1-74 से 20-1-74 तक हुई और इसमें सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य श्रम आयुक्त ने भी भाग लिया।

जिन बातों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं :—

(i) 28-12-73 को रेल मंत्री द्वारा घोषित उप समिति में कर्मचारी पक्ष ने अपने प्रतिनिधि और उसकी सहायता के लिए सलाहकारों को नामित किया।

(ii) उप समिति का कार्य क्षेत्र और उसके कार्य निश्चित किये गये।

(iii) समिति के समक्ष 3 अनिर्णीत मामलों के संबंध में अर्थात् 'समान काम के लिए समान वेतन' 'चिकित्सा के आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों के लिए वेतन का संरक्षण, और "रनिंग भत्ता नियमों के युक्ति युक्तिकरण" के बारे में सरकारी पक्ष के कर्मचारी पक्ष को इनमें से दो मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे दी और तीसरे मुद्दे पर अपनी टिप्पणी बाद में देने की सहमति दे दी है।

(iv) अधिकारी पक्ष द्वारा कर्मचारी पक्ष को मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों पर 10 घंटे की कार्यप्रणाली शुरु करने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया गया।

(v) यह विनिश्चय किया गया कि मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियों पर 10 घंटे की कार्य प्रणाली शुरु करने का काम जहां कहीं सम्भव हो, 15-2-74 से शुरू किया जाये।

(vi) इसके अलावा यह विनिश्चय भी किया गया कि जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, क्रियान्वयन की अवधि 3 वर्ष से कम करने की व्यावहारिकता पर विचार करने के उद्देश्य से यह समिति विभिन्न कार्य-संचलन स्थितियों के साथ कुछ मंडलों का क्षेत्र अध्ययन करेगी और क्षेत्रीय रेलों द्वारा तैयार की गयी क्रियान्वयन योजनाओं का अध्ययन भी करेगी।

मेसर्स भारत एयर को विदेशी मुद्रा का आबंटन

5451. **श्री सी० चितिबाबू :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत एयर ने दो पुराने वैल 47जी 5 हेलीकोप्टरों की खरीद तथा उन्हें मैसर्स आयल इण्डिया लिमिटेड को पाइप लाइन सर्वेक्षण हेतु किराये पर देने के लिये विदेशी मुद्रा के लिये आवेदन किया है;

(ख) क्या इस प्रकार के हेलीकाप्टर देश में मैसर्स मानेकजी, महेन्द्र एण्ड महेन्द्र, सांधी एवीएशन, खेमका एवीएशन, सदर्न एवीएशन, पुस्पक एवीएशन के पास मैसर्स ग्रायल इंडिया को अपेक्षित प्रयोजन किराये पर देने हेतु उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स भारत एयर के अनुसार इसके बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मैसर्स भारत एयर ने ग्रायल इण्डिया लिमिटेड को किराये पर देने हेतु 2 हैलीकोप्टरों का आयात करने के लिए लाइसेंस जारी करने की और विदेशी मुद्रा देने, की प्रार्थना की है, तीन संस्थाओं अर्थात् मीहिन्द्रा एण्ड मीहिन्द्रा, संघाई एवीएशन और खेमका एवीएशन, ने ग्रायल इण्डिया लिमिटेड, के एक ग्राम टेंडर में दिलचस्पी दिखाई है। तीनों ने ही, प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के आधार पर खरीदे जाने वाले हैलीकोप्टरों जो केवल कृषि कार्य के लिए ही उपयुक्त होंगे के लिए मूल्य बताए हैं। इन फर्मों में से किसी ने भी अभी तक ग्रायल इण्डिया लिमिटेड को यह सूचना नहीं दी है कि उन्होंने इन हैलीकोप्टरों को ग्रायल इन्डिया लिमिटेड के कार्य हेतु देने की स्वीकृति प्राप्त करली है। मैसर्स भारत एयर के प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स

5452. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स', जो एक एकाधिकार गृह है,ने स्टार्च बनाने के लिए एक नया उपक्रम खोलने के लिये अनुमति मांगी है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) प्रस्ताव में विशेषतः स्टार्च उत्पादों के 12,000 एम० टी० प्रतिवर्ष के निर्माणार्थ एक नवीन उपक्रम की स्थापना का प्रारूप है। यह प्रस्ताव एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा (3) (ख) के अन्तर्गत पुनः जांच व रिपोर्ट के लिये एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट सरकार को 25 मार्च, 1974 को प्राप्त हो चुकी है। सरकार ने कम्पनी के प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

अधिकारियों की संख्या तथा पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

5453. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अधिकारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 से लेकर प्रत्येक रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में अधिकारियों के कुल कितने पद बढ़ाये गये;

(ग) पदों की संख्या में इस वृद्धि के कारण कितना अतिरिक्त व्यय होगा; और

(घ) धनराशि की अत्यधिक कमी को देखते हुए एस व्ययों का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दानापुर स्थित एन० सी० घोष संस्थान में हुई घटना में शामिल रेलवे कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान

5454. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1973 में दानापुर (खगौल) स्थित एन० सी० घोष संस्थान में हुई घटना कई रेलवे कर्मचारी शामिल थे जिनमें से कुछ पर मुकदमा चलाया गया तथा अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया या नौकरी से हटा दिया गया था ;

(ख) क्या उन सभी कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस रख लिया गया है और उन्हें देय राशि का भुगतान कर दिया गया है, यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों को अभी नौकरी पर वापिस रखा जाना है और उन्हें देय राशि का भुगतान किया जाना है ; और

(ग) कुछ लोगों को नौकरी पर वापिस न रखने और उन्हें देय राशि का, यदि कोई है, भुगतान न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) केवल एक को छोड़कर जिसे 23-8-73 से नौकरी से हटा दिया गया है सभी को काम पर वापस ले लिया गया है और उनके बकायों का भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे में उपयोग में लाये जा रहे माल डिब्बों की संख्या

5455. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ब्राड गेज, मीटर गेज तथा नैरोगेज में, अलग-अलग उपयोग में लाये जा रहे चार पहियों वाले माल डिब्बों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1970-71 तथा उसके बाद के वर्षों में रेलवे माल डिब्बों ने कुल कितना माल ढोया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) माल डिब्बों की औसत संख्या (चौपहियों के हिसाब से) नीचे दी गयी है :—

	ब० ला०	मी० ला०	छो० ला०
1970-71	345,399	112,422	9,856
1971-72	346,994	110,571	9,809
1972-73	349,689	110,654	9,722
1973-74 (दिसम्बर तक)	358,554	110,128	9,677

(ख) कुल राजस्व आमदनी प्रारम्भिक लदान (सभी आमान) :—

(हजार मीटरिक टनों में)

1970-71	167,850
1971-72	170,079
1972-73	175,284
1973-74 (फरवरी तक)	148,260

गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर किया गया व्यय

5456. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे में काम कर रहे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर अधिक व्यय करने से तथा इन कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप चोरियों, यात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों अथवा दावों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलमंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले 3 वर्षों में (31 मार्च को) रेलों में सेवारत रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की कुल संख्या
1971	56,848
1972	56,919
1973	56,038

(ख) जी हां। 1971-72 की तुलना में 1972-73 में चुराये गये माल, उठाईगिरी और माल खो जाने आदि के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त दावों की संख्या में कुछ कमी हुई है । रेलों द्वारा बुक न किये गये दैनिक यात्रियों के निजी सामान के खो जाने या उसकी उठाईगिरी के मामलों में रेलों द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अलीपुरद्वार डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में हैड टिकट कलेक्टरों के चयन का रद्द किया जाना

5457. **श्री बी० के० दास चौधरी** : या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के दो हैड टिकट कलेक्टरों ने चयन को, जिसका गोहटी स्थित माननीय उच्च न्यायालय के हाल के फैसले में समर्थन किया गया है, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुर-द्वार डिवीजन ने रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके साथ कोई अन्याय न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। पुर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल में प्रधान टिकट कलक्टर के पद के लिए आरक्षित समुदाय के दो उम्मीदवारों का प्रवरण जिनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का है, रद्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोटरगाड़ियों के लिये अलकोहल मिश्रित ईंधन का उपयोग

5459. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :

श्री ई० वी० विखेपाटिल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्मंत्रालीय समिति ने मोटर-गाड़ियों के लिये अलकोहल मिश्रित ईंधन का तुरन्त प्रयोग किये जाने की सिफारिश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल के स्थान पर अलकोहल का उपयोग किये जाने तथा इसकी बड़े पैमाने पर खपत के लिये इसका विकास किये जाने के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ईंधन दक्षता तथा ईंधन खपत में बचत करने हेतु सचिवों के संचालन दल द्वारा एक उप समिति की स्थापना की गई है जिसने मोटर गाड़ियों के लिए मिश्रित ईंधन के प्रयोग की सिफारिश की है।

(ख) सचिवों के संचालन दल जिसने उप समिति की सिफारिश पर विचार किया, ने महसूस किया कि इस कार्य के लिए विद्युत एलकोहल के प्रयोग का सुझाव अव्यवहारिक था। क्योंकि देश में इस उत्पाद की उपलब्धता की अपेक्षा इसकी अधिक मांग है।

केरल में कोयले की कमी के कारण बन्द की गई गाड़ियों का चलाया जाना

5460. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

श्री वयालार रवि :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण केरल में बन्द की गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन रेलगाड़ियों को सामान्य रूप से पुनः चलाने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन गाड़ियों के नाम दिये गये हैं जो केरल में दिसम्बर, 73, जनवरी, 74 और फरवरी, 74 के दौरान कोयले की कमी के कारण समय-समय पर पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द की गयीं थी । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6605/74]**

(ख) जो गाड़ियां अभी तक रद्द हैं, रेलों पर कोयले की स्थिति में सुधार होते ही फिर से चालू कर दी जायेंगी ।

दक्षिण क्षेत्र में पन-बिजली का उत्पादन

5461. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन बिजली के उत्पादन की तुलना में तापीय बिजली का उत्पादन मंहगा पड़ता है ;

(ख) क्या देश के दक्षिणी क्षेत्र में लागत, कच्चे माल की उपलब्धता तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां तापीय बिजली की अपेक्षा पन बिजली का उत्पादन किया जाना सस्ता है ; और

(ग) पन बिजली के उत्पादन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ताप और जल विद्युत संसाधनों से विद्युत उत्पादन की सापेक्ष मितव्ययिता कई बातों पर निर्भर करती है । बहरहाल, ताप विद्युत, जल विद्युत से सामान्यता मंहगी होती है ।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में जल विद्युत प्रायः ताप विद्युत से अधिक मितव्ययी सिद्ध हुई है ।

(ग) जल विद्युत संसाधनों का नियमित प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है । इसके बाद विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्रीय अनुसंधान किया जा रहा है ।

पार्सल और वस्तु यातायात को बढ़ाने के लिए नया विभाग बनाना

5462. **श्री भारत सिंह चौहान : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पार्सल और वस्तु यातायात को बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने एक नया विभाग बनाया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस प्रयोजन के लिए जून, 1967 में विपणन और विक्रय संगठन स्थापित करने के सिवाय, उत्तर रेलवे पर पार्सल और माल-यातायात आकर्षित करने के लिए कोई नया विभाग नहीं खोला गया है ।

कीटनाशक दवाइयों के लिए बी० एच० सी० टैंक की उपलब्धता

5463. **चौधरी दलीप सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान बी०एच०सी० टैंकों की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में बी०एच०सी० टैंक का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उचित मूल्य पर इस रसायन के उपलब्ध न होने के कारण कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले लघु उद्योग बन्द होने वाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :

(क) आयात	1971-72	4000 रुपये के मूल्य की अल्प मात्रा
	1972-73	शून्य
	1973-74	शून्य
(ख) उत्पादन	1971	15,429 मीटरी टन
	1972	17,330 मीटरी टन
	1973	20,380 मीटरी टन

(ग) और (घ) सूत्रयोगों के लिए उनके द्वारा आवश्यक बी०एच०सी० की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कुछ यूनिटों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के संबन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय कीटनाशी औषधियों पर मूल्य अथवा वितरण नियंत्रण लागू नहीं है किन्तु तकनीकी बी०एस०सी० के उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के 50 प्रतिशत उत्पादन को असंबद्ध विनिर्माण को वितरित करने को कहा है ।

झांसी के निकट तापीय बिजलीघर की स्थापना

5464. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या **सिंचाई** और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झांसी के निकट परोछा नामक स्थान पर प्रस्तावित तापीय बिजली घर परियोजना की मंजूरी दे दी है ;

(ख) उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या कोयला उपलब्ध कराने के बारे में कठिनाई को हल कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग) झांसी के निकट परोछा ताप विद्युत केन्द्र के लिए परियोजना प्रस्ताव, जिसमें. 400 मैगावाट की प्रतिष्ठपना परिकल्पित है, और इसके लिए कोयले की उपलब्धता पर विचार किया जा रहा है । इसके कार्यान्वियन पर स्वीकृति देने की तिथि से साधारणतया पांच वर्ष लगने की संभावना है ।

पेट्रोलियम से प्रोटीन बनाने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा प्रयोगिक संयंत्र की स्थापना

5465. **डा० कर्ण सिंह :** **क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम से प्रोटीन बनाने के लिये भारतीय तेल निगम ने प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बात क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम के गुजरात परिष्करणशाला के अधिकार क्षेत्र में पेट्रोलियम से प्रोटीन के उत्पादन हेतु एक पायलट प्लांट स्थित है। यह संयंत्र भारतीय पेट्रोलियम संस्थान से संबन्धित है जो सी एस आई आर के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। प्लांट को पेट्रोलियम आसुतों की नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिये भारतीय तेल निगम ने परिष्करणशाला में एक पायलट संयंत्र की स्थापना करने पर स्वीकृति दे दी है। प्लांट एंव कर्मचारियों के संबन्ध में सुविधा देकर भारतीय तेल निगम संयंत्र को सहायता दे रहा है। पायलट संयंत्र में प्रोटीन फरमेंन्टेशन यूनिट की प्रतिदिन क्षमता 50 कि०ग्रा० है। इस यूनिट का सामान्य पैराफिन को पृथक करने के, येस्ट सैल्स के विलायक शुद्धिकरण, स्प्रे ड्राइयर के पायलट यूनिटों तथा गुण नियंत्रण सुविधाएं आदि द्वारा, भी अनुपोषक होता है। पायलट प्लांट से प्राप्त प्रोटीन का पशुओं को परीक्षात्मक रूप में चारा देने हेतु जांच की गई है। बड़ी मात्रा में पशुओं को चारे के लिए पेट्रो-प्रोटीन का यथा समय प्रयोग किया जायेगा।

काहिरा में अरब के तेल मंत्रियों की बैठक

5467. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहिरा में अरब के तेल मंत्रियों की 10 मार्च, 1974 को बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में विकासशील देशों, विशेषकर भारत, के हित में क्या निर्णय किये गये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में भारत के हित से संबन्धित कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड

5468. श्री प्रिय रंजन दास मुंशो : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया (एच०एम०वी०) में भारत के कुल कितने प्रतिशत शेयर हैं ; और

(ख) क्या विदेशों में ग्रामोफोन रिकार्ड बेचे जाने के कारण विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किये जाने के लिये इस कम्पनी पर कोई अभियोग लगाया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत, 9-12-1972 तक बनाई गई नवीनता वार्षिक विवरणी के अनुसार, ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड में भारतीय हिस्सेधारिता, लगभग 40 प्रतिशत बैठती है।

(ख) कार्मिक विभाग, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ग्रामोफोन रिकार्डों के बाहर बेचने के लिये, विदेशी मुद्रा विनिमय, अधिनियम, के उपबन्धों के अन्तर्गत, कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां नहीं की गई हैं। तथापि, कम्पनी तथा इसके निदेशकों को, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा,

दिनांक 13 जनवरी 1973 को एक कारण बताग्रो नोटिस प्रेषित किया गया था, कि भारत में डाई-ट्रान्सफर (इम्बीबीशन) रिलीज प्रिन्टस के वितरण के लिए टैक्नीकलर्स लिमिटेड यू०के० के साथ ग्रभिकरण ग्रनुबन्ध करने तथा बिना ग्रनुमति के एजेंसी कमीशन, कमाये जाने के लिये, विदेशी मुद्रा विनियम, ग्रधिनियम, 1947 की धारा 18 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये, उनके विरुद्ध इसी ग्रधिनियम की धारा 23 घ के ग्रन्तर्गत ग्रपेक्षित ग्रधिनिर्णय कार्यवाहियां क्यों नहीं करनी चाहिये। इन कार्यवाहियों का विधायन किया जा रहा है।

विदेशी ग्रौषध फर्मों का भारतीय ग्रौषध कम्पनियों के कार्यकरण पर प्रभाव

5469. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों की मौलिक ग्रौषिधियों का स्वयं भी उत्पादन करने तथा उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचकर भारतीय ग्रौषध कम्पनियों को बन्द करने का प्रयत्न कर रही है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ग्रनुमान है कि ग्रादरणीय सदस्य मूल ग्रनुसंधान के उत्पादों की ग्रोर ध्यान दिला रहे हैं जिनका विकास भारतीय निर्माताग्रों द्वारा किया गया। सरकार को विदेशी कंपनियों की ऐसे किसी मामले के बारे में जानकारी नहीं है जहां पर उन्होंने भारतीय कंपनियों की मूल ग्रौषधियों की नकल की हो ग्रौर बाद में उसे गिराने की चेष्टा की हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रैसरों का चयन

5470. **श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :**

श्री पन्ना लाल बारुपाल :

क्या **रेल** मंत्री पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रैसरों के चयन के संबन्ध में जांच के बारे में 28 **नवम्बर**, 1972 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) उन उम्मीदवारों के बारे में ब्यौरा क्या है (1) जिन्होंने इस पद के लिये ग्रावेदनपत्र दिये थे, (2) जिन्हें परीक्षा के लिये बुलाया गया था, (3) जो परीक्षा में चुने गये थे तथा उनकी नियुक्ति, पदोन्नति ग्रौर उनके केडर में उनके स्थायीकरण की तिथियां क्या क्या हैं ;

(ख) जो ग्रनियमिततायें की गई थी उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के हकदार थे किन्तु उन्हें यह ग्रवसर नहीं दिया गया उनकी पदोन्नति को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; ग्रौर

(घ) क्या सरकार पश्चिम रेलवे के मुख्यालय द्वारा इस मामले को निपटाने के तरीके तथा इसमें विलम्ब किये जाने के बारे में जांच किये जाने का ग्रादेश देगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाले 110—200 रु० और उससे अधिक ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों से 150—240 रु० के वेतनमान के दावा अन्वेषक के पद के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे। उन 88 व्यक्तियों को भी जो 150—240 रु० के वेतनमान में वाणिज्यिक क्लर्कों के रूप में स्थायी हो चुके थे, परीक्षा में बुलाया गया था।

(ख) जो व्यक्ति वाणिज्यिक क्लर्क के रूप में स्थायी हो चुके थे, वे इस परीक्षा में बुलाये जाने के पात्र नहीं थे। इस क्रियविधि को बाद में मान्यताप्राप्त यूनियनों के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) उन कर्मचारियों की पदोन्नति पर, जो उस परीक्षा में स्थायी वाणिज्यिक क्लर्कों को न बलाये जाने की स्थिति में दावा अन्वेषक के पद के लिए पात्र होते अब विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अनेक व्यक्तियों का स्थायीकरण समाप्त करना होगा और अन्य कर्मचारियों से शिकायतें आयेंगी। फिर भी, उपयुक्तता परीक्षा के होने तक तदर्थ आधार पर वर्तमान रिक्त स्थानों पर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसर/असिस्टेंट कर्माशियल इंस्पेक्टरों के रिक्त पद

5471. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रैसरों/असिस्टैंट कर्माशियल इन्स्पेक्टरों के बहुत से पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वास्तव में कितने पद किस-किस तिथि से रिक्त पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदपुर-कटवा रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़

5472. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदपुर-कटवा, कटवा-अहमदपुर (नैरो गैज) लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में भीड़-भाड़ रहती है और यदि हां, तो इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुरक्षित और सुविधा-पूर्ण यात्रा के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था के क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि अहमदपुर और कटवा के बीच नैरो गेज लाइन पर वर्तमान सभी सुविधाओं के साथ-साथ क्रासिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाये तथा उन स्टेशनों पर लाइन को डबल किया जाये तथा भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाई जायें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अहमदाबाद कटवा खण्ड पर चलने वाली कुछ गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ देखी गयी है। लेकिन इस समय इस खण्ड पर छोटी लाइन के अपेक्षित चल-स्टाक की कमी के कारण अतिरिक्त गाड़ियों का चलाना व्यावहारिक नहीं है। इस खण्ड पर छोटी लाइन को दोहरा करने या पास स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चौथी योजना में विद्युत उत्पादन योजनाओं का पूरा होना

5473. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के लक्ष्यों में विद्यत उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(ख) कौन सी योजनायें चौथी योजना के अन्त तक पूरी होनी थी परन्तु अभी निर्धारित समय से पीछे है और उन्हें शीघ्र पूरा करने की दिशा में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : चतुर्थ योजना के लक्ष्यों में लगभग 4.7 मिलियन किलोवाट की कमी होने की संभावना है ।

(ख) 4.7 मिलियन किलोवाट की क्षमता की 38 स्कीमें जिनके चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना थी, पांचवीं योजना में ले जाई जा रही हैं । इन 38 स्कीमों में 2.65 मिलियन कि०वा० की 22 जल विद्यत स्कीमें, 1.85 मिलियन कि० वा० की 15 ताप स्कीमें तथा 0.2 मिलियन कि० वा० की एक परमाणु स्कीम सम्मिलित हैं ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्कीमों के पूर्ण होने में और देरी न हो निम्नलिखित उपाय हाथ में लिए जा रहे है ।

(1) उपस्कर की शीघ्रतापूर्वक सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु उपस्कर के देशी निर्माताओं के साथ बार बार बैठकें की जाती हैं ।

(2) आवश्यक सामग्रियों जैसे इस्पात, सीमेंट और गैस आदि को प्राप्त करने में विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों की सहायता की जा रही है ।

(3) इन परियोजनाओं की प्रगति, कठिनाइयों का पता लगाने और समय पर कार्यवाही करने के लिए कड़ी निगरानी रखने हेतु एक केन्द्रीय मांनीटरिंग संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती को समाप्त करना

5474. **श्री एस० एस० बनर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश प्रणाली में विद्युत कमी के आधार पर समय-समय पर विभिन्न मात्राओं में विद्युत पर कटौती लगा रहा है । राज्य में लागू प्रतिबन्ध विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाई गई कटौतियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) जिला मुख्यालयों और 30000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई बन्द कर दी जाती है ।

(2) जिला मुख्यालयों और विशिष्ट नगरों को छोड़कर, नलकूपों एवं अन्य उद्योगों के लिए अन्य इलाकों को बारी-बारी से 9 घंटे रात्रि में और $5\frac{1}{2}$ घंटे दिन में विद्युत सप्लाई की जाती है ।

(3) (क) जिला मुख्यालयों और विशिष्ट नगरों में असतत उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई सप्ताह में पांच दिनों के वास्ते रात्रि में एक पारी के लिए 9.00 रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक दी जाती है। पावर लूमों और कपड़ा मिलों में बुनाई भाग के लिए दिन के दौरान 9.00 प्रातः से 6.00 बजे सायं तक एक और पारी के वास्ते विद्युत् की सप्लाई दी जाती है। राज्य में सभी चावल मिलों को 9.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक केवल एक पारी में कार्य करने को अनुज्ञा है।

(ख) तीन फैस मोटरों वाले सर्विस केन्द्र के साथ सभी पेट्रोल पम्पों को 9.00 बजे रात्रि से अगले दिन 6.00 बजे प्रातः तक की सप्लाई के अतिरिक्त 2.00 बजे अपराह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।

(4) (क) सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों से महीने में एक मुश्त दस दिन तक बंद रखने अथवा अपनी मांग को 50% तक कम करना अपेक्षित है। वनस्पति निर्माण करने वाली यूनिटों को छूट दी गई है।

(ख) कास्टिक सोडे का निर्माण करने वाले मैसर्स कनोडिया कैमिकल्स और अल्यूमिनियम निर्माता मैसर्स हिन्डालकें, इस्पात छड़ फरनेन्स और सीमेंट उद्योगों को पूर्णतः विद्युत कटौती करने के आदेश दिये गये हैं।

(5) जिला मुख्यालयों और विशिष्ट नगरों में 3.30 बजे से 6.30 बजे अपराह्न के बीच वाला सिनेमा शो चलाने की अनुमति नहीं है।

(6) राज्य में चीनी मिलों में क्रेसिंग ऋतु के कारण विद्युत की सतत सप्लाई जारी रखने की अनुमति है।

(7) स्वतन्त्र फीडरों वाली लिफ्ट पम्प नहरों को महीने में दस दिन तक चालू रखने की स्वीकृति है। शेष लिफ्ट पम्प नहरों को उपर्युक्त आइटम (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार विद्युत् की सप्लाई की अनुमति है।

(8) नए औद्योगिक कनेक्शनों को विद्युत् की सप्लाई बहुत सीमित आधार पर की जाती है।

(9) सारे राज्य में सजावट, विज्ञापनों के लिए न्यून साइन और बोर्डों के लिए विद्युत् की सप्लाई पूर्णतः बन्द है।

(10) उपर्युक्त के अतिरिक्त, जुलाई 1971 से जून, 1972 तक की अवधि के दौरान वास्तविक औसत खपत के आधार पर 40% ऊर्जा कटौती लागू है।

निर्वाचन याचिकाओं का निपटाया जाना

5475. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के लोक सभा निर्वाचनों के संबन्ध में दायर की गई कितनी निर्वाचन याचिकाएं अभी भी अनिर्णीत हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें मुख्य मुद्दो•तक को अभी तैयार नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या छः महीने की अवधि के भीतर निर्वाचन याचिकाओं को निपटाने के लिये उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्च न्यायालयों में 3 याचिकाएं और उच्चतम न्यायालय में 9 अपीलें लम्बित हैं। अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6606/74]

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) स्पष्टतः, न्यायालयों की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उप-धारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के बारे में जानकारी है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन याचिका का यथाशीघ्र विचारण किया जाएगा और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन याचिका विचारणार्थ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, छह मास के अन्दर विचारण पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कोई निदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश में हरिजन मतदाताओं को डराने धमकाने का समाचार

5476. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग को कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में हरिजन मतदाताओं को डराने धमकाने के समाचार मिले हैं ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के हाल के साधारण निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन आयोग ने इस संबन्ध में क्या कदम उठाये कि हरिजन मतदाता स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कर सकें ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 14 जनवरी, 1974 को सचिव, भारतीय साम्यवादी दल, बांदा तथा सचिव, जिला समाजवादी दल, बांदा और एक विधायक की ओर से संयुक्त रूप से शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) हरिजन और समाज के कमजोर वर्गों के मतदाताओं की सुविधा के लिए, उत्तर प्रदेश में पिछले साधारण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों कीं संख्या में वृद्धि कर दी थी। आयोग ने राज्य सरकार से निर्वाचन अवधि के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने और इस संबन्ध में पर्याप्त पूर्वाविधानियां बरतने का भी अनुरोध किया था।

बिजलीघरों द्वारा बिजली का उत्पादन

5477. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जुलाई-दिसम्बर, 1973 तक प्रत्येक विद्युत् जोन में सरकारी क्षेत्र में स्थित विभिन्न बिजलीघरों ने वर्ष 1972 की इसी अवधि की तुलना में बिजली-घरवार कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया; और

(ख) वर्ष 1973 में अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमता पैदा करने के बारे में क्या प्रगति हुई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा जुलाई-दिसम्बर, 1973 की अवधि में कुल उत्पादित बिजली तथा 1972 में इसी अवधि में उत्पादित बिजली का बिजलीघर-बार विवरण उपाबन्ध में दिया जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6607/74]

(ख) 1973 में 612 मैगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का योग किया गया।

एथेनौल का उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना

5478. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की कमी को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों और खांडसारी से उपलब्ध सीरे अथवा अन्य कृषि और मल (बाइलोजिकल वेस्ट), औद्योगिक मलनिस्राव और गन्दे पानी से एथेनौल के उत्पादन में भारी वृद्धि करने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) चीनी मिलों से उपलब्ध शीरे से एल्कोहल का अनुकूलतम उत्पादन किये जाने की दृष्टि से 1972 में शीरा नियंत्रण आदेश 1961 में शीरे के लिये निर्धारित मूल्य के 33 प्रतिशत का उत्पादकों द्वारा अलग से निधिकरण किये जाने की व्यवस्था की गई है जो पर्याप्त भंडार सुविधाओं के निर्माणार्थ इस्तेमाल किया जायेगा।

सरकार खांडसारी अथवा अन्य स्रोतों से एथेनोल का उत्पादन बढ़ाये जाने की संभाव्यता की जांच कर रही है।

उद्योगों तथा इंजनों के अपशिष्ट तेल को फिर से साफ करने की संभाव्यता का पता लगाना

5479. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों तथा इंजनों के अपशिष्ट तेल को फिर से साफ करने तथा उसे फिर से प्रयोग करने की संभाव्यता का पता लगाया है अथवा लगाने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल के स्थान पर प्रकाश करने तथा इंटरनल कम्बसचन इंजन तथा सिंचाई पम्प सैट चलाने के लिये एथेनोल (पावर एलकोहल) के संभावित प्रयोग के बारे में अध्ययन करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) औद्योगिक तथा इंजन के अपशिष्ट तेल को फिर से साफ करने तथा उसे फिर से प्रयोग करने के लिय भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट तथा रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, कानपुर आदि

की संस्थाओं ने प्रक्रियाएं निश्चित की हैं । इन प्रक्रियाओं पर आधारित कई संयंत्र स्थापित किये गये हैं । इन प्रक्रियाओं के, रेलवे, विशेषकर सड़क परिवहन निगमों आदि प्रमुख उपभोक्ता संस्थाओं आदि, के व्यापक प्रयोग के लिये कदम भी उठाये जा रहे हैं ।

(ख) देश में एल्कोहल की समग्र रूप से कमी होने के कारण, सरकार आर्गेनिक कैमिकल्स (जैव-रसायनों), सिन्थैटिक, संश्लिष्ट रबर, फार्मास्यूटिकल्स (भेषज) तथा पैस्टीसाइड्स (कीटनासी) आदि उद्योगों, जिन्हें कच्चे माल के रूप में एल्कोहल की आवश्यकता होती है, की पूरी मांग पूरा करने में भी कठिनाई अनुभव कर रही है । यदि एल्कोहल की कोई अधिक मात्रा किसी समय उपलब्ध हो गई तो इस संभावना पर विचार किया जाएगा ।

तेल उत्पादक देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

5480. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) 1972-73 और 1973-74 में कितने तथा कितने मूल्य के अशोधित तेल का आयात किया गया ;

(ग) 1973-74 के आयात के स्तर पर 1974-75 में अशोधित तेल के आयात की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) देश में पेट्रोल की खपत के बारे में पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में गत वर्ष की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 1974 के आरम्भ से लेकर कच्चे तेल के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप, कच्चे तेल तथा कमी वाले उत्पादों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा संबन्धी आवश्यकताओं में भारी वृद्धि हो गई है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई अनुचित बोझ न पड़े, सभी स्तरों पर गहन प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा '000' मीटरी टनों में	मूल्य करोड़ रुपयों में
1972 . . .	12,310	144.25
1973	13,386	240.71 (अस्थाई)

(ग) कच्चे तेल के अनिश्चित मूल्यों के कारण 1974-75 के दौरान कच्चे तेल के आयात की अनुमानित लागत के बारे में इस समय बताना संभव नहीं है ।

(घ) नवम्बर, 1973 में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के उत्पादन शुल्क में रुपये 1 प्रति लिटर के हिसाब से वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप, जनवरी-अक्तूबर, 1973 के दौरान 5.3% की वृद्धि दर की बजाये पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में इसकी मांग में नवम्बर में 19.2%, दिसम्बर, 1973 में 16.9%, जनवरी 1974 में 23.8% तथा फरवरी, 1974 में 19.5% तक की कमी हुई है। वित्त संबन्धी उपायों से एच एस डी तथा मिट्टी के तेल के मूल्य लगभग बराबर कर देने से एच एस डी की खपत में जनवरी-अक्तूबर, 1972 की अवधि की तुलना में जनवरी-अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान 11.6% की वृद्धि दर की बजाये पिछले वर्ष की इसी अवधि की खपत के मुकाबले में नवम्बर, 1973, फरवरी 1974 के दौरान 16.2% की वृद्धि हुई है।

कमी पूरी करने के लिये तेल की खोज का द्रुत कार्यक्रम

5481. **श्री धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोधित और अशोधित तेल की भारी कमी को देखते हुए न केवल भूमि के नीचे के अपितु तटवर्ती और कान्टीनेन्टल शैल्फ क्षेत्रों में तेल की खोज का कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शैल्फ क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के लिये भूगर्भीय सर्वेक्षण जहाज खरीदने का कोई प्रस्ताव है और इस पर क्या लागत आयेगी;

(ग) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और क्या इसमें विदेशी सहयोगी भी सहायता देगें; और

(घ) क्या सरकार एक और 'कस्टम' निर्मित ड्रिलिंग प्लेटफार्म खरीदने जा रही है ताकि शैल्फ क्षेत्रों में खुदाई कार्य तेज किये जा सकें, इस प्लेटफार्म के लिये डिजाइन का आधार क्या होगा और क्रयादेश किसको दिया जायेगा और कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। इस क्रैश कार्यक्रम में वर्ष 1978-79 तक प्रतिवर्ष लगभग 7 मिलियन मी० टन से प्रतिवर्ष 12 मिलियन मी० टन तक के विद्यमान स्तर से अशोधित तेल के उत्पादन को वढ़ाने की परिकल्पना है

(ख) जी हां। लगभग 4.10 मिलियन अमेरिकन डालर की लागत वाले पूर्णरूप से सज्जित भूकंपीय सर्वेक्षण पोत के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आर्डर दिया है।

(ग) सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू है और इसके पूरा करने में कई वर्ष लग जाने की संभावना है। इस समय उन विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत हो रही है जिन महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्रों को बोली के लिए खुला रखा गया है उन कुछ क्षेत्रों में उन कंपनियों को तेल का अन्वेषण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। यदि उन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो उनके द्वारा अपनी निजी एजेंसियों की मार्फत अपने क्षेत्रों का भूकंपीय सर्वेक्षण करने की संभावना है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों के परिणाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध होंगे।

(घ) इस संबन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों से पेट्रोल की बचत

5482. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिम रूप में स्वीकृत कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की संख्या, उनके स्थान और अनुमित लागत क्या है ;

(ख) इनसे पेट्रोल की मात्रा और विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी बचत होगी; और

(ग) इस समय चल रहे नेफ्था पर आधारित उर्वरक कारखानों और सभी उर्वरक कारखानों के लिये पेट्रोल की कुल कितनी आवश्यकता होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अब तक कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्रों का अनुमोदन किया गया है जिनमें से तालचर (उड़ीसा), रामागुन्डम (आन्ध्र प्रदेश) तथा कोर्वा (मध्य प्रदेश) प्रत्येक में एक एक संयंत्र है और ये कार्यान्वियनाधीन है । वर्तमान अनुमानों के अनुसार इन में से प्रत्येक प्रयोजना पर लगभग 118 करोड़ रुपये की लागत व्यय आने की आशा है ।

(ख) यदि इन तीन संयंत्रों का आधार पेट्रोलियम को संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने का बनाया जाता तो इनके लिए प्रतिवर्ष लगभग 687,000 मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता होती। पेट्रोलियम पदार्थों के लगभग 80 डालर प्रति मीटरी टन आयातित मूल्य के आधार पर, तीनों प्रायोजनाओं की सम्मिलित क्षमता के लिए लगभग 55 मिलियन डालर प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा बाहरी देशों को जाती ।

(ग) चौथी योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के निर्माण हेतु लगभग 4.1 मिलियन टन नैफ्था की आवश्यकता हुई थी ; पांचवीं योजना के अन्तर्गत 10.7 मिलियन टन नैफ्था की खपत का अनुमान है ।

सयालदह और लालगोला और हावड़ा और भारवा के बीच चलने वाली गाड़ियों के समय पर चलने की सूची

5483. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में मेन लाइन पर और बी०ए०के० लूप लाइन पर सयालदह डिवीजन के लाल-गोला सेक्शन में सयालदह और लालगोला और हावड़ा और भारवा के बीच साधारण यात्री गाड़ियों, तेज चलने वाली यात्री गाड़ियों और एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने तथा पहुंचने की समय सूची क्या है; और

(ख) क्या इन दोनों लाइनों पर यात्री गाड़ियों के चलने में कोई विशेष गिरावट आई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). लालगोला खंड पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती है । सियालदह मंडल के लालगोला खंड पर सवारी और तेज सवारी गाड़ियों के समय-पालन का प्रतिशत अगस्त 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में 64.5 प्रतिशत से 20.0 प्रतिशत के बीच रहा है । इसी अवधि में, साहिबगंज लूप पर, डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन का

प्रतिशत 63.0 प्रतिशत से 39.7 प्रतिशत के बीच और सवारी और तेज सवारी गाड़ियों का प्रतिशत 54.5 प्रतिशत से 41.1 प्रतिशत के बीच रहा। बी०ए०के० लूप पर, अगस्त, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि के दौरान गाड़ियों के समय-पालन का प्रतिशत 47.5 प्रतिशत से 20.9 प्रतिशत के बीच रहा ।

इन खंडों पर गाड़ियों के असंतोषजनक संचलन का कारण कर्मचारियों द्वारा की गयी अनेक हड़तालों और आन्दोलनों, पावर की गड़बड़ी और खतरे की जंजीर खींचे जाने की आम घटनाओं के फलस्वरूप रेलों पर आमतौर से उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियां रही हैं ।

फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों को खपाना

5484. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों को, जिनमें कार्य प्रभारित कर्मचारी भी शामिल हैं, मांगें गत तीन वर्षों से विचाराधीन हैं ?

(ख) क्या सरकार ने फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों को खपाने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) फरक्का बांध परियोजना में उन कर्मचारीयों की संख्या कितनी है जिनके नाम जनवरी, 1974 तक सेवा रिकार्ड में दस और पांच वर्ष से हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) (क) कार्य प्रभारित कर्मचारियों सहित, फरक्का बराज परियोजना के कर्मचारियों की मांगों पर सदैव सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है तथा जहां संभव होता है उन्हें पूरा किया जाता है, परन्तु कुछ ऐसी मांगें रखी हैं जिनपर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि फरक्का बराज परियोजना के कार्य समाप्त होने पर जिन कर्मचारियों के फालतू घोषित होने की संभावना है उनके लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों आदि के कार्यों पर अन्य रोजगार दिलाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(ग) 390 कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दस वर्ष तथा 2180 ने पांच वर्ष पूरे किए हैं

तेल संकट का प्रभाव

5485. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंभीर हो रहे तेल संकट के कारण तेल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है और देश में उपभोग के विभिन्न क्षेत्रों पर परिणामस्वरूप अनुचित कितना प्रभाव पड़ा है ;

(ख) भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) दुर्लभ तेल के युक्तिसंगत और अधिकतम उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) कच्चे तेल के मूल्य में भारी वृद्धि, के कारण तेल की उपलब्धि आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पायेगी अतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि देश की अर्थ व्यवस्था पर कोई अनुचित दबाव न पड़े सभी स्तरों पर प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन में निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों, विशेष रूप से कोयले, पर अधिक निर्भर होना।

(ii) तेल उत्पादों की अनावश्यक खपत पर रोक लगाना।

(iii) अर्थ व्यवस्था की अत्यावश्यक जरूरतों के लिये तेल के आयात को लागत का पूरा करने के लिये अधिकतम निर्यात करना।

(iv) कच्चे तेल आदि के देशीय उत्पादन को अधिकतम करने के लिये कार्य-कलापों में तेजी लाना।

कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये खाड़ी के कई देशों के साथ द्विवपक्षीय प्रबन्ध किये गये अथवा किये जा रहे हैं।

अमर-डाई केम लिमिटेड

5486. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में ईंधन तेल की कमी के कारण रंग-सामग्री बनाने वाला एक प्रमुख एकक बंद हो गया है और दूसरा एकक बन्द होने को है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ और एककों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और

(ग) अमर डाई-केम लिमिटेड के कार्यकरण को शुरू करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) मैसर्स अमर डाई केम लि० द्वारा सूचना दिसम्बर, 1973 और फरवरी, 1974 के दौरान भट्टी के तेल की कमी के कारण कुछ दिन तक अपनी फैक्टरी बन्द रखने की सूचना प्राप्त हुई। सचिव और तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता के अधीन स्थायी समिति की स्थापना भट्टी के तेल की सप्लाई को इस ढंग से नियत करने के लिए की गई है कि उससे विशेष रूप से आवश्यक उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन में अनुचित शिथिलता न आने पायेगी। भट्टी के तेल की उपलब्धता का विचार करते हुए हर महीने यह समिति आबंटन योजना का निर्णय करती है। इस समय तेल कम्पनियों उद्योगों की कुल खरीद पर आधारित उन सबकी 90% आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। यह आशा की जाती है कि भट्टी के तेल के प्रयोग में कम खर्च वाले साधनों को अपनाकर और उत्पादन को बिना प्रभावित किए हुए उन्नत कुशलता द्वारा 10% की बचत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

कुछ राज्यों में बिजली की भारी कमी का कथित समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मैं सिचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "उत्तर प्रदेश, हरियाणा के फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तथा कई अन्य राज्यों में बिजली की भारी कमी का समाचार।"

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इस समय देश के बड़े बड़े भागों में विद्युत की कमी का सामना किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, पूर्वी क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व में लोअर असम और पश्चिम में गोआ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां स्थिति कठिन है। विद्युत की कमी के कारण, विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बिजली की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

मुख्यत: विद्युत की वर्तमान कमी विद्युत उत्पादन क्षमता तथा मांग की वृद्धि में संतुलन न होने के कारण है। चौथी योजना अवधि में विद्युत की मांग में लगभग 70% वृद्धि हुई है जबकि विद्युत उत्पादन क्षमता में केवल 30% ही वृद्धि हुई है। चौथी योजना में 9.25 मिलियन किलोवाट की वृद्धि के लक्ष्य के प्रति, जिससे कि योजना के अंत तक विद्युत उत्पादन बढ़कर लगभग 23.2 मिलियन किलोवाट हो जाना था; विभिन्न कारणों से केवल 4.26 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त क्षमता ही चालू की जा सकी। वर्तमान संकट स्थिति का सर्वाधिक उत्तरदायित्व केवल एक तथ्य-निश्चित लक्ष्य के प्रति उपलब्धि में लगभग 54% की यह भारी कमी पर है। यथार्थ रूप में, देश के विभिन्न भागों में वर्ष भर में कुल ऊर्जा कमी लगभग 7500 मिलियन यूनिट अर्थात 1973–74 के दौरान लगभग 74,000 मिलियन यूनिट की आवश्यकता का लगभग 10% प्रतिशत रही। परन्तु यह देश में उपर्युक्त इस कुल ऊर्जा कमी का प्रतिशतांश विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्यों जहां क्षेत्र विशेष में अनुभव की गई उर्जा-कमी की मात्रा सीमित अवधियों में अत्याधिक निम्न रही, में स्थिति का सही ज्ञान नहीं कराता।

सदन को याद होगा, कि देश के अधिकतर भागों में अक्तूबर, 1972 से जून, 1973 तक विद्युत की भारी कमी रही है। 1973 की मानसून की वर्षा के बाद अधिकतर जल-विद्युत जलाशयों को फिर से भरने के साथ विद्युत सप्लाई की स्थिति लगभग समस्त देश में फिर से सामान्य हो गई। इस संबंध में उल्लेखनीय अपवाद थे उत्तर प्रदेश जहां पर रिहन्द जलाशय में 1973 को मानसून वर्ष से कोई खास पानी नहीं भरा था और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र पर जहां पर ताप यूनिट का बार-बार खराब होना जारी रहा। अत: उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति कठिन हो रही है और हाल के महीनों में यह बहुत संकटपूर्ण हो गई। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में भी विद्युत सप्लाई की स्थिति कठिन ही रही

यद्यपि नवम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 के दौरान इसमें वास्तविक सुधार हुआ और हाल में ताप-विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और रख-रखाव में सुधार करने के लिए किए गए कृतसंकल्प प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप स्थिति में पुन: सुधार हुआ । शरावती बाह् क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण कर्नाटक में विद्युत की कमी बनी रही । आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, विद्युत प्रणालियों में अक्तूबर, 173 से विद्युत की कमी महसूस की जाने लगी और ये कमियां जारी हैं । हरियाणा में जहां पर मानसून ऋतु के तुरन्त पश्चात कमी महसूस होनी शुरू हो गई । यह स्थिति कृषि संबंधी भारों में लगातार वृद्धि से और खराब हो गई तथा इससे उद्योगों को अत्यधिक हानि हुई है । पंजाब में विद्युत की कमी, जो कि मामूली रूप में शुरू हुई थी, कृषि संबंधी भार में वृद्धि होने और शीत ऋतु में वर्षा न होने से और अधिक हो गई। गुजरात और पश्चिम बंगाल भी इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं ।

मंत्रालय में विभिन्न राज्यों में विद्युत की कमियों की मात्रा का मूल्यांकन अर्थ-व्यवस्था पर उनका प्रभाव तथा स्थिति को यथासंभव सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों पर राज्य बिजली बोर्डों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया । आगामी मानसून वर्षा के प्रारंभ होने तक की अवधि के लिए स्थिति का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है : उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिण में केरल, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के बाहर उड़ीसा और बिहार में विद्युत सप्लाई की स्थिति आमतौर पर संतोषजनक रहेगी । उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश और काश्मीर घाटी, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, पश्चिम में गोआ और पूर्व में दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल और लोअर असम ऊर्जा आवश्यकताओं और व्यस्ततम (पेकिंग) क्षमता दोनों प्रकार की कमी का सामना करेंगे । गुजरात की स्थिति में, जो इस समय व्यस्तम (पोकिंग) क्षमता की कमी का सामना कर रहा है, इस माह के उत्तरार्थ में उकई जल-विद्युत परियोजना के प्रथम यूनिट के चालू हो जाने के बाद सुधार होगा ।

केन्द्रीय और राज्य सरकारें इन उपायों से इस स्थिति में सुधार लाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न कर रही है जैसे कि वर्तमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलभ्यता अधिकतम करना, नए उत्पादन यूनिटों के प्रचालन तथा पारेषण पथों के निर्माण में शीघ्रता लाना और उन राज्यों और क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली का स्थानान्तरण करना जहां बिजली या तो फालतू है या कमी वाले क्षेत्रों से वहां अधिक बिजली उपलब्ध है, अनिवार्य सेवाओं और अर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोतम संभव ढंग से विद्युत का विवेकपूर्ण समुपयोजन, तथा विद्युत की खपत में संयम ।

1974–75 के दौरान 2 मिलियन किलोवाट को प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के योग की संभावना है । इस योग में अंशदान करने वाली परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अनुसूची से पिछड़ न जाए । यदि 1974 में अच्छी मानसून हो जाएं तो मुझे आशा है कि इन परियोजनाओं के चालू होने से और मेरे द्वारा ऊपर बताए गए उपायों से 1974–75 में विद्युत स्थिति काफी हद तक सुधर जाएगी । बहरहाल, क्षमता के योग, तथा प्रत्याशित मांगों के असमान विवरण के कारण हम कुछ राज्यों में विद्युत की कमी से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते । इस संबंध में जिन प्रणालियों पर बड़े ध्यान से निगरानी रखी जानी है वे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल ।

अगले पांच वर्षों, दस वर्षों और पन्द्रह वर्षों में बिजली की कितनी मांग और उपलब्धता होगी, इस संबंध में मैं ध्यानपूर्वक अध्ययन करवा रहा हूं ताकि यह पता लग सके कि यथासंभव कमी को शीघ्र पूरा करने के लिए तथा आगामी वर्षों में आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की जानी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य बिलकुल महत्वहीन है । सारी बात भगवान के भरोसे रख दी गई है । हम जानते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कटौती की गई है । चुनाव से पूर्व बिजली की उपलब्धता बढ़ा दी गई थी जिससे कपड़ा मिलों और जूट मिलों ने दो पारियों में काम करना शुरू कर दिया था परन्तु चुनावों के पश्चात उनमें फिर आठ घंटे की एक पारी ही चल रही है । सभी बड़े मध्यम तथा छोटे इंजीनियरिंग एककों के भी बन्द होने की आशंका है । इसी प्रकार आयुध कारखानों के भी बन्द होने की आशंका है । इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा बिहार एवं जम्मू-कश्मीर के भागों को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध किया जायेगा

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हुगली में सभी उद्योगों को सप्ताह में 20-30 घंटे काम बन्द रखना पड़ता है । बिजली और गैस की अनुपलब्धता के कारण लगभग सभी इंजीनियरिंग एककों के बन्द होने की आशंका है ।

दुर्गापुर, बान्देल और दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों में भी काम में रूकावट है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सन्थालदीह बिजली घर की क्या स्थिति है ? कई मास पूर्व प्रधान मंत्री ने इस का उद्‌घाटन किया था परन्तु इसने आज तक बिजली का उत्पादन नहीं किया है ।

पंजाब में बनाये जाने वाले थीन बांध से तीन राज्य संबद्ध हैं । इसका निर्माण 1970 तक पूरा किया जाना था परन्तु अभी तक इसका मामला अधर में ही लटक रहा है ।

पहले एक नारा दिया गया था कि "उत्पादन करो अथवा नष्ट हो जाओ ।" लोगों ने उत्पादन किया परन्तु आज वे नष्ट हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? उत्पादन में बाधा डालने के लिए कर्मचारियों को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है परन्तु आज बिजली बोर्ड के अध्यक्षों को उक्त नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है । आज बिजली का अकाल पड़ गया है । हम नहीं जानते कि पांचवीं योजना में स्थिति क्या होगी ? क्या यह आयोजना की कमी नहीं है ? हमारे आयोजक इस बात का अनुमान नहीं लगा सके कि देश में कितना औद्योगिक विकास हो सकेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में कब तक सुधार होगा और क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि जबरन छुट्टी अथवा छटनी के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को पूरी मजूरी अदा की जाएगी ! यदि श्रमिकों को मजूरी न दी गई, तो इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है । यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो मजदूर अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए हड़ताल कर देंगे ।

राष्ट्रीय ग्रिड के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाया जाए और संसद सदस्यों को भी उससे सम्बद्ध किया जाए । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दो जनरेटरों के आयात के लिये लाइसेंस मांगा। उन्हें कहा गया कि भारत इलैक्ट्रिकल्स हरिद्वार द्वारा यह सप्लाई किए जायेंगे पर अभी तक यह सप्लाई नहीं हुई है।

यह स्थिति केवल पन बिजली की ही नहीं है अपितु तापीय और परमाणु बिजली की भी यही स्थिति है हालांकि वर्षा का उनसे कोई संबंध नहीं। हमारे तापीय बिजली घर भी 50% क्षमता पर चल रहे हैं। वास्तव में हमारी सरकार ही इस सारी स्थिति के लिये जिम्मेदार है। इस सारे मामले की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति गठित की जाए और इसके द्वारा स्थिति के उत्पन्न होने देने के लिये उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वर्षा का वास्तव में बिजली के उत्पाद पर प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ष जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण रिहन्द और शरावती पन बिजली परियोजनाओं में बिजली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। यह ठीक है कि तापीय बिजली पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु रिहन्द परियोजना के पानी को ओबरा तापीय परियोजना में संयंत्र ठण्डा करने के लिये उपयोग में लाया जाता है अतः इस प्रकार पानी की कमी का अप्रत्यक्ष प्रभाव ओबरा पर भी पड़ा।

जहां तक पड़ौसी राज्यों द्वारा उत्तर प्रदेश की सहायता करने की बात है पड़ौसी राज्यों ने यथा संभव सहायता की। पड़ौसी राज्यों ने पिछले अक्तूबर से यह सहायता देनी प्रारम्भ की। यह सहायता बदरपुर, पंजाब, हरियाणा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से प्राप्त हुई। प्रतिदिन 20 लाख से 28 लाख के० डब्ल्यू० एस० बिजली प्राप्त होती रही। परन्तु बाद में उत्तर भारत के विभिन्न भागों में जाड़ें में वर्षा की कमी रही जिसके कारण गेहूं की फसल प्रभावित होने लगी। इन में से अधिकतर राज्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं अतः उन्हें गेहूं की फसल के लिये सिंचाई की आवश्यकता थी और उनके पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं रही। जलग्रहण क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम वर्षा होने के कारण भाखड़ा में भी कुछ कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई पर इन सभी उपरोक्त बातों का प्रभाव पड़ रहा है।

राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करना सरकार का उद्देश्य है परन्तु इसमें समय लगता है। अभी तो प्रादेशिक ग्रिड बनाये जा रहे हैं और यदि ये प्रादेशिक ग्रिड न होते तो इन राज्यों द्वारा उत्तर प्रदेश की सहायता संभव न होती। राष्ट्रीय ग्रिड को वास्तविक रूप देने के लिये उच्च वोल्टेज लाइने भी बहुत जरूरी हैं।

जहां तक बंगाल की स्थति है यह मुख्य रूप से राज्य का अपना कार्य है। वहां के मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा स्थिति को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। दामोदर घाटी निगम से बिजली उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कुछ सुधार हुआ भी है। इस्पात और कोयला उद्योग को लगभग उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली दी जा रही है। बन्देल में प्रेषण खम्बों के गिर जाने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और सन्थालदीह में भी कुछ कम बिजली पैदा हुई है।

दामोदर घाटी योजना के बिजली घर में डिजाइन में कुछ दोष हैं और उन्हें ठीक करने में कुछ समय अवश्य लगेगा। हां अतिरिक्त पुर्जों आदि के आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा रही है और अनुरक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक थीन बांध का संबंध है पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ जल के बंटवारे के बारे में बातचीत की जा रही है। केन्द्र सरकार दोनों राज्य सरकारों की सहमति से ही निर्णय करना चाहती है जिससे बाद में कोई मन मुटाव न रहे।

बिजली घरों का निर्माण राज्य सरकारों का उत्तर दायित्व है अतः इस काम को शीघ्रता से पूरा करने के बारे में केन्द्र द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। हां केन्द्र ने कार्य पर नजर रखने के लिये एक नया सैल बनाया है जिससे कि कठिनाइयों आदि पर राज्यों की सहायता की जा सके।

स्थिति में तत्काल सुधार के आश्वासन देना कठिन है क्योंकि बिजली घर की स्थापना में समय लगता है। हां निर्माणाधीन संयंत्रो को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो जेनरेटरों के आयात की मांग और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा उनकी सप्लाई के बारे में सरकार की नीति है कि यदि उपकरण स्वदेश में ही उपबन्ध हो सकते हैं तो उनका आयात नहीं होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने श्रमिकों द्वारा हड़ताल का उल्लेख किया। यदि ऐसा करने सें स्थिति में सुधार हो सकता है तो श्रमिकों को आवश्य ही हड़ताल करनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या आप इस स्थिति के उत्पन्न होने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने को तैयार हैं? श्रमिकों की मजूरी में क्यों कटौती की जा रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके लिये किसी जांच आयोग की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम शीघ्र पूरा किया जाये और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रमिकों के संबंध में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालोर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि बिजली का संकट देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। 1972–73 में इसका कारण वर्षा की अपर्याप्ति था परन्तु पिछले वर्ष पर्याप्त वर्षा होने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

वक्तव्य में भी उल्लेख है कि चौथी योजना में 92.5 लाख किलोवाट की अपेक्षित क्षमता की तुलना में हम केवल 42.6 लाख किलोवाट बिजली ही पैदा कर सकें। पाचंवीं योजना का लक्ष्य 185 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है। चौथी योजना के अपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने पर भी हम केवल 50% लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या हम यह समझें कि यह स्थिति निरन्तर इसी प्रकार चलती रहेगी।

ऊर्जा संकट की देश पर भयंकर परछाई पड़ रही है। हरियाणा में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हम नहीं जानते कि अगले घंटे में क्या होगा। इस स्थिति के लिये किसी को तो देश में उत्तरदायी बनाना होगा।

यह स्पष्ट है कि ऊर्जा विकास के लिये पांचवीं योजना के कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो पायेंगे। अधिकतर तापीय बिजलीघर कोयले की कमी के कारण नहीं चल रहे जब कोयले की स्थिति पर विचार किया जाता है कि रेलवे के पास कोयले के परिवहन के लिये पर्याप्त क्षमता है और वास्तविक कमी कोयले की है। दूसरी ओर इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा रेलवे पर दोष रोपण किया जाता है। यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है।

क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पंजाब सरकार को कोयले की कमी के आधार पर रोपड़ में तापीय बिजली घर न लगाने और भटिन्डा संयंत्र के तीसरे चरण का कार्य प्रारंभ न करने को कहा था ? यदि योजना आयोग ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रुख धारण करेगी । ऊर्जा संकट को देखते हुए हमने यदि अपने निर्माणाधीन संयंत्रों का कार्य पूरा न किया तो स्थिति भयंकर रूप ले लेगी । मंत्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 50 जेनरेटिंग सेट कार्य नहीं कर रहे और 15,000 किलोवाट क्षमता के 5 तापीय जेनरेटिंग सेट लगाये जाने हैं । इतनी कमी की अवस्था में इन्हें लगाया क्यों नहीं जा रहा ?

समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा अधिक बिजली की खपत करने वाले उद्योगों को कहा कि यदि वे चाहें तो दूसरे राज्य में अपने कार्य को स्थानान्तरण कर सकते हैं । यह बहुत ही अजीब वक्तव्य है । इससे प्रतीत होता है कि सरकार को अगले वर्ष भी स्थिति के सुधारने की संभावना नहीं ।

कोटा के आणविक बिजली घर के प्रथम चरण के अन्तर्गत 200 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी परन्तु आज वहां पर केवल 50 मेगावाट ही पैदा हो रही है । मशीनों में बार बार दोष प्रकट हो जाते हैं । हम यह भी नहीं जानते कि दूसरे चरण का कार्य कब तक पूरा होगा । यदि इस संयंत्र को पहले पूरा कर लिया गया होता तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली की कमी की अवस्था उत्पन्न न हुई होती ।

गोविन्द सागर बांध में पानी की कमी के भी समाचार हैं। यदि इस बांध में पानी की कम हुई तो उसका भाखड़ा के बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा । भाखड़ा से उत्तर प्रदेश और हरियाणा को नियमित रूप से बिजली मिलती है और यदि उस में रुकावट हुई तो इन राज्यों की क्या स्थिति होगी ? क्या गोविन्द सागर के पानी स्तर के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

क्या राजस्थान सरकार ने पांचवीं योजना में कोटा में तापीय बिजलीघर की स्थापना के बारे में केन्द्र सरकार को लिखा है ? राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है । आज के ऊर्जा संकट के संदर्भ में वहां पर इस परियोजना की भी आवश्यकता है ।

क्या देश भर में बिजली की कमी के प्रश्न पर नये दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा और इस मामले की पुनः जांच की जायेगी । क्या सरकार राष्ट्रीय विद्युत आयोग की भी स्थापना करेगी ?

मंत्री महोदय की विभिन्न बिजली अधिकारियों से हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ? क्या सरकार विभिन्न राज्यों में बिजली उत्पादन में वृद्धि कर रही है । क्या सरकार उद्योग और कृषि क्षेत्र के बीच उचित बिजली वितरण करेगी ? मंत्री महोदय को इस बारे में निश्चित जानकारी देनी चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि वर्ष 1973 में देश में सामान्य रूप से अच्छी वर्षा हुई है । लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिहन्द के अपवाद क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण रिहन्द बांध का जल स्तर नीचा रहा और इससे रिहन्द बांध द्वारा उत्पादित बिजली पर प्रभाव पड़ा । इसी प्रकार गेरा-वती झील में भी जल का स्तर नीचा रहा था । इन्ही दो कारणों से बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ।

पांचवीं योजना में बिजली उत्पादन का लक्ष्य 165 लाख निर्धारित किया गया है 185 लाख नहीं । इस समय हमारी प्रतिष्ठापित क्षमता 186 लाख अथवा 187 लाख है । हम केन्द्र और राज्य के बीच निकट से समन्वय बनाये हुए हैं जिससे निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्त अभाव वाली सामगी आदि मिलती रहे । इस प्रकार हम इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायक हो सकते हैं ।

जहां तक फरीदाबाद का प्रश्न है उसकी प्रतिदिन की बिजली की आवश्यकता 14 लाख किलोवाट घन्टें की है । इसमें से 3 लाख किलोवाट कृषि और 1 लाख किलोवाट की आवश्यकता उद्योगों के लिये है । 10 लाख किलोवाट में से 1 लाख किलोवाट टायर उद्योग की आवश्यकता है जिसमें कोई कटौती नहीं की गई है बाकी उद्योगों में कटौती की गई है । फरीदाबाद में बिजली की सप्लाई में कटौती करने से पूर्व उद्योगों को सूचित कर दिया जाता है जिससे वे इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था कर लें ।

कोयले के बारे में इस्पात और कोयला मंत्रालय में कोई विवाद नहीं है । हम चाहते हैं कि इस बारे में कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय में पूर्ण सहयोग हो ।

कुछ तापीय बिजलीघरों को स्वीकृति देने के संबंध में विलम्ब किये जाने की बात कही गई है । इस बारे में महत्वपूर्ण कोयला खानों और बिजली परियोजनाओं में तालमेल स्थापित करना पड़ता है । ऐसा न होने पर विलम्ब हो सकता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार डीजल से बिजली उत्पन्न करने की संभावना पर ध्यान दे रही है । उत्तर प्रदेश में बिजली की इस समय बहुत अधिक कमी नहीं है ।

कोटा परमाणु बिजलीधर की अपनी कठिनाइयां हैं फिर भी वह 50 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा कर रहा है ।

यह सच है कि भाखड़ा में जल स्तर गत वर्ष की तुलना में कम है भाखड़ा के अपवाह क्षेत्र में वर्षा होने से पूर्व हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम भाखड़ा से इतना अधिक पानी न लें जिससे एक अथवा दो मौसम में सिंचाई पर प्रभाव पड़ जाये । इस कारण कुछ कठिनाई हो सकती है वास्तव में बिजली उत्पादन में कुछ कमी हुई है ।

हम बिजली सप्लाई उद्योग का पुनर्गठन करने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से निकट भविष्य में बिजली का अधिक उत्पादन होने की आशा नहीं है क्योंकि वह इस बारे में पूर्णतया मौसम अथवा वर्षा पर निर्भर करते हैं।

हाल ही में हिंडाल्को ने इस्पात और खान मंत्री को यह सूचित किया था कि उन्हें बिजली की कमी के कारण अपने उत्पादन में और पारियों में कमी करनी पड़ेगी अथवा कुछ कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। अब स्थिति यह है कि हिंडाल्कों में से अनेक कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। क्या उत्पादन को घटाने के लिये यह कोई नियोजित षडयंत्र था? बिहार में सैंकड़ों नलकूप बिजली की कमी के कारण बेकार पड़े हैं। ग्रामीण विद्युत् निगम ने अनुदान देना बन्द कर दिया है और ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। इसी कारण से लघु उद्योग बन्द पड़े हैं।

मंत्री महोदय ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि दामोदर घाटी निगम संकट की स्थिति में है। जब दामोदर घाटी निगम पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई नहीं कर सकता, तो कौन यह कह सकता है कि बिहार की स्थिति संतोषजनक होगी।

वर्तमान स्थिति यह है कि कृषि और उद्योग में बिजली की अधिक से अधिक मांग बढ़ रही है ।

रूस सरकार द्वारा 500 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र सप्लाई करने का प्रस्ताव अस्वीकार करना उचित नहीं था। उसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नही थी।

माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान बिजली घरों से अधिकतम बिजली उपलब्ध की जायेगी उन्हें इस संबंध में संयंत्रवार ब्यौरा देना चाहिये। यह भी पता लगा है हमारे तापीय बिजली संयंत्र घटिया किस्म के कोयले का उपयोग कर रहे हैं। इस बारे में जांच की जानी चाहिये।

मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि एक नया बिजलो जनन एकक चालू किया जायेगा। इस बारे में मंत्री महोदय को वास्तविक ब्यौरा देना चाहिये। घटिया किस्म के कोयले के उपयोग से उत्पादन में कमी हुई है। अतः इस संबंध में एक आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिये। जिससे बिजली पैदा करने के लिये उचित कोयला प्राप्त हो सके।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : हिंडालको संयंत्र को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई उत्तर प्रदेश द्वारा बन्द कर दी गयी थी।

श्री भोगेन्द्र झा : उक्त जानकारी आपको बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई है और हिंडाल्को के प्रबन्धकों से प्राप्त हुई है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : हमें हमेशा जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होती है और यही बात उत्तर प्रदेश के मामले में भी लागू होती है।

बिहार की बिजली की इस समय प्रतिदिन की आवश्यकता 65 लाख किलोवाट है और उसे प्रति-दिन 61 लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो रही है। अतः बिहार राज्य को लगभग उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली सप्लाई की जाती है।

दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन एक समय 350 मेगावाट घट कर रह गया था और अब वह बढ़ कर 500 और 550 मेगावाट हो गया है।

मुझे रूस सरकार द्वारा 500 मेगावाट क्षमता के यूनिट के प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

दामोदर घाटी निगम की कुछ यूनिटों की ओर से उन्हें सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं सम्बद्ध मंत्रालयों से बातचीत की जाती है तथा समस्या के समाधान के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं। नई परियोजनाओं को सूची उन्हें आज के तारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर में मिल जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

आयात व्यापार नियंत्रग नीति

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं वर्ष 1974-75 के लिये आयात व्यापर निगम नीति खण्ड I और II की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6599/74**]

पांडिचेरी की संचित निधि में से किये जाने वाले व्यय के प्राधिकरण के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में

Re. Presidents order in regard to authorisation of expenditure out of Consolidated Fund of Pandicherry

श्री सेझियान (कुम्बकांणम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव किया था।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री सेझियान : पांडिचेरी बजट पर राष्ट्रपति-आदेश में निहित असंवैधानिकता के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी अन्य प्रकार से भी चर्चा की जा सकती है । यह मामला महत्वपूर्ण है तथा इस पर चर्चा होनी चाहिये। आपमें से एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री सेझियान के पश्चात् हमें भी कुछ बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री वाजपेयी, श्री मधु लिमये, श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री सेझियान की ओर से सूचनाएं मिली हैं। आप चाहें तो कोई एक माननीय सदस्या चर्चा आरम्भ कर सकता है। उनके बाद मंत्री महोदय को बोलने का अवसर दिया जायेगा। उसके बाद अन्य माननीय सदस्य वोलें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मुझे इस बारे में कोई आपत्ति हीं है। मैं माननीय सदस्यों की बातें ध्यान पूर्वक सुनूंगा। सभा को जैसे सुविधा रहे उसी प्रकार करे । मुझे इस बारे में कल विस्तृत वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या राष्ट्रपति को सलाह देने के पूर्व इस समस्या के सभी पहलुओं पर पूर्णतः विचार नहीं किया गया था ?

श्री सेझियान : इससे ज्ञात होता है कि सरकार ने इस गंभीर संवैधानिक समस्या पर कोई विचार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आज आप किसी भी समय वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : इसी समय।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सभा की अवमानना की गई है।.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से मंत्री महोदय को आपकी बात सुनने का अवसर दिया जाये जिससे जल्दबाजी में कोई और गलती न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): वहां की सरकार गिराने में इतनी जल्दबाजी की गई तथा दूसरे राष्ट्रपति को गलत परामर्श दिया गया। अब वह हमारे तक सुनकर विचार करने के लिय समय चाहते हैं। ....**व्यवधान**

श्री एच० आर० गोखले: माननीय सदस्य का यह कथन गलत है कि राष्ट्रपति को गलत सलाह दी गई है। संवैधानिक मामला होने के कारण यह मामला महत्वपूर्ण है इसीलिये हम इस पर ध्यानपूवक विचार करना चाहते हैं। दूसरे, मेरे विभाग की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा होने वाली है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु: उन्हें इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: उन्हें सभा को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने राष्ट्रपति को इस अधिनियम पर अनुमति देने की किन आधारों पर सलाह दी।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस स्थिति में समय क्यों चाहिये जब स मामले पर चर्चा की जा रही है। वह स्वीकार कर लें कि यह कार्यवाही उचितरूप से नहीं की गई।....(**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले: यदि आज ही उत्तर देने के लिये मुझे विवश किया गया तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सभा-पटल पर पत्र रख जाने को तब तक के लिये स्थगित किया जाय जब तक वह सभा को संतुष्ट न कर दें।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यदि कुछ ऐसी बातें उठाई गई जिनके उत्तर के लिये अध्ययन किया जाना आवश्यक हुआ तो मंत्री महोदय को समय दिया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: उस स्थिति में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला अवश्य विवादास्पद है।

श्री सेझियान: इस आदेश को निलम्बित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके विचार सुनने के पश्चात् मंत्री महोदय समझें कि इस पर पुनः विचार किया जाये तो उनको समय मिलना ही चाहिये।

श्री एच० आर० गोखले: मेरा आशय भी यही है।....(**व्यवधान**)

श्री सेझियान: हमें 29 तारीख को ही यह आशंका हो गई थी कि सरकार एसा रवैया अपनायेगी। इसीलिये तभी हमने यह प्रश्न उठाया था कि इस सभा में विनियोग विधेयक पारित किए बिना राष्ट्रपति को पांडिचेरी की संचित निधि से राशि निकालने का अधिकार नहीं है। उस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तथा उन्होने सरकार से इस ओर ध्यान देने को कहा था। किन्तु सरकार ने उस दिन कुछ नहीं कहा। यह सभा की अवमानना है कि सरकार ने इस बारे में राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया।

महोदय ! यदि सरकार की इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों को रोका नहीं गया तो दिन ऐसा भी आ सकता है जब सरकार संसद् के दोनों सदनों की उपेक्षा करके राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 5400 करोड़ रुपये के पूरे बजट को पास कर दे। यह तरीका नितांत असंवैधानिक है।

हुआ यह कि विधान सभा भंग हो गई तथा 28 तारीख को अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश में सैक्शन 51 का हवाला दिया गया।

धारा 51 के अधीन राष्ट्रपति को अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निलम्बित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। हमें देखना चाहिये कि क्या अनुदानों को स्वीकृति देने हेतु किसी प्रावधान को निलम्बित किया गया है जो एक मुख्य प्रश्न है।

विधान सभा की शक्तिय सम्बन्धी शक्तियों निलम्बित नहीं की गई। ये शक्तियां यथापूर्व लागू हैं। उद्घोषणा में कहा गया है कि ये शक्तियां संसद् को सौंपी जा चुकी हैं।

संसद् को संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त है। धन देने और धन की सप्लाई रोकने की सर्वोपरि शक्ति संसद और विधान मण्डल को प्राप्त है। संसद सरकारी कोष पर भी नियंत्रण रखती है।

अनुच्छेद 114 में उल्लिखित शक्ति का उपयोग अन्य किसी भी निकाय द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्माता डा० अम्बेदकर ने कहा था—"वित्त के मामले में संसद सर्वोपरि है क्योंकि संसद् की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता ।"

उड़ीसा विधान सभा 1961 में भंग हुई थी और राज्यपाल ने राज्य के कार्यों को चलाने के लिये कुछ धनराशियों को निकालने हेतु एक अध्यादेश जारी किया था। इस मामले की चर्चा सभा में हुई । इस आशय का एक वक्तव्य दिया गया कि विधि मंत्रालय का मत है कि सरकार द्वारा प्रस्थापित अध्यादेश संविधान के अन्तर्गत वैध नहीं है। हमने इस बारे में तत्काल राज्यपाल को सूचित किया। इस अध्यादेश के अधीन तब से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। राज्य सभा 1961 में सत्रावधि में नहीं थी । उस समय 24 घंटे के भीतर तत्काल इसे बुलाया गया था।

विधि मंत्रालय ने अपने विचार व्यक्त किये और उन्होने अध्यादेश जारी करने और संसद् के अधिकार अपने हाथ में लेने के लिये क्षमा मांगी है। प्रधान मंत्री ने संसद् की स्थिति स्पष्ट की है । लेकिन इस बारे में दूसरी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वे अवैध, असंवैधानिक, संसद-विरोधी और गैर-लोकतांत्रिक आदेश जारी करने में लगे हैं।

राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि "और जबकि संसद की दोनों सभाओं के सत्र नहीं चल रहे हैं, और 1 अप्रैल, 1974 से पहले किसी विनियोग अधिनियम को अधिनियमित करने में कठिनाई है।" यह तो संसद की शक्ति है। सरकार को संसद् में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी और उसका हल सुझाना चाहिये था। इसके लिये सभा का सत्र अल्प-सूचना पर भी बुलाया जा सकता था। राज्य सभा की भी बैठक बुलायी जा सकती थी। वर्ष 1961 में राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था लेकिन 24 घंटे के भीतर राज्य सभा का तत्काल सत्र बुलाया गया था।

धनराशि की निकासी आनुषंगिक अथवा पारिणामिक नहीं है।

अनुच्छेद 56 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा कुछ भी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इसी संदर्भ में कहा गया है कि "वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकता जो अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध हो।" इस संबंध में उपबन्ध बहुत स्पष्ट हैं और मैं समझता हूं कि 28 मार्च को जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश अवैध है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है और यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है।

सरकार अपनी इच्छा से ही संसद् के समक्ष आई है। हमारे द्वारा शंकायें व्यक्त करने और चेतावनियां देने के बाद भी सरकार इस बारे में चुप रही है। सरकार संसद् की शक्तियों को कम कर रही है।

आपको यह विनिर्णय देना चाहिये कि उक्त आदेश अवैध और असंवैधानिक है और इसे सभा-पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये। यदि इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है तो यह संसदीय प्रणाली के लिये घातक होगा।

इस संबंध में महान्यायवादी को अपना मत व्यक्त करना चाहिये और संसद् की इस संबंध में सहायता करनी चाहिये। संसद् में की जा रही कार्यवाही लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध होगी।

सरकार वित्तीय नियंत्रण के मामले में संसद् के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। यह एक और अनुचित परम्परा है।

इस संबंध में केवल विपक्षी दलों का ही दायित्व नहीं है। इससे सारा सदन ही प्रभावित हुआ है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The order issued by the President is unconstitutional and illegal. When the Pondicherry Assembly has been dissolved, it is only the Parliament which can sanction funds for incurring expenditure and the President cannot authorise the withdrawal from the Consolidated Fund of India. If the hon. Law Minister wants to make it legal under Section 240, it will be unjust to the Constitution.

The Law Minister should admit that this order is not a Regulation.

The President may make regulations for peace, progress and for good Government of the Union Territory. The President has taken this step without taking Parliament into confidence.

The Law Minister should apologise in the House. The House will not tolerate twisting of the Constitutional provisions. The Attorney Geneeal should be summoned to give his opinion on this issue, so that a particular decision in this matter may be taken.

The Government should state whether the advice of the Attorney General was taken before taking any decision in this matter; and if not, whether this decision was taken at the instant of the Law Ministry. The Government is guilty of tendering wrong advice to the President and as a result of it grave constitutional crisis has arisen. The Law Minister should resign in order to a tone for his lapse.

We do not want that the payment of Salaries to the Government employees should be stopped. It will creat more difficulties. But it does not mean that there should be violation of the Constitution and democratic traditions. A proper solution of this matter can be found out.

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : इस मामले में संसद् का अवमान किया गया है । यह बहुत गम्भीर मामला है । इस मामले को संसद् के समक्ष जाने के लिये पर्याप्त समय था ।

इस बात का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि जब कभी सरकार की नीतियों में भारी परिवर्तन किया जाना हो, तो उस विषय पर संसद् में अवश्य चर्चा की जानी चाहिये । गेहूं के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने की भी संसद् में चर्चा नहीं की गई थी और संसद् सदस्यों ने इस बारे में चर्चा न करने का कारण पूछा था ।

राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक और गैर-कानूनी है । आदेश जारी करने से पूर्व संसद में चर्चा करने की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

यदि संसद् को इस प्रकार कार्य करना है तो यह बेहतर होगा कि इसे भंग कर दिया जाये और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर अध्यादेश जारी किये जायें जिससे धन व्यर्थ खर्च न कर करोड़ों रुपये की बचत की जा सके । यदि संसद् को बनाये रखना है तो कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और गंभीर प्रक्रियाओं का उलंल्घन नहीं करना होगा । लेकिन अब सरकार गैर-कानूनी और असंवैधानिक तरीके अपना रही है । यह न केवल प्रतिपक्ष का बल्कि समूची संसद् का अवमान है । इसमें संसद् की प्रक्रियां का गम्भीर उल्लंघन किया गया है । अतः हम इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों की ओर ध्यान देने की बजाय सरकार और विधि मंत्रालय आदेश का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त रहा, जिसे उसी दिन लागू कर दिया गया ।

राष्ट्रपति के आदेश में तीन कारण प्रस्तुत किये गये । एक मुख्य कारण संसद् के दोनों सदनों का सत्र न होना और विनियोग अधिनियम को 1 अप्रैल से पहले अधिनियमित करने में कठिनाई होना बताया गया है । राष्ट्रपति को सरकार और विधि मंत्रालय ने गलत मंत्रणा दी है । यह कोई वैध और संवैधानिक तर्क नहीं है ।

इस बारे में वर्ष 1961 की परम्परा का स्मरण कराया गया है जबकि स्थिति बहुत संकट की थी । उस समय भी जब यह मामला उठाया गया तो तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार की थी ।

यदि सरकार यह सोचती भी है कि विरोधी दल इसका विरोध करेंगे तो उसे विदित ही है कि उसे भारी बहुमत प्राप्त है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार का खतरा नहीं था । विनियोग विधेयक आधे घंटे में पारित किया जा सकता था ।

अनुच्छेद 240 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति विधान सभा के भंग होने अथवा निलम्बन पर शांति, प्रगति और संघ राज्य क्षेत्र के सुदृढ़ शासन के लिये अधिनियम बना सकता है । यदि ऐसी बात थी तो विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये था कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 240 के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा किया है । आपका विनिर्णय प्राप्त हो जाने तक आदेश की क्रियान्विति नहीं की जानी चाहिये थी ।

इस मांग का मैं समर्थन करता हूं कि महान्यायवादी को हमें सलाह देने के लिये सदन में बुलाया जाना चाहिये । उत्तर में एक वक्तव्य देकर सरकार को किसी भी हालत में इस मामले को समाप्त हुआ नहीं समझ लेना चाहिये ।

18LSS/74—11

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराय) : प्रश्न यह उठता है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उचित थी । मेरे विचार से सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतया अवैध और असंवैधानिक है । संविधान में संचित निधि से धन निकालने के बारे में प्रक्रिया दी हुई है । इस मामले में उक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है ।

शायद सरकार के दिमाग में यह धारणा थी कि क्योंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा है अतः विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सकता । विशेष परिस्थितियों में विनियोग अधिनियम का उल्लेख ठीक नहीं है । क्योंकि जब विधान सभा भंग की गई थी तब वह लेखानुदानों की मांगों पर विचार कर रही थी । आदेश में लेखानुदानों का उल्लेख किया जाना चाहिये, विनियोग अधिनियम का नहीं । यदि लोक सभा ने लेखानुदानों के लिये अनुमति दी होती तो सरकार द्वारा पांडिचेरी में अध्यादेश द्वारा सरकार का कार्य चलाने की बात न्यायोचित होती । परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया । सरकार द्वारा की गई इस विशेष कार्यवाही से यह बोध होता है कि वह तानाशाही ढंग से कार्यवाही करना चाहती है और इस सभा के अधिकारों के प्रति उदासीन है । अतः यह स्पष्ट है कि सरकार ने इस मामले में संविधान का उल्लंघन करके गम्भीर अपराध किया है ।

महान्यायवादी की उपस्थिति इस मामले में अत्यन्त आवश्यक है ।

जहां तक इस मामले में आगे कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, राज्य सभा का सत्र तुरन्त बुलाया जाना चाहिये, जिससे सरकार को संचित निधि से इस भुगतान को करने का अधिकार प्राप्त हो सके ।

Shri Madhu Limaye (Banda) ; There is a provision in rule 3 of Rajya Sabha that :—

"When a session is called at short notice or emergently, the announcement of the date and time of the session may be made in the press and Members informed by telegram or otherwise." The Law Ministry should have considered all the aspects of the question when the decision to dissolve the Pondicherry Assembly was taken. They could have managed to fulfil all the required formalities before the 31st March and passed the Appropriation Bill. It is completely unfair to do this through the President's Ordinance. The reasons given for doing so are baseless and meaningless.

So far as I think, this matter has no relation whatsoever with Article 240 of the Constitution. The Home Ministry's Demands include provision for those Union Territories where there is no legislature. Since the legislature has already been Constituted in Pondicherry, their demand has got to be presented here for approval.

This should be discussed here whether the President can issue an ordinance on the basis of the illegal and unconstitutional advice given by the Government. In my opinion it was the duty of the President to suggest to the Law Minister to take immediate steps to summon the Rajya Sabha and get the Appropriation Bill passed by the Parliament. The Law Minister should resign for contempt of the House.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : भारत की संचित निधि में से धन निकालने के संबंध में अनेक उपबन्धों का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 240 का और संघ राज्य क्षेत्र के सम्बद्ध उपबन्धों का भी उल्लेख किया गया है । उक्त कार्य भारतीय जनता, संसद् और संसदीय लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के साथ स्पष्ट धोखा है ।

यह समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने विधि मंत्रालय अथवा किसी अन्य विभाग के परामर्श पर कार्य किया है । इस मामले में हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यदि राष्ट्रपति का इसमें हाथ होना पाया जाता है तो उसे छोड़ा क्यों जाये । यदि उन्होंने जानबूझ कर संविधान का उल्लंघन किया है तो यह उनके विरुद्ध महाभियोग लगाने का उचित आधार है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं केवल धारा 51 और 56 के बारे में बोलना चाहूंगा जिसका उल्लेख 28 मार्च के आदेश में किया गया है । राष्ट्रपति इस अधिनियम के सभी अथवा किसी एक उपबन्ध का आदेश द्वारा निलम्बन कर सकता है । इस मामले में राष्ट्रपति ने वित्तीय मामलों से संबंधित संगत उपबन्धों को निलम्बित नहीं किया है । राष्ट्रपति केवल उन्हीं प्रासंगिक तथा आनुषंगिक प्रावधानों की व्यवस्था कर सकता है जो इस निलम्बन से उत्पन्न होते हैं । सरकार ने 28 मार्च का आदेश जारी करते समय इस धारा का अर्थ इस प्रकार लगाया है । राष्ट्रपति ने उपखण्ड (क) में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के कुछ उपबन्धों को निलम्बित किया है परन्तु धारा 27 से 31 तक को, जो वित्तीय मामलों से संबंधित हैं, निलम्बित नहीं किया गया है ।

29 तारीख के आदेश का उद्देश्य कतिपय आनुषंगिक तथा परिणायिक उपबन्धों को निर्धारित करना है, उन आनुषंगिक तथा परिणायिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम के किसी विशेष उपबन्धों के निलम्बन से संबंधित नहीं हैं, इसलिये इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या यह आदेश संवैधानिक है या नहीं । क्योंकि 28 तारीख के आदेश के अनुसार राज्य की विधान सभा इस अर्थ में जीवित है कि संसद् उन सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी जो विधान सभा करती है । राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इस संसद को धारा 27 से 31 में निहित अधिकारों सहित पांडिचेरी की विधान सभा के सभी अधिकार प्रयोग करने की शक्ति दे दी गई है । चूंकि उन उपबन्धों को निलम्बित नहीं किया गया है और संसद् का सत्र अभी चल रहा है, इसलिये आनुषंगिक तथा पारिणायिक अधिकारों की ओट में इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो कि धारा 27 से 31 के विरुद्ध है । मेरा यह कहना है कि यह आनुषंगिक तथा परिणायिक अधिकार नहीं हो सकता है क्योंकि यह किसी विशेष उपबन्ध के निलम्बन से संबंधित नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 357(ग) में लोक सभा का उल्लेख किया गया है न कि समग्र रूप में संसद् का । अतएव लोक सभा की सम्मति लेना आवश्यक है । यदि यह सम्मति ले ली जाती तो बाद में जारी किया गया अध्यादेश सही रहता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं इसका उत्तर कल दूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकता-उतर पूर्व) : हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं और विधि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं । प्रधान मंत्री भी यहां नहीं हैं । क्या संसदीय लोकतन्त्र इस प्रकार चल सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुना है । मैं सरकार को सलाह दूंगा कि वह किसी भी विधान सभा को प्रथम अप्रैल के करीब भंग अथवा निलम्बित करने से पूर्व गम्भीरता से विचार करे । व्यक्तिगत रूप से मैं इस मद को तब तक सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूं जब तक कि मैं विधि मंत्री महोदय की बात नहीं सुन लूं । मैंने सरकार को परामर्श दिया है कि भविष्य में बिना विस्तार से विचार किये वे संवैधानिक उपबन्धों को निलम्बित करने, विधान सभाओं को भंग करने आदि जैसी कार्यवाही न करें । सरकार को प्रतिष्ठा के प्रश्न पर अड़े नही रहना चाहिये यदि कोई गलती हुई है तो वह ठीक की जा सकती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार 14 मार्च को डाक्टरों को दिये गये समझौते के मसौदे को अब नहीं मान रही है, मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्रीमहोदय को इस पर वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिला है । मैं उस पर विचार करूंगा । श्री रघुरामैया ।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

(40वां प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 40 वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रणा समिति के 40वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS
1974-75

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर उनकी सूचना दे दें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी चर्चा आरम्भ करेंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग सं०	कटौती प्रस्तावक संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपए
68	12.	श्री आर० वी० बड़े	निर्वाचन पद्धति को बदलने में विफलता।	100
68	13.	,,	मताधिकार हेतु आयुसीमा 18 वर्ष निश्चित करने में विलम्ब। . .	100
68	14.	,,	अनेकों कानूनों का हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराये जाने में आपेक्षित विलम्ब।	100
68	15.	,,	न्यायक्षेत्र में हिन्दी को प्रश्रय देने में विलम्ब।	100
68	16.	,,	निर्वाचन प्रक्रिया को सरल बनाने में असफलता।	100
68	17.	,,	निर्धनों को निःशुल्क न्याय दिलाने की व्यवस्था करने में विफलता।	100
68	18.	,,	न्यायालयों में बढ़ते हुए मामलों को कम अवधि में न निपटाने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न 'देर से दिया गया न्याय नहीं' वाली स्थिति को ठीक करने में असफलता।	100
68	19.	,,	श्रम न्यायालयों का विभागीय रूप बदल कर उन्हें पूर्ण न्यायालयों का स्वरूप देने में विफलता। . . .	100
68	20.	,,	कोर्ट फीस तथा बढ़ती हुयी स्टाम्प ड्यूटी के कारण न्याय प्राप्ति में बाधा।	100
68	21.	,,	भारत के संविधान की हिन्दी में अधिकृत प्रति उपलब्ध कराने में विफलता।	100
68	22.	,,	निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही करने में असफलता। . .	100

1	2	3	4	5
				रुपए
68	23.	श्री आर० वी० बड़े	मतदान आयु सीमा कम करने पर पुर्नविचार करने में असफलता। . . .	100
68	24.	श्री डी० के० पंडा	भारतीय विधि संस्थान को लोकतांत्रिक बनाने तथा इसे सी० आई० ए० के प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता। . .	100
68	25.	,,	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ तथा जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र जैसे समाजवादी देशों के साथ उनके विधि और न्याय पद्धति के विषय में विचारों और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच बनाने की आवश्यकता।	100
68	26.	,,	बड़े व्यपार गृहों, जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों द्वारा आर्थिक अपराधों के मूल स्रोतों को दूर करने के लिये व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता। . .	100
68	27.	,,	मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की आवश्यकता। . .	100
68	28.	,,	1974 के अन्त तक केन्द्रीय अधिनियमों तथा नियमों का उड़िया भाषा सहित प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने तथा उन्हें जन-साधारण में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता।	100
68	29.	,,	जनसाधारण को सस्ता तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिये देश में न्याय प्रशासन में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता। . . .	100
68	30.	,,	सामाजिक न्यायिक सुधार तुरन्त लागू करने की आवश्यकता। . . .	100
68	31.	,,	निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने की व्यापक विधान योजना को क्रियान्वयन करने में असफलता। . .	100
68	32.	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सभी प्रकार से विशेषरूप से उन्हें अपनी भूमि वापस लेने के प्रयत्नों में जो जमीदारों द्वारा अवैध रूप से उनसे ले ली गई हैं कानूनी सहायता की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। . .	100

1	2	3	4	5
68	33.	श्री डी० के० पंडा	भूमि सुधार अधिनियमों के क्रियान्वयन से उत्पन्न मामलों में निःशुल्क विधिक सेवा की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
68	34.	,,	उन भूमिहीनों को जिन्होंने सरकारी बेकार भूमि पर अतिक्रमण किया है बेदखली आदेशों के विरुद्ध उस भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिये निःशुल्क कानूनी सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
68	35.	,,	उड़ीसा में कटक में उच्चतम न्यायालय का दौरा न्यायालय बनाने की आवश्यकता।	100
68	36.	,,	उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये विशिष्ट कसौटी निश्चित करने की आवश्यकता।	100
68	37.	,,	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये वर्तमान कानून में सुधार करने की आवश्यकता।	100
68	38.	,,	यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की किसी राज्य का कोई व्यक्ति उसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त न किया जाये।	100
68	39.	,,	चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये सही कानूनी मार्गदर्शन देने में असफलता।	100
68	40.	,,	थोड़े से एकाधिकारियों के हाथ में धन के संकेद्रण को कम करने के लिये विभिन्न कानूनों को बनाने में संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम के बन जाने के बाद की कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100
68	41.	,,	एकाधिकारी औद्योगिक गृहों के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रभावी विधान बनाने की आवश्यकता।	100
68	42.	श्री एस० एन० सिंह	राजस्थान में जयपुर में उच्च न्यायालय की एक बेंच खोलने की आवश्यकता।	100
69	43.	,,	न्याय प्रशासन की ऐसी पद्धति की व्यवस्था करने में असफलता जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और निर्धन व्यक्ति की पहुंच के अन्तर्गत हो।	100

1	2	3	4	5
68	44.	श्री रामावतार शास्त्री	मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
68	45.	,,	निर्वाचन विधि में सुधार करने में असफलता।	,,
68	46.	,,	निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने में असफलता।	,,
68	47.	,,	देश में अधिवक्ताओं की समान कानूनी फीस निश्चित करने में असफलता।	,,
68	48.	,,	निर्वाचनों के दौरान साम्प्रदायिक, विघटनकारी, जाति पर आधारित तथा पृथकतावादी प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।	,,
68	49.	,,	सभी निर्वाचनों में अनुपातिक प्रतिनिधत्व की प्रणाली लागू करने में असफलता।	,,
68	50.	,,	चुनावों में हरिजनों एवं दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देते वक्त संरक्षण देने में असफलता।	,,
68	51.	,,	चुनाव केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने तथा मतपेटियों को लेकर भागने की कार्यवाहियों को रोकने में असफलता।	,,
68	52.	,,	मधुबनी-उप-चुनाव में दर्जनों मतदान केन्द्रों पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा बलपूर्वक कब्जा करना तथा दूसरे भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग	,,
68	53.	,,	हरिजनों एवं महिलाओं के लिये हर जगह पृथक मतदान केन्द्र बनाने की आवश्यकता।	,,
68	54.	,,	न्यायालयों में भ्रष्टाचार में वृद्धि	,,
68	55.	,,	मुकदमेबाजी का अत्यधिक खर्चीला होना।	,,
68	56.	,,	बिना मुकदमा चलाये लोगों को वर्षों तक जेलों में रखना।	,,

1	2	3	4	5
68	57.	श्री रामावतार शास्त्री	न्याय दिलाने में अनावश्यक विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
68	58.	,,	इजारेदार कंपनियों पर अंकुश लगाने में असफलता ।	,,
68	59.		इजारेदारों द्वारा जनता को खुलकर लूटने की इजाजत देना . . .	,,
68	60.	,,	एकाधिकारियों द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करना और सरकार की निष्क्रियता । .	,,
68	61.	,,	जाली कंपनियों की रजिस्ट्री करने की नीति समाप्त करने की आवश्यकता । . .	,,

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान)। मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मागों का विरोध करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair

इस मंत्रालय का कार्य गत वर्ष बड़ा निराशाजनक रहा है। इसने देश की न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को हिला दिया है । न्याय पीठ में ऐसे व्यतियों की नियुक्तियां की गई है जिनका आचरण सही नहीं था, देश में कानूनी सुधार नहीं किये जा सके हैं। यह विभाग इस देश में चुनाव पद्धतियों में हस्तक्षेप करके संसदीय लोकतंत्र को विघटित कर रहा है । चुनाव कानून पर्याप्त है जिसके कारण मुख्य चुनाव आयुक्त भ्रष्ट चुनावों के लिए मुख्य निरिक्षक का कार्यालय बन गया है, उत्तर प्रदेश, उडीसा और बिहार में हाल में हुए चुनाव इस बात की पुष्टि करते हैं ।

चुनाव आयोग इस देश की चुनाव प्रक्रियाओं को दूषित कर रहा है । स्वतन्त्र दल चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी की सहायता से चुनाव व्यवस्था को भ्रष्ट कर रहा है । एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब उत्तर दायी व्यक्ति गंभीर आरोप लगाते हैं तो उस स्थिति में चुनाव आयोग को क्या करना चाहिये ।

हमें ज्ञात है कि वर्षों तक चुनाव याचिकायें अनिर्णित पड़ी रहती हैं तथा चुनाव आयोग उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता । चुनाव आयोग से प्रत्येक मामले में यही उत्तर मिलता है कि न्यायालय में चले जाओ । यद्यपि चुनाव आयोग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है । वह देश भर में चुनाव कराता है । उसे संसद में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होता है तथापि वह अपने दायित्वों का पूर्णतया से निर्वाह नहीं करता । 1972 में मैंने निर्वाचन आयोग से एक शिकायत की थी किन्तु आयोग ने मेरी शिकायत की जांच का कार्य उसी जिला मजिस्ट्रेट को सोंपा जिसके विरुद्ध मैंने शिकायत की थी । ऐंसी परिस्थिति में न्याय पाना कहां तक सम्भव है ?

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग बहु-संसदीय आयोग होना चाहिए किन्तु अभी तक इस व्यवस्था को लागू करने के लिये चुनाव कानूनों में संशोधन नहीं किया गया । श्री जगन्नाथ राव के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी तथा उसने भी यही सिफारिश की थी कि निवार्चन आयोग एक बहुसस्दयीय निकाय होना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संयुक्त समिति की सर्वसम्पति से की गई सिफारिश को अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया । सरकार के इस रवैये से हमें ज्ञात होता है कि उसकी नियत खराब है तथा यह इसी लिये नहीं किया जा रहा कि एक व्यक्ति पर प्रभाव डालना सरकार के लिये सरल है ।

सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पुनः किसी पद पर नियुक्त किया जाना भी देश के हितों के प्रतिकूल है । मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञात होता है कि यदि वह सरकार के हितों की रक्षा करेगा तो उसे सेवानिवृत्त के पश्चात् भी कोई अन्य पद प्राप्त हो सकता है । अतः उस का रवैया पक्षपातपूर्ण हो जाना स्वाभाविक ही है । इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिये तथा निर्वाचन सम्बन्धीं कारणों में संशोधन किया जाना चाहिये । मतदान की आयु में भी कमी होनी चाहिए । सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किये जाने पर दृढ़ता से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । प्रजातंत्र प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिये ये बातें बहुत आवश्यक हैं ।

जहां तक कंपनी कार्य विभाग का संबंध है इसे समवाय अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम संबंधी कार्य सोंपा गया था किन्तु यह विभाग उसे पूरा करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सरकार कुप्रबन्ध को समाप्त न कर सकी । मेट्रो सिनेमा इसका ज्वलंत उदाहरण है जिसके बारे में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया था कि मेट्रो सिनेमा संबंधी सौदा एक धोखाघड़ी है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में कंपनी विधि बोर्ड ने 1972 से अब तक क्या कार्यवाही की है ।

मेट्रो सिनेमा कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा न्यायालय में मामला दायर किया गया था जिसमें सरकार को भी पार्टी बनाया गया था । न्यायालय में सरकारी वकील से पूछा गया कि सरकार का इस बारे में क्या रवैया है । किन्तु सरकारी वकील ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें पार्टी बनाया जाना उपयुक्त नहीं है । हम इसमें कोई भाग नहीं लेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय और कंपनी विधि बोर्ड तथा कंपनी कार्य विभाग इस मामले में क्यों सोये रहे जब कि उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया था ।

समवाय अधिनियम में ऐसे कई उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत सरकार विदेशी कंपनियों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकती है । क्या सरकार ने मेट्रो थियेटर के बारे में उन उपबन्धों को लागू किया और यदि हां तो उसके बाद क्या कदम उठाये गये ?

हम इस विभाग से यह मांग करते आ रहे हैं कि निर्गमित क्षेत्र के निकायों के प्रबंध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने तथा श्रमिकों को ईक्विटी शेयर के माध्यम से मालिक बनाने की व्यवस्था करने के लिये कानून बनाये जायें । किन्तु यह विभाग इस कार्य में नितांत असफल रहा है।

यह विभाग एकाधिकार गृहों तथा विदेशी कंपनियों के हाथों में आर्थिक शक्तियों को जमा होने पर रोक लगाने के कार्य में भी असफल रहा है। फायरस्टोन, इंडिया टोवैरों नामक अनेक विदेशी कंपनियां असाधारण लाभ अर्जित कर रही हैं तथा सरकार उनकी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती।

धारा 408 के अन्तर्गत सरकार को कुप्रबन्ध वाली कंपनियों में निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है। सरकार ने 1973-74 में केवल 9 कंपनियों के मामले में इस अधिकार का प्रयोग किया। मुझे खेद है कि सरकार ने जिस ढ़ंग से निदेशकों की नियुक्ति की उससे सरकारी निदेशक नियुक्त किये जाने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

पहली मई, 1972 की धारा 410 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई। किन्तु गत दो वर्षों में इस समिति की केवल एक बैठक हुई। कंपनी विधि बोर्ड ने प्रबन्ध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक दिये जाने के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं जिनके अन्तर्गत उनकी मासिक आय 5,000 रुपया निर्धारित की गई है। उसके अतिरिक्त उन्हें सभी अन्य सुविधायें प्राप्त हैं जिसका कुल योग लगभग 12,000 रुपया बैठता है। इस सरकार ने समाजवादी दृष्टिकोण से उतना भारी परिश्रमिक निर्धारित किया है।

विशेष लेखापरीक्षा का अधिकार भी सरकार को प्राप्त है किन्तु गत वर्ष केवल चार मामलों में इस अधिकार का प्रयोग किया गया है। लागत लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था को भी केवल 37 मामलों में उपयोग किया गया है। यही इस विभाग का कार्यकरण है।

प्रमुख वित्रय एजेंसियों के कार्यकरंण की जांच पड़ताल किये जाने की भी व्यवस्था है। उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से कंपनियां अपने लाभ को विदेश भेजती हैं। 1972-73 में केवल 14 मामलों में इस प्रकार की जांच पड़ताल आरम्भ की गई और केवल तीन मामलों में यह कार्य पूरा किया गया।

जहां तक विभाग के कार्यकरण का संबंध है मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति किस कसौटी के अन्तर्गत की जाती है? क्या मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में सलाह ली जानी है अथवा नहीं? उच्चतम न्यायालय में गत 6 महीनों से एक स्थान रिक्त है तथा उसे न भरे जाने के क्या कारण हैं? मेरी यह भी मांग है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त नही किया जाये।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिवान चमनलाल और अन्य वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। उस मामले पर विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 10 मिनट अधिक समय ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कानूनी सहायता के बारे में मेरा सुझाव है कि सेवा से निकाले जाने या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों में भी गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार इस संबंध में तुरन्त कोई निर्णय करे तथा निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता दिलाने के बारे में कोई व्यवस्था करे।

श्री जगन्नाथ राव (छतर पुर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुये मैं यह चाहता हूं कि इस मंत्रालय द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनका महत्व बहुत अधिक है।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुकदमेंबाजी का खर्च दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । राज्य सरकारें कोर्ट फीस को बढ़ाती जा रही हैं तथा वे इस राशि को अपनी आय समझती है । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश दे कि कोर्ट फीस को आमदनी का जरिया न समझा जाये ।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों के फैसले में असाधारण विलम्ब की जाती है जिससे लोगों को भारी असुविधा होती है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किये जाने पर भी अनिर्णित मुकदमों की संख्या में कमीं नहीं हो रही । इस संबंध में सरकार को कोई उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

गरीब लोगों को कानूनी सहायता दिये जाने के बारे में सरकार को ब्रिटेन की भांति एक निधि बनानी चाहिये तथा वास्तव में निर्धन व्यक्तियों के मुकदमों की पैरवी के लिये इस निधि से वकीलों को फीस दी जानी चाहिये । मुकदमा जीतने के बाद सरकार द्वारा खर्च की गई राशि दूसरे पक्ष से वसूल की जा सकती है।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अब कोई विवाद नहीं रहना चाहिये क्योंकि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां की जा रही हैं ।

एक बात अवश्य चिन्ताजनक है और वह है सेवानवृत्ति न्यायाधीशों की विभिन्न आयोगों आदि में पुनः नियुक्ति । इससे जनता के मन में आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। यदि सरकार समझती है कि 75 या 80 वर्ष की आयु में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं तो सरकार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्यों नहीं बढ़ा देती? यदि इस प्रकार न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त किया जाएगा तो उनसे निष्पक्षता की आशा नहीं की जा सकती ।

राजभाषा आयोग एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अधीन है । इस आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रगति करे ।

किन्तु वहां इस दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा। वहां पर ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिनकी हिन्दी में प्रतिनिष्ठा हो । सभी केन्द्रीय कानूनों का हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये जिससे सभी लोगों को कानूनों का पता लग सके ।

विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने निर्वाचन आयोग के कार्यकरण की आलोचना की है तथा चुनावों को धोखाधड़ी बताया है । मैं इस आलोचना से सहमत नहीं । कांग्रेस पार्टी को राज्यों में तथा केन्द्र में बहुमत इसलिये प्राप्त होता है क्योंकि जनता का कांग्रेस पार्टी, उसकी नीतियों तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास है

जहां तक कंपनी कानून का संबंध है इसके अन्तर्गत कंपनियों के कार्यकरण का विनियमन किया जाता है। देश में 36,000 कंपनियां हैं जिनमें से 28,000 प्राइवेट लिमिटेड हैं तथा लगभग 7,000 सरकारी कंपनियां हैं । अप्रैल से दिसम्बर, 1973 की अवधि में 363 इंस्पैक्शन किये गये । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इंस्पैक्शन डायरेक्टोरेट में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का निरीक्षण करने के लिये एक कैडर बनाया जाना चाहिये । तत्संबंधी रिपोर्टों को भी प्रकाशित किया जाना चाहिये जिससे जनता को पता लग सके कि ये कंपनियां नियमानुसार कार्य कर रही हैं अथवा नहीं ।

कंपनी विधि विभाग को इस बात की भी पूरी-पूरी जांच करनी चाहिये कि इन बड़े व्यापार गृहों द्वारा किन किन अन्य कंपनियों में पंजी लगाई जा रही है क्योंकि बड़े पूंजीपति इसी प्रकार अन्य कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इस विभाग को कम शेयर वाले व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिये ।

जहां तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, जो अप्रैल 1970 में लागू किया गया का संबंध हैं मैं जानना चाहता हूं क्या इस अधिनियम के माध्यम से एकाधिकार में कोई कमी हुई है ? मेरे विचार से इसको बढ़ावा मिला है । किसी उद्योग के विस्तार के लिये दिये गये आवेदन पत्र को सरकार चाहे तो आयोग को सौंप सकती है तथा आयोग की सिफारिश मानने के लिये सरकार बाधक नहीं होती । आयोग इस संबंध में कोई निर्णय धारा 28 में निहित सिद्धांतों के आधार पर लेता है । जब तक इन सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा जायेगा । मेरे विचार से, आयोग कुछ नहीं कर सकता । मेरा सुझाव है कि आयोग को ऐसा बनाया जाये जो प्रभावकारी माध्यम सिद्ध हो सके ।

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है कि वह किसी भी मामले को, जहां उसे लगे कि एक या अधिक उपक्रम किसी एकाधिकारी प्रक्रिया में लगे हैं, एकाधिकार जांच आयोग को सौंप सकती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक सरकार मामले को आयोग को न सौंपे तब तक आयोग स्वयं किसी मामले की जांच नहीं कर सकता। निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि एकाधिकारी व्यापार प्रक्रियाओं और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के मामले में आयोग का क्षेत्राधिकार समान बन जाये। आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये ताकि वह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। धारा 37 का सम्बन्ध निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं से है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आयोग निर्वन्धात्मक व्यापार करारों की जांच नहीं कर सकता। साथ ही अधिनियम में ऐसे मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं जिनके आधार पर कोई मामला आयोग को सौंपा जाये। यदि एकाधिकारों के विकास को रोकना है तो अधिनियम की धारा 37 और 27 को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना होगा।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमान्, पृष्ठ 72 पर निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में कुछ तथ्य दिये गये हैं, किन्तु आयोग के कार्यों के मूल्यांकन का उल्लेख कहीं भी नही है। यह भी नहीं बताया गया है कि एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं रोकने में आयोग कहां तक सफल रहा है। दूसरी ओर हिन्दुस्तान लिबर कम्पनी को एस० टी० पी० बनाने का लाइसेंस दिया गया है, यह सिन्थेटिक डिटरेजेंट बनाने के काम आता है । यह लाइसेंस आयोग के दो सदस्यों की सिफारिश पर दिया गया है जबकि तीसरे सदस्य के विमति टिप्पण पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही, सरकार को यह भी बताया गया है कि यह कम्पनी प्राय: अपने उत्पादों का स्टाक जमा कर लेती है और उसके दाम बडने पर माल को बाजार में देती है। डालडा और बेबी फूड के बारे में उन्होंने ऐसा ही किया। आजकल रेक्स, सनलाइट और लाइफबॉय साबुनों का अभाव चल रहा है। अब यह कम्पनी प्रति दर्जन साबुन की बट्टियों पर 20 पैसे वितरण खर्च लगाना चाहती है । यूनीलीवर नामक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी, जो विदेशी कम्पनी है, की सहायक कम्पनी को ये सारी रियायतें किन कारणों से दी गयीं, जबकि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की बहुत-सी कम्पनियां इसी डिटरजैंड का उत्पादन करने में सक्षम हैं ? हिन्दुस्तान लिवर कम्पनी का डिटरजैंट उद्योग पर पहले ही 60 प्रतिशत एकाधिकार है और इस लाइसेंस से उसका एकाधिकार 80 प्रतिशत हो जायेगा । ऐसी स्थिति में यह लाइसेंस

उन भारतीय कम्पनियों को, जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया था, क्यों नहीं दिया गया ? मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि हिन्दुस्तान लिवर को दिये गये लाइसेंस को रद्द किया जाये। आज देश में एकाधिकार की स्थिति बढ़ती जा रही है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। निर्बन्धाकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 28 का हिन्दुस्तान लिवर कम्पनी के मामले में स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये जाने चाहिएं। इसके लिए मांग भी की जा रही है। कई बातें सरकार को बताई गई हैं, परन्तु सरकार इस बारे में उपेक्षा दिखा रही है। इस अधिनियम में इस आशय का संशोधन शीघ्र किया जाना चाहिए कि अंशधारिता की प्रतिशतता 74.26 के स्थान पर 75.25 हो जाये। इससे विदेशी कम्पनियों का उन कम्पनियों पर नियंत्रण न रह सकेगा जिनमें उनके अंश हैं। पंजाब प्राइवेट कम्पनी जो सरकारी धन से विकसित होती जा रही है, एक एकाधिकारी कम्पनी है। इस पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इन बड़ी कम्पनियों का एक ही ध्येय होता है और वह है लाभ कमाना।

एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को 43 मामलें सौंपे गये थे। उनमें से कम्पनी विधि विभाग ने कुछ वापस ले लिए। आयोग ने उन की जांच शुरु कर दी थी और उस पर काफी खर्च भी किया गया था, फिर उन मामलों को सरकार द्वारा वापस क्यों लिया गया? इससे यह पता चलता है कि सरकार की इन निहित हितों और बड़े एकाधिकार गृहों से सांठ-गांठ है। आयोग को धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत कुछ मामले सौंपे जाने चाहिएं थे किन्तु सरकार ने उन्हें आयोग को न सौंपने का निर्णय स्वयं ही कर लिया। वस्तुतः आज ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं अपनाये गये हैं जिनके आधार पर मामले आयोग को सौंपे जायें। ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त शीघ्र बनाये जाने चाहिएं जिससे मंत्रालय औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत बने कानून के उल्लंघनों के बारे में हस्तक्षेप कर सके और उस पर रोक लगा सके।

जहां तक विधि और न्याय का सम्बन्ध है, हम गरीबों को कानून की सहायता देने की मांग करते रहे हैं। वे कहते हैं कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिसों पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में सभा में और सभा से बाहर सरकार की ओर से आश्वासन दिये गये हैं। समाज के दुर्बल वर्गों को ऐसी सहायता दी जानी चाहिए। यदि विद्यमान कानून को इस प्रकार से लागू नहीं किया जाता जिससे गरीबों का हित हो, तो उसे निर्धनों के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता। भूमि सुधार अधिनियम बनाये जा रहे हैं जिनके अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक कृषि भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाना है। किन्तु जमीदारों द्वारा काश्तकारों पर भूमि का कब्जा लेने के लिए दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मकदमें चलाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हजारों और लाखों निर्धनों और काश्तकारों को कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। आज भी कानूनी सहायता की बात कागजों तक ही सीमित है। निर्धन काश्तकारों को ऐसी सहायता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अन्त में यह सुझाव है कि संसद सदस्यों और विधि वेत्ताओं की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले दो-तीन वर्षों में इस मंत्रालय ने कुछ ऐसे विवादास्पद निर्णय किये हैं जिनसे पूरा देश हिल उठा है। उदाहरण के लिए, मूल अधिकारों में संशोधन करने का संसद का अधिकार या अनुच्छेद 31 के बारे में संविधान संशोधन या न्यायाधीशों की वरीयता की उपेक्षा का मामला लिया जा सकता है। इन विवादों के मूल में हमारी वर्तमान विधि-शिक्षा और विधि-व्यवस्था है। अतः मेरे विचार से विधि मंत्रालय को पूरी विधि व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और उसे एक नया रूप देना चाहिए।

संविधान में संशोधन कर देने मात्र से काम न बनेगा। इसके लिए पूरे देश में अनुकूल वातावरण बनाना होगा। यह भी देखा गया है कि कानूनों में जो सुधार किये गये हैं, वे अधिकृत मशीनरी के अभाव में लागू ही नही किये जा सके हैं। कानूनों और संविधान में कई संशोधन किये जा चुके हैं परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन के उद्देश्य से तत्सम्बन्धी कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके लिये अनुच्छेद 311 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि असैनिक कर्मचारी अपनी गलतियों के परिणामों से बच न सके और वह देश में प्रगतिशील नीतियों को लागू करें।

आज स्थिति यह है कि विभिन्न कानूनों के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों से अलग-अलग मंत्रालय सम्बन्ध हैं। भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता गृह मंत्रालय के विषय हैं जबकि ये विधि मंत्रालय के विषय होने चाहिएं और इनसे सम्बन्धित विधेयक सभा में विधि मंत्रालय द्वारा लाये जाने चाहिए विभिन्न कानूनों के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों में तर्कसाम्य नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हत्या करने वाले को फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा है परन्तु खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति के लिए, जो मिलावट करके किसी को मारता है, केवल तीन वर्ष की सजा है। इसी प्रकार जमाखोरी करने वालों के लिए सजा बहुत ही कम है। विधि मंत्रालय को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड उपबन्धों में एकरूपता लानी चाहिए। आज न्याय पाने में अधिक विलम्ब होता है और अधिक खर्च होता है। विधि व्यवस्था को सरल बनाया जाना चाहिए और यदि सम्भव हो तो अनावश्यक अपील आदि की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों पर विधि मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि किसी भी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को किसी भी आयोग में न लिया जाये। यदि न्यायाधीश प्रतिभावान नहीं होंगे, तो लोगों को न्याय न मिल सकेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि विधि मंत्री मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, these days fee court is being increased. Now, in my state court fee of Rs. 10 is to be affixed in place of Rs. 4/. Thus it has become very difficult for poor persons to get justice. In 1971-72 the revenue from stamps and registration was Rs. 133.8 crores which increased to Rs. 143.3 crores in 1973-74. I want to suggest that the Law Minister should give directions to the states in this respect. It is also said that 'justice delayed is justice denied'. About 78,617 cases are pending in the Allahabad High Court 41,442 cases are pending in Bombay High Court, 20, 653 cases are pending in Madhya Pradesh, 23,704 cases are pending in Patna High Court, 25,150 cases are pending in Punjab and Haryana Court and 13,356 cases are pending in Rajasthan. These cases have been pending for the last 4, 5 or 6 years. A committee to study the problem of pending cases in High Courts was appointed and it is told that it submitted its report in 1972. But so far, it is not told as to what their recommendations were and what has happened to them. I want to say that their recommendations should be brought before us. In regard to Hindi translations of laws, it is said that efforts are being made for it. I would like to say that Hindi translation of our Constitution is not available even in this library. I want to know the details regarding the Acts which have not been translated in Hindi? May I know from the Hon'ble Law Minister the reasons for not getting the Acts translated in Hindi? I appeal to the Government to get the Acts translated in Hindi expeditiously.

डी० सी० गोस्वामी पीठासीन हुए

[**Shri D.C. Goswami in the Chair**]

The hon. Minister had stated that efforts are being made to provide legal aid to the poor. He had also stated that the Government propose to bring a comprehensive Bill

in this regard. We want to know when this Bill would be brought before this House. An early action should be taken in this regard, as it will benefit the Harijans and Adivasi pepole.

It has also been told that the company law is being amended to encourage the industrialists to invest more money in the industries. From the report it appears that Government has failed in attracting more capital.

The Joint Committee on Election Commission has stated in its report the Law Commission should not be one man Commission, and it should have five or six members. May I know the decision taken by Government in this regard? In this report it has also been recommended that the voting age should 18 years instead of 21 years. No decision has yet been taken on this. The Law Minister should consider this report and see that it is implemented soon.

Too many irregularities are committed during this election. The law should be so amended whereby it may not be possible to commit irregularities.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मेरे विचार में यह पहला अवसर है कि हम इस संसद में विधि मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं कोई ऐसी परम्परा स्थापित की जानी चाहिये कि दो या तीन अथवा पांच वर्ष में एक बार प्रत्येक मंत्रालय के बारे में चर्चा की जा सके।

माननीय सदस्यों ने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के बारे में काफी कुछ कहा है। यह बात बहुत ही आवश्यक है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिये सस्ते न्याय की व्यवस्था होनी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि कम्पनी कानून और सामान्य कानून के सम्बन्ध में कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जटिलताओं को कम किया जाना चाहिये,. ताकि मंत्रोलय तथा कम्पनियों में कागजी कार्यवाही कम से कम हो।

कम्पनी कानून में इस तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे कर्मचारियों और श्रमिकों को कम्पनियों के प्रबन्ध के साथ सम्बद्ध कर दिया जाये। न केवल समाजवादी देशों, अपितु पश्चिमी देशों में भी कानून में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है। श्रमिकों को प्रबन्ध में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। परीक्षण के तौर पर यहां भी यह व्यवस्था की जा सकती है।

जहां तक लम्बित पड़े मामलों का संबंध है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने जैसे अनेक सुझाव दिये गये हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह ढंग सफ़ल नही रहा है। प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा हर मास निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। यदि वह अधिक मामलों को निपटाता है और यदि उसके द्वारा दिये गये निर्णय को अन्तिम न्यायालय द्वारा भी उचित और मान लिया जाये, तो उसे पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। अधिक न्यायाधीशों की बजाये उसी न्यायाधीश को अधिक मामलों के बारे में निर्णय देने के लिये कहा जा सकता है और अतिरिक्त मामलों के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है । यदि इस प्रकार की प्रोत्साहन योजना से न्यायपालिका लाभान्वित हो सकती है ।

इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये । देश में मुद्रा स्फीति मूल्य वृद्धि संबंधी स्थितियों के कारण उनके वेतन भत्ते अधिक नहीं हैं जिससे कि ऊंचे दर्जे के वकील और छात्र इस की ओर आकर्षित हों। उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये, ताकि अवर न्यायालयों एवं उच्चतर न्यायालयों के लिये उच्च श्रेणी के वकील तथा न्यायाधीश बनने के लिये छात्र आकर्षित हो सकें।

मैं एकाधिकार अधिनियम के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं। एकाधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। देश में सर्वत्र व्याप्त अभावों को देखते हुये समस्त अधिनियमों को उत्पादन प्रधान बनाया जाना चाहिये। यदि उत्पादन को बढ़ाने में किसी विशेष कानून से प्रतिबन्ध लगता है तो उसमें उस सीमा तक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। अतः, उस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये जिससे उत्पादन में बाधा पड़ती हो, क्योंकि देश को अत्यावश्यक वस्तुओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

कालेजों से नये निकलने वाले नवयुवकों को सीधे न्यायालयों में लाने और मामलों का निपटान करने की नयी प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे न केवल मुवाक्किलों के लिये हितों को ही हानि पहुंचती है, अपितु कभी कभी तो उन्हें भी हानि होती है। इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, यदि परिवीक्षा काल को समाप्त कर दिया जाये। परिवीक्षा काल को अवश्य रखा जाना चाहिये, चाहे यह एक वर्ष के ही क्यों न हो।

अन्त में मैं इस बात पर पुनः ज़ोर दूंगा कि निदेशक बोर्ड में श्रमिक निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : विधि मंत्रालय पर चर्चा करते समय मैं माननीय विधि मंत्री के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला उठाना चाहता हूं।

तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने समाजिक पुर्ननिमाण आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के लिये क्रांतिकारी पग उठाये हैं। वहां कानून के द्वारा अनेक सामाजिक सुधारों को लागू कर रही है। द्रमुक के सत्तारूढ़ होने से पूर्व स्वाभिमान-विवाहों को वेध नहीं माना जाता था, इस प्रकार के विवाहों में पुरोहित को निमंत्रण नहीं दिया जाता। इन विवाहों में मन्दिरों में के लिये कोई स्थान नहीं है । इन विवाहों को द्रमूक सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्सा-हन देकर एक और समाज सुधार का काम किया है...... (**व्यवधान**)। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिये हमने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये नव दम्पतियों को स्वर्ण पदक देने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार के विवाहों से समाज नष्ट नहीं हो रहा है। यह समाज को सामाजिक न्याय दिलाने का एक रचनात्मक पग है। स्वर्ण पदक देने की पेशकश हमारे प्रिये नेता स्वर्गीय अण्णा द्वारा की गयी थी।

तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री ने एक और क्रांतिकारी पग उठाया है। मन्दिरों का रख रखाव करने के लिये हमने न्यासी बनाये हुये हैं। समूचे भारत में केवल हमारे ही राज्य ने ऐसा नियम बनाया है और उसको हम लागू भी कर रहे हैं कि इन न्यासियों में से एक न्यासी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिये।

तमिलनाडु सरकार ने वंशानुगत पुरोहिताई को समाप्त करने हेतु, 1970 के हिन्दु धार्मिक और धर्मस्व निधि अधिनियम में संशोधन किया है। समाज सुधार की ओर यह एक महान पग उठाया गया था। किन्तु इस कानून को उच्चतम न्यायालय में 12 याचिकाओं द्वारा चनोती दी गयी और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अन्तर्गत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी मंत्री तथा मुख्य मंत्री तो बन सकता है किन्तु संविधान के नाम पर उसे मन्दिर का पुरोहित बनने से रोका जा सकता है। क्या यह एक शर्मनाक बात नहीं है।

यह उपयुक्त समय है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का संशोधन करे ताकि कानून में यह उपबन्ध न रहे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति मन्दिर का पुरोहित नहीं बन सकता। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति पुरोहित बन सकता है।

Shri M.C. Daga (Pali) : May I know whether people are getting justice in the Courts ? Justice has become costlier. It should be made cheaper.

The Government are paying huge amount to other advocates although they have got their own team of advocates. I want to know that what these Government advocates are doing then.

The Government should fix a time-limit within which a judge should give its decision. The poor is not getting justice. Judges and advocates should also be required to take oath for speaking the truth etc.

If the State is able to defend our boarders and give us justice, no other state can be more ideal then it.

The present ceiling on election expenses should be enhanced keeping in view the rising prices. There is a demand to open a bench of Rajasthan High Court at Jaipur which is not justified. It will only increase Government expenditure.

Hindi translation work should be speeded up.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) :—

कुछ कारणों से देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा तथा निष्पक्षता को आघात पहुंच रहा है। इनमें से एक कारण न्यायधिशों को बड़े वेतन के पदों पर नियुक्त करना और सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्तियां देना है। इस प्रकार की एक प्रथा स्थापित की जानी चाहिये कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधिशों को सेवा निवृत्ति के बाद सरकार कोई संरक्षण प्रदान न करे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों और मुख्य न्यायाधिशों की नियुक्ति से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 124 की व्याख्या भिन्न तरीको से की गई है। प्रधानमंत्री ने संसद् को बताया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उचित परामर्श किया जाता है। परन्तु अब विधि मंत्रालय की इस सम्बन्ध में दूसरी ही राय है। बताया जाना चाहिये कि कौनसी व्याख्या सही है।

इसके अतिरिक्त उच्च न्ययालय के फैसलों के सम्बन्ध में कई मामलों में सरकार का रुख भी एक कारण है। इसका सबसे ज्वलत उदाहरण उड़ीसा उच्च न्यायालय की राज्यपाल श्री बी० डी० जेट्टी के आचरण सम्बन्धी टिप्पणी के बारे सरकार की बेरुखी है। विधि मंत्रालय इसे गलत समझता है तो क्या उसने इसे समाप्त करने के लिये उच्चतम न्यायालय की शरण ली ?

चुनाव आयुक्त को भी सेवा निवृत्ति के बाद किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। यह भी ठीक नहीं कि भूतपूर्व चुनाव आयुक्त को विधि आयोग का सदस्य बनाया जाए। जिस चुनाव आयुक्त को लाभ का लालच दिया जाए, तो इस प्रकार के चुनाव उपयुक्त पर हमारा विश्वास नहीं रह सकता।

राज्य के बाहर के लोगों को उच्च न्यायलयों के न्यायधीश नियुक्त किया जाना चाहिये।

जटिल कानूनी और संविधानिक मामलों में संसद् की सहायता करने में विधि मंत्रालय असफल रहा है। ब्रिटेन की संसद् में ऐसे मामलों में सरकारी संवैधानिक परामर्शदाता से मदद मिलती है। लेकिन हमारा विधि मंत्रालय इस कर्तव्य से सर्वथा अनभिज्ञ है। क्या मंत्री महोदय इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे ?

इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं कि संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है। इस अधिनियम के बारे एक उलझा हुआ निर्णय दिया गया है। विधि मंत्री का कर्तव्य है कि वे सभा को सही स्थिति से अवगत कराएं।

गुजरात की जनता ने अभी हाल में सरकार और विधान सभा को बर्खास्त किया है। इसके प्रभावों पर क्या सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। लोगों को अपनी भावनाओं का प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से करना चाहिये ताकि इस प्रकार की उथल पुथल न हों।

सत्तारूढ़ कांग्रेस के महामंत्री ने कहा है कि कम्पनियों को चंदा देने की अनुमति दी जानी चाहिये। क्या सत्तारूढ़ दल के महामंत्री का वचन ही सरकार का मत है ?

कुछ इस तरह की परमपराए बनाई जानी चाहियें जिसके अनुसार विधान सभाओं को निलम्बित किया जा सके। सत्ताधारी दल को अनुच्छेद 356 अपनी शक्ति फिर से स्थापित करने का अवसर प्रदान नहीं करता। लेकिन यह सरकार इसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिये कर रही है। इस सम्बन्ध में कुछ परम्पराओं को स्थापित किया जाना जरुरी है।

हमारी चुनाव प्रणाली में बहुत सुधार किये जा सकते हैं। वास्तव में एक मतदान केन्द्र के लिये केवल एक मतपेटी रखी जानी चाहिये।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को समाप्त करने की ओर एकाधिकार आयोग अधिकाधिक ध्यान दे रहा है। कम्पनी विधि विभाग ने कुछ समय पहले कतिपय औद्योगिक उद्यमों को बड़े व्यापार गृहों से एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार प्रक्रियां अधिनियम की धारा 27 में संशोधन करके अलग करने की शुरुआत की थी। हम जानना चाहते हैं कि अब यह मामला किस स्थिति में है ?

श्री सभापति महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री आज जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बासीरहाट) : मैं इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे संविधान में कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों की व्यवस्था से हम देश में सुसभ्य जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे संविधान में अपने नागरिकों को काम करने के अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। हमारे देश में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें इसके अवसर नहीं मिले हैं। मंत्रालय को संविधान में ऐसा सशोधन करना चाहिये जिससे लोगों को मौलिक अधिकारों के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो।

आज देश में दस में से नौ आदमी बेरोज़गार हैं। इस अवधि के दौरान हम इतना ही परिवर्तन ला सके हैं। इस प्रकार के विधेयक पर विचार करने का यही एक उचित अवसर है ताकि हर व्यक्ति को काम करने का अवसर तथा अधिकार प्राप्त हो सके।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए ।
Shri Nawal Kishore Singh in the chair]

जब तक एक व्यक्ति के लिये रोज़गार की व्यवस्था न हो तब तक उसे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिये । यदि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को 345 करोड़ रुपये देने की सरकार व्यवस्था कर सकती है तो बेरोज़गार लोगों को जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिये सरकार आवश्यक राशि की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती । काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिये ।

देश में हो रहे अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों की अनुमति पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 में है । अर्जीनवासियों, विक्रेताओं तथा अन्य मुवक्किलों की सहायता से पिछली तारीख़ में दस्तावेज़ तैयार किये जाते हैं । इस धारा का संशोधन करने से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है । इस धारा का संशोधन करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये ।

निर्धन व्यक्तियों को विधि की सहायता देने के विचार को स्वीकृत किया गया है । निर्धन व्यक्तियों को संविधान के अन्तर्गत समानता का आश्वासन दिए जाने के बावजूद निर्धनता के कारण उन्हें वास्तव में न्याय नहीं मिलता है । अंग्रेज़ों ने भारत में सामंतवाद की प्रणाली को ही सहायता देने हेतु अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता जैसे प्रक्रिया सम्बन्धी कानून बनाये थे और सामन्तों ने इन कानूनों का लाभ उठाया । अब इन कानूनों को लागू नहीं रखना चाहिए । इनका संशोधन करने और प्रक्रियाओं को साधारण बनाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिएं ।

बेनायी के माममों के सम्बन्ध में विधि-आयोग ने अपना 57 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो भ्रष्टाचार का एक और स्त्रोत है। दीवानी के सभी मुकदमों में बेनामी का सामन्य तर्क है। इन मामलों से कर-अपवंचक बहुत लाभ उठाते हैं । इन मामलों को यदि बंद कर दिया जाये तो करों का अपवंचन कुछ सीमा तक रोका जा सकता है । इन मामलों को बंद करने के लिये यथाशीघ्र विधेयक लाया जाना चाहिये ।

खाद्य अपमिश्रण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । खद्य अपमिश्रण अधिनियम के अनुसार अभियुक्त का दोष सिद्ध करना होता है। अपमिश्रण सम्बन्धी मामलों में प्रमाण का कर इस्तगासा के स्थान पर अभियुक्त पर डालना चाहिये। कानून के इस प्रकार के संशोधन से मामलों में भारी अन्तर आ जाएगा ।

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसके अनुसार अपमिश्रण के लिये दोषी पाए गए लोगों को कम-से-कम जेल की सजा दी हो, जो दो, तीन या दस वर्ष तक की हो सकती है। अधिकाधिक दण्ड की अवधि के स्थान पर न्यूनतम दण्डावधि निर्धारित होनी चाहिये। मेरे विचार के अनुसार, ऐसा करने वाले लोग हत्या से भी भयंकर अपराध कर रहे हैं। अतः उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में न्यूनमत सजा अवश्य निर्धारित होनी चाहिये। इसके साथ ही खाद्य अपमिश्रण की समस्या को हल करने के लिये सिद्ध करने का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर होना चाहिये।

अपमिश्रण के मामलों में केवल छोटे-छोटे दुकानदारों को ही पकड़ा जाता है। ऐसे मामलों में जहां पर अपमिश्रण का शक हो वहां पर वाद पक्ष को सामान तैयार करने वाले स्थानों पर छापे मार कर बड़े-बड़े व्यापारियों को पकड़ना चाहिये। मुख्य अपराधी तो वह है और छोटे दुकानदार तथा व्यापारी तो उनके द्वारा तैयार माल को ही बेचते हैं।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : People of Rajasthan have been demanding for a long time the setting up of a bench of the High Court at Jaipur. This matter has been raised in this House also a number of times. The people of the area have submitted a number of representations and held agitations to press this demand. In order to express their resentment Advocates belonging to East Rajasthan boycot the Court on every 15th. Last time, when the Advocates came here in deputation, they were assured that a decision in this regard would soon be taken . But so far a decision has not been taken. The Government should take the decision expeditiously and set up a bench of the High Court at Jaipur.

There cannot be two opinions about the fact that the Judiciary should be Independent, strong and effective. Moreover, corruption is rampant in Judicial administration and if it is not rooted out at an early date, it may spread its roots. It will help re-establishing the best confidence of the people in judiciary. At the same time, attention should be paid towards the working conditions of judicial services. Judges perform very responsible jobs, hence they should be paid sufficient salaries so that they may work with a sense of integrity.

श्री तरूण गोगोई (जोरहट) : विधि मंत्रालय ने संविधान के 24वें तथा 25वें संशोधन सम्बन्धी क्रांतिकारी कदम उठा कर सराहनीय कार्य किया है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में जो रुकावटें थीं, वे दूर हो गई हैं। इसके साथ ही, कानून बनाने के सम्बन्ध में संसद् की सर्वोच्चता भी सिद्ध हो गई है।

विधि मंत्रालय को न केवल कानून ही बनाने होते हैं अपितु इन कानूनों का जनता की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप होना भी आवश्यक है। अतः इसे जनता की भावनाओं को भी समझना चाहिये। संविधान में भी समय के अनुकूल संशोधन होने चाहियें ।

हमारी वर्तमान न्यायिक पद्धति में अनेक गम्भीर दोष हैं। हम अभी तक पुरानी साम्राज्यवादी पद्धति का ही अनुसरण कर रहे हैं। यह पद्धति निर्धन तथा कमजोर वर्गों के हित में नहीं है। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लंघन के बारे में उपबन्ध हैं परन्तु यह मामले केवल उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में ही ले जाए जा सकते हैं, छोटे न्यायालयों में नहीं उठाए जा सकते। अनुच्छेद 32 के अधीन छोटे न्यायालयों को भी इन मामलों की सुनवाई करने की अनुमति होनी चाहिये जिससे कि निर्धन वर्ग भी इसका लाभ उठा सकें।

न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। सरकार को केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये जो अपना कार्य उचित ढंग से कर सकें और जनता को सामाजिक, आर्थिक न्याय देने के मार्ग में बाधक न बनें। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मेरे विचार से संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है। इससे अनुच्छेद 124 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

चुनावों में गोलमाल करने के बारे में सत्ताधारी दल पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। यदि इस बात में कोई सच्चाई है तो संसद् और राज्य विधान सभाओं में विपक्ष के इतने सदस्य निर्वाचित होकर कैसे आ सके हैं? चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से चुनाव करवा रहा है। चुनाव नियमों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, परन्तु उन्हें दूर किया जा सकता है। इसके विपरीत आरोप लगाना लोकतंत्र पर कुठाराघात करना है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम एकाधिकारों के प्रसार को रोकने के लिये लागू किया गया था परन्तु वास्तव में उनका इससे विस्तार ही हुआ है। अनेकों भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों ने गलत ढंग अपनाकर अपना विस्तार किया है।

निर्धन वर्ग को न्याय मिलना चाहिये। आज न्यायपालिका उनकी पहुंच के बाहर हैं। व्यय के कारण उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय तो दूर, वे छोटे न्यायालय में भी जाने में असमर्थ हैं। इस कारण उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होता। अतः न्याय प्रणाली में अमूल परिवर्तन किया जाये जिससे कि दुर्बल वित्तीय स्थिति वाले लोग न्याय के द्वार पर पहुंच सकें। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाये। जिससे कि इस पद्धति में समुचित सुधार लाये जा सकें।

सरकार को छोटी अदालतों को भी पर्याप्त महत्व देना चाहिये। आज वहां पर बहुत असन्तोष व्याप्त है। वहां पर काम करने वालों के वेतनमान बढ़ाये जायें और उन्हें समुचित आवास सुविधायें प्रदान की जायें।

सब भाषा आयोग द्वारा आसान भाषा प्रयोग में लायी जानी चाहिये जिससे कि सभी व्यक्ति कानून को समझ सकें। सभी प्रादेशिक भाषाओं में भी कानूनों का अनुवाद होना चाहिये।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : विधि मंत्रालय के अन्तर्गत देश में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने और समवाय नियमों का इस प्रकार प्रशासन करने का काम आता है जिससे एकाधिकार पद्धति टूटे और आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मेरा मत है कि सेवा निवृति के पश्चात् न्यायाधीशों को वेतन वाले पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। इससे न्यायपालिका में विश्वास घटता है। उनके वेतन बढ़ायें जाने चाहियें और उनकी पेन्शन में भी वृद्धि होनी चाहिये। उनकी सेवा शर्तें आकर्षक होनी चाहियें। इसका लाभ समाज को ही होगा। इससे 'बार' के प्रतिभाशाली सदस्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने के लिये आकर्षित होंगे।

मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से अथवा उसी उच्च न्यायालय के 'बार' के सदस्यों में से ही नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उसी न्यायालय में रहते हुये उनका एक गुट बन चुका होता है। यह हमारा दैनिक अनुभव है। अतः इस पद पर बाहर के संवर्ग के न्यायाधीशों में से ही नियुक्ति की जानी चाहिये। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय की न्यायपालिका में कम से कम 50 प्रतिशत न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों से होने चाहियें।

न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का कम से कम नौ वर्ष का रिकार्ड देखा जाना चाहिये। किसी भी न्यायाधीश के चरित्र और योग्यता को जानने का प्रमुख स्त्रोत 'बार' ही है। कम से कम तीन 'बार एसोसियेशन' के प्रधान तथा सचिव की राय जाननी चाहिये।

जहां तक चुनाव प्रणाली का सम्बन्ध है, विपक्ष के लोगों को तो इस बारे में हमेशा शिकायत रहती है। चुनाव तन्त्र ने सामान्यता निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतन्त्र रूप से कार्य किया है। यह ठीक है कि इसके कार्यकरण से सभी सन्तुष्ट न होंगे परन्तु चुनाव आयोग की इस सदन में इस प्रकार आलोचना नहीं की जानी चाहिये। विपक्ष तथा सत्ताधारी दल के सदस्यों को मिल कर, एक दूसरे पर दोषारोपण किये बिना, इस देश में लोकतन्त्र के विकास के लिये प्रयास करने चाहियें।

यह कहा गया है कि महान्यायवादी को बहुत अधिक फीस दी जाती है। वास्तव में उन्हें मिलने वाली फीस में से 97.5 प्रतिशत तो करों के रूप में चला जाता है। हमें इसके लिये उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिये।

जहां तक एकाधिकार समाप्त करने की बात है, हमें देखना होगा कि ऐसा करना उत्पादन के रास्ते में बाधक न बनें। आज हमारा मुख्य ध्येय उत्पादन बढ़ाना होना चाहिये। केवल नारेबाजी की ओर हमें ध्यान नहीं देना। हमें गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, उसमें हमें निजी क्षेत्र की भी सहायता लेनी है।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : यह आम धारणा है कि न्यायालयों में न्याय नहीं होता। इसका आधार यह है कि न्यायालयों से दोषी व्यक्ति भी छूट जाते हैं और कई बार निर्दोष व्यक्तियों को सजा दी जाती है। अतः यदि हमें इस धारा को समाप्त करना है और न्यायपालिका को लोकप्रिय बनाना है, तो हमें न्यायिक प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही, इस कारण को भी बदलना होगा कि न्यायाधीशों की आलोचना न की जाये।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में बहुत अधिक काम है। इसका कारण यह भी है कि संसद द्वारा पारित कानूनों के बारे में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को समान अधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में, इन समान अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों तक सीमित कर दिया जाये। उच्चतम न्यायालय में केवल संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता अथवा अवैधता के मामले ही आने चाहियें। यदि ऐसा किया जाये तो मुकदमेबाजी कम की जा सकती है और रिट याचिकाओं की संख्या भी कम हो सकती है।

न्यायाधीशों की परिलब्धियों में वृद्धि की सभी ने बात की है। मेरी धारणा के अनुसार, इस बात को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि न्यायाधीशों को पर्याप्त परिलब्धियां मिलें।

ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी कार्य विभाग का कार्य केवल कम्पनियों के बुरे कार्यों पर नजर रखना ही है। मोरारका के उदाहरण हमारे सामने हैं। उनके अधीन कई कम्पनियों का प्रबन्ध था परन्तु सभी में कुप्रबन्ध उत्पन्न हुआ और कम्पनी कार्य विभाग ने मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कम्पनियां वास्तविक रूप से संकट में नहीं आ गईं। उन्होंने करोड़ों रुपयों का आयकर देना है। कर्मचारी भविष्य निधि के सारे पैसे का दुर्विनयोग किया गया। अतः इस विभाग को समय पर निवारक कदम उठाने चाहियें।

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: JUNIOR DOCTORS' STRIKE

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सदन को यह सूचित करते हुये मुझे प्रसन्नता होती है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्सेस, चण्डीगढ़ और जवाहरलाल इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टडीज एंड रिसर्च, पांडिचेरी के जूनियर डाक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और वे फिर से अपने काम पर वापस आ गये हैं। सरकार द्वारा इस समस्या पर बड़ी सावधानी से लिये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप इन जूनियर डाक्टरों ने यह कदम उठाया है। माननीय सदस्यों का समय बचाने की दृष्टि से मैं उक्त निर्णयों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख रहा हूं और इससे कुछेक मोटी-मोटी बातों पर ही प्रकाश पड़ेगा।

2. 12 जनवरी, 1974 को सरकार ने जो घोषणा की थी कि ये निर्णय उसी सिलसिले में आगे लिये गये हैं और उनमें करतार सिंह समिति की जो सिफारिशें हैं उनमें भी आगे और सुधार हुआ है। नये निर्णयों के अनुसार जहां इन्टर्नियों को 1 जनवरी, 1973 को दो सौ रुपये का वजीफा मिल रहा था अब उन्हें इस वर्ष 1 जनवरी से प्रतिमास 350 रुपये मिलने लगेंगे। (75 % की वृद्धि)। इसी प्रकार दिल्ली के प्रथम वर्ष के एक जूनियर रेजिडेंट को जहां कुल मिलाकर 275 रुपये का वजीफा मिलता था वहां उसे अब 545 रु० मिलने लगेंगे। (98.2 प्रतिशत की वृद्धि)। दूसरे ओर तीसरे वर्ष के रेजिडेंटों को जहां कुल मिलाकर प्रतिमास 300 रुपये का वजीफा मिलता था अब वहां उन्हें 599.50 रु० और 654.00 रु० मिलने लगेंगे। (क्रमशः शत प्रतिशत और 118 प्रतिशत की वृद्धि)। इसके साथ ही जूनियर रेजिडेंटों की परिलब्धियों को अब ऐसा बना दिया गया है कि जिससे वे जीवन निर्वाह खर्च के अनुरूप हो जायें और उसी वेतन वर्ग के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली दरों पर उन्हें भी मंहगाई भत्ता बढ़ी हुई दरों पर मिलने लगेगा।

3. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़तालियों को दण्ड न देने की सरकार की जो न्याय संगत और यथार्थ नीति है उसी के अनुकूल हड़ताल की अवधि को किस रूप में माना जाये उसके बारे में सरकार ने अनेक रियायतें दी हैं। जहां इस अवधि को "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर माना जायेगा, वहां सभी दण्ड देने वाली कार्यवाही वापस ले ली जायेंगी और कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने पर अन्य प्रयोजनों के लिये 'सेवा भंग' की अवधि को माफ करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है बशर्ते लोगों का काम संतोषजनक पाया जाये। कण्डोनेशन की दशा में जूनियर डाक्टरों के अन्तिम प्रमाण पत्र और रिकार्ड में हड़ताल का कोई उल्लेख नहीं होगा। यदि संबंधित शैक्षिक अधिकारी जूनियर डाक्टरों के कार्यकाल को बढ़ाना आवश्यक समझें तो उन्हें ऐसा करने की सुविधायें दी जायेंगी और उन्हें इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के लिये पैसा दिया जायेगा।

4. इतने उदार प्रस्ताव के होते हुये बड़ा आश्चर्य है कि दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की है। यद्यपि मेरे पास उन लोगों से कोई औपचारिक पत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी आज की जो प्रैस रिपोर्टें हैं वे उत्साहजनक नहीं हैं। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि इन सारे मामले को अनिश्चित काल तक चलते रहने नहीं दिया जा सकता है। जहां जूनियर डाक्टर अपनी ही मांगों से ग्रस्त हैं वहां ऐसा लगता है कि ये लोग इतने लोगों को निरन्तर जो कष्ट पहुंचा रहे हैं उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सख्त भाषा का प्रयोग मेरी आदत नहीं है और अब तक तो सहानुभूति और लिहाज का रुख मैंने अपनाया हुआ है ना ही मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। फिर भी अब वह समय आ गया है कि यह बात एकदम स्पष्ट कर दी जाये कि इस विषय में सरकार ने जो निर्णय लिये हैं वे अन्तिम हैं और अस्पतालों को सामान्य ढंग से चलाने के अपने इतने बड़े दायित्व को देखते हुये इस मसले को अब आगे अनिश्चित काल तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

5. जो कुछ अब तक हुआ उसके बावजूद मुझे विश्वास है कि जूनियर डाक्टरों को अक्ल आयेगी और वे सद्भाव से काम करेंगे। मुझे आशा है कि वे इन मामलों को उस हद तक नहीं ले जायेंगे जहां से वापस आने का रास्ता ही न मिले। हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी बहुत से ऐसे जूनियर डाक्टर हैं जो काम पर वापस आना चाहते हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जब तक हड़ताल का कोई समझौता नहीं निकल आता तब तक के लिये बहुत से जूनियर डाक्टर दिल्ली से अपने-अपने घरों को चले गये हैं। इसलिये इन लोगों को कुछ समझ आए और बाहर से यहां डाक्टर वापस आ सकें इसके लिये कुछ और समय देने के उद्देश्य से मैंने सरकार के प्रस्ताव को इस सप्ताह के अन्त तक खुला रखने

का निश्चय किया है। तत्पश्चात् सरकार स्थिति के अनुकूल वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी। मैं यह भी कह दूं कि यदि डराने धमकाने की कोई कोशिश या बाहरा रोगी विभागों के काम में कोई ऐसी गड़बड़ी फैलाई गई या अस्पतालों के संचालन में अन्य प्रकार की ऐसी बाधायें डाली गईं तो ऐसी सभी हरकतों को सख्ती से दबा दिया जायेगा।

हड़ताल तुरन्त वापिस ले लिये जाने की स्थिति में ये बातें मानी जा सकती हैं:——

जूनियर रेजिडेंट कण्ट्रैक्ट सर्विस पर होंगे।

1-1-1974 से उनको वेतन इस प्रकार दिया जायेगा:——

प्रथम वर्ष : 1-1-1974 से 500 रुपये वेतन + वेतन का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता। मंहगाई भत्ते में अगली वृद्धि उसी तारीख तथा उसी दर से दी जायेगी जब से तथा जिस दर से वह केन्द्रीय सरकार के उसी वेतन वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगी। उन्हें नगर भत्ता भी उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

दूसरा वर्ष : वेतन 550 रुपये + उपरोक्त भत्ते।

तीसरा वर्ष : वेतन 600 रुपये + उपरोक्त भत्ते कन्ट्रैक्ट सेवा में प्रथम प्रवेश के समय तथा उसके बाद एक वर्ष पूरा हो जाने पर चयन किया जायेगा।

2. 1-1-1974 से इन्टर्नो को 350 रुपये प्रतिमास का वजीफा दिया जायेगा।

3. जूनियर डाक्टरों ने सीनियर और जूनियर रेजिडेंट को 150 रुपये प्रतिमास का नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता तथा सीनियर रेजिडेंटों को प्रारम्भ में उच्च दर पर वेतन देने के लिये जो अनुरोध किया था उसे अन्तिम निर्णय के लिये मंत्रि-मंडल के सम्मुख रखा जायेगा।

4. किसी विषय में सीनियर रेजिडेंट के चयन के लिये न्यूनतम अर्हता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री होगी। यदि किसी विशेष विषय में ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उन उम्मीदवारों के चयन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा जिन के पास स्नातकोत्तर अर्हतायें नहीं हैं। जिन सीनियर रेजिडेंटों के पास स्नातकोत्तर अर्हतायें हैं उन्हें करतार सिंह कमेटी के सिफारिश के अनुसार स्नातकोत्तर भत्ता मिलता रहेगा। वर्तमान रजिस्ट्रार जिनके पास स्नातकोत्तर अर्हतायें नहीं हैं उन्हें यह सेवा अवधि पूरा करने की अनुमति दी जायेगी।

5. जूनियर और सीनियर रेजिडेंसी तथा रेजिडेंट सेवा और उसके बाद नियमित सरकारी सेवा में भर्ती के बीच जो सामान्य और वर्जनीय विच्छेद (ब्रेक) आयें, उस अवधि को पेंशन के लिये क्वालिफाइंग सर्विस गिनने और सेवा निवृति के लाभ मिलने के लिये कुल एक वर्ष की अवधि को क्षमा (कण्डोन) कर दिया जायेगा।

6. जहां तक वेतन वृद्धियों की मंजूरी के प्रयोजन के लिये रेजिडेंसी सर्विस के परिणामस्वरूप अर्जित अनुभव का प्रश्न है संघ लोक सेवा का ध्यान उन नियमों की ओर दिलाया जायेगा जिनके अधीन उसे अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर करने की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है और उनसे अनुरोध किया जायेगा कि वे ऐसी सेवा और अनुभव को समुचित महत्व दें।

7. (i) हड़ताल की अवधि को 'काम नहीं वेतन नहीं' के सिद्धान्त पर लिया जायेगा। किन्तु सद्भाव का हाथ बढ़ाते हुये सरकार जूनियर डाक्टरों के खिलाफ की जाने वाली दाण्डिक

कार्यवाही को जिसमें मुअत्तली, सेवा समाप्ति, मकान खाली कराने के आदेश सम्मिलित हैं वापिस लेने तथा वजीफों की रकम वसूल करने के नोटिसों को वापिस लेने के लिये सहमत है।

(ii) सेवा में आये ब्रेक को कण्डोन करने के प्रश्न पर सरकार सभी मामलों में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर विचार करेगी बशर्ते उनका कार्य सन्तोषजनक पाया जाये। कण्डोनेशन की स्थिति में जूनियर डाक्टरों के अन्तिम प्रमाण पत्र/रिकार्ड में हड़ताल का कोई उल्लेख नहीं होगा।

(iii) शिक्षा की अवधि में ब्रेक कण्डोन करने का प्रश्न एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार इकतरफा निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि इसमें मैडिकल काउन्सिल आफ इंडिया जैसी अनेक शिक्षण अथारिटियों की सलाह से निर्णय लेना होता है। यह मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये उनके पास भेज दिया जायेगा। यदि ये अथारिटियां जूनियर डाक्टरों के विभिन्न वर्गों के लिये किसी अवधि को बढ़ाना आवश्यक बतलायें तो उन्हें इस अवधि को पूरा करने की सुविधा दी जायेगी और इस अवधि के लिये उन्हें पैसा भी दिया जायेगा।

8. ये निर्णय चण्डीगढ़ और पांडिचेरी के केन्द्रीय संस्थानों पर भी लागू होंगे।

इसके पश्चात् लोकसभा, बुधवार, 3 अप्रैल, 1974/13 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, April 3, 1974/ Chaitra 13, 1896 (Saka).

MGIPRRND—18 LSS/74—Sec.II(Day)—16-7-74—490.